मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

सोमवार, दिनाँक 16 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>उद्योग एवं रोजगार का विस्तार</u>

1. (क्र. 7) श्री दिव्यराज सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत- डभौरा अंतर्गत सिलका सैड़ (सीसा वाला बालू) का प्रचुर भण्डार है, जहाँ ग्लास फैक्ट्री स्थापित करने से एवं जवा अंतर्गत दूध का उत्पादन काफी मात्रा में होता है जहाँ मिल्क प्लांट लगने से उद्योग एवं रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा? क्या इस महत्वपूर्ण कार्य को शासन की कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा? (ख) यदि हाँ, तो कब तक क्रियान्वयन किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संदर्भ में उक्त फैक्ट्रियों को संचालित कराने हेतु शासन स्तर पर क्या शीघ्र ही उद्योगपतियों से एग्रीमेंट कर कार्य को मूलस्वरूप दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्रों में सिलका सैन्ड (सीसा वाला बालू) का भण्डार उपलब्ध है एवं दूध के उत्पादन की मात्रा संबंधित जानकारी उद्योग विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। उद्योग विभाग द्वारा स्वयं कोई उद्योग नहीं लगाया जाता अपितु स्थापित होने वाले उद्योगों को सहायता प्रदान की जाती है। (ख) नहीं। (ग) 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सोन चिरैया के डी नोटिफिकेशन प्रस्ताव की स्वीकृति अभ्यारण</u>

2. (क्र. 84) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वनमण्डल ग्वालियर के अंतर्गत सोन चिरैया अभ्यारण घाटीगांव विभाग द्वारा राजस्व क्षेत्र का डी.नोटिफेक्शन प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो कब एवं कितने क्षेत्र का? (ख) डी.नोटिफेक्शन में कौन-कौन से गांव सम्मिलित किये गये हैं? गॉवों की सूची सहित एवं रकबा सहित बतायें? (ग) डी.नोटिफेक्शन के प्रस्ताव क्या शासन ने मंजूर किये हैं? यदि हाँ, तो कब, नहीं तो कब तक मंजूर किये जायेंगे?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला शाजापुर में सर्किट हाऊस का निर्माण

3. (क्र. 107) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश के समस्त जिला स्तर पर सर्किट हाऊस का प्रावधान किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो जिला मुख्यालय शाजापुर सर्किट हाऊस की सुविधा से क्यों वंचित है? (ग) जिला शाजापुर के लिए कब तक सर्किट हाऊस स्वीकृत होगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल अनुपलब्ध होने के कारण। (ग) वर्तमान में तिथि बताना संभव नहीं है।

जबलपुर की नदियों की डेरियों को बंद किया जाना

4. (क्र. 137) श्री मोती कश्यप : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर की किन्हीं नदियों के तटों में दुग्ध उत्पादन करने वाली डेयरियां किसी योजना के अंतर्गत नगर निगम जबलपुर क्षेत्र से हटाकर किन्हीं ग्रामों में स्थापित की गई है? (ख) वर्ष 2010 के पूर्व किन डेयरियों से प्रदूषण प्रकाश में आया है और किन डेयरियों को सुधार हेतु नोटिस और योजनायें दी गई हैं और डेयरियों से मांग कर अनुमोदित की गई है? (ग) क्या मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने किन्हीं डेयरी मालिकों एवं एन.जी.ओ. की याचिका के निर्णयों में किन्हीं को कोई निर्देश दिये हैं और क्या प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिन डेयरियों को हटा दिया गया है और हटाया जा रहा है, वे प्रश्नांश (ग) परियोजना के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक न्यायोचित है? (घ.) नदियों में डेयरियों के प्रदूषण को बढ़ावा देने में कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं और क्या डेयरियों व नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाने एवं परियोजना को बनाये रखे जाने हेतु किन्हीं विशेषज्ञों से योजना बनवायी गई है और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लघु सम्पर्क मार्ग को स्वीकृत कर निर्माण कराना

5. (क्र. 140) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी मुख्यालय एवं ढीमरखेड़ा से जिला डिंडोरी के शहपुर व्हाया जबलपुर की दूरी कितने किलोमीटर है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता ने मा. मुख्यमंत्री जी को दिनाँक 15.09.2011 एवं 23.01.2014 को प्रस्तावित जिला कटनी की तहसील ढीमरखेड़ा से जिला उमरिया और डिंडोरी से जोड़ने हेतु किसी मार्ग का पत्र प्रस्तुत किया हैं और जिन पर क्या सचिव, मुख्यमंत्री ने दिनाँक 01.02.2014, विभाग ने दिनाँक 21.02.2014 और विभागीय प्रमुख अभियन्ता ने दिनाँक 07.03.2014 को किन्ही को कोई निर्देश दिये हैं और जिन पर कब किनके द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) मार्ग के 2 से 3 कि.मी वन व सघन वनक्षेत्र के प्रचलित मार्ग की तुलना में सिहोरा से उमरियापान, स्लीमनाबाद से विलायतकला, कटनी से विलायतकला, सरसवाही से बड़ागांव (निर्माणाधीन) मार्ग में वन व सघन वनक्षेत्र की लंबाई कितने किलोमीटर है? (घ) प्रश्नांश (ख) मार्ग का निर्माण होने से शहपुरा से ढीमरखेड़ा एवं कटनी मुख्यालय की दूरी कितनी कम हो जावेगी और उसके प्रारंभ होने वाले आवागमन से किन ग्रामों एवं कस्बों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा? (ड.) क्या प्रश्नांश-

(ख) मार्ग के प्रथम स्तरीय प्राक्कलन एवं डी.पी.आर की प्राक्कलित लागत कितनी है और उसका वर्ष 2015-16 के बजट में प्रावधान किया जाकर निर्माण प्रारंभ कराया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कटनी मुख्यालय से शहपुरा जिला डिण्डौरी व्हाया जबलपुर की दूरी 181.00 कि.मी. एवं ढीमरखेड़ा से शहपुरा जिला डिण्डौरी व्हाया जबलपुर की दूरी 163.00 कि.मी. है। (ख) जी हाँ, संलग्न प्रपत्रानुसार भेजे गये पत्र दिये गये निर्देश एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रशनांश (ख) मार्ग के 2 से 3 कि.मी. वन व संघन वन क्षेत्र के प्रभावित मार्ग की तुलना में सिहोरा (खितौला) से उमरियापान मार्ग कुल लंबाई 18.6 कि.मी. में 2 कि.मी. संघन वन एवं 3.00कि.मी. में सामान्य वन क्षेत्र है। सरसवाही से बडागांव (निर्माणधीन) में 4.00 कि.मी. संघन वन क्षेत्र एवं 6.20कि.मी. सामान्य वन क्षेत्र है। स्लीमनाबाद से विलायतकला मार्ग म.प्र.सड़क विकास निगम जबलपुर के अंतर्गत हैं तथा कटनी से विलायतकला मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.-78) का अंश भाग है। जिसकी दूरी लगभग 34 किमी है। किमी 14 से 18 कुल 5 किमी में विरल वन है। (घ) प्रशनांश (ख) मार्ग के निर्माण होने पर शहपुरा से ढीमरखेड़ा एवं कटनी मुख्यालय की दूरी लगभग 43.00 कि.मी. कम हो जावेगी तथा इस मार्ग के निर्माण सें इस क्षेत्र के ढीमरखेंडा, सगौना, कोठी, दादर, सिहुडी, महगंवा, छाहर, उमरपानी, बीजापुरी, बिलासपुर, डोगरगंवा, अतरिया, गाजर, बोहराकला, सरसवाही, मानिकपुर, शाहपुरा एवं आसपास के गांव के निवासियों को जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय चिकित्सालय तक पहुंचने की सुविधा होगी। (ड.) प्रशनांश (ख) मार्ग के प्रथम स्तरीय प्राक्कलन की लागत 1653.62 लाख है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आगामी बजट में शामिल किया जाना संभव हो सकेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।

<u>परिशिष्ट – "एक</u>"

<u>सिंगरौली में राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण</u>

6. (क्र. 190) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला सिंगरौली नगर पालिका निगम के अंतर्गत वार्ड क्रं. 42 में राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने हेतु दिनाँक 14/02/2014 को मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी और क्या जिलाध्यक्ष सिंगरौली द्वारा करीब 12 एकड़ भूमि का आरक्षण भी किया जा चुका है? (ख) यदि हाँ, तो शासन द्वारा इसके निर्माण के लिए बजट राशि स्वीकृत कर कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>84 नालों के बरसाती पानी की निकासी</u>

7. (क्र. 214) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर नगर में 84 नाले है? उक्त नालों के बरसाती पानी की निकासी हेतु क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं की गई तो क्या भविष्य में कोई योजना बनाई जायेगी? (ख) वर्तमान में उक्त 84 नालों के बरसात के पानी की निकासी कैसे अथवा कहाँ से की जा रही है? (ग) क्या नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्वर्ण रेखा नाले, फूलबाग एवं जलविहार पर वोट क्लब बनाया गया है? क्या इसमें स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों द्वारा नौका विहार किया जा रहा है? नौका विहार के

लिये स्वच्छ पानी कहाँ से एवं किस बांध से लाया जा रहा है? (घ) उक्त नाले पर वर्ष में कितने महीने लगातार नौका विहार किया जाता है? क्या स्वर्ण रेखा नाले में बरसात के समय 84 नालों के पानी का बहाव या निकासी होती है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी में मिलने वाले 84 नालों को चिन्हित किया गया है। नालों पर "नाला इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्सन स्ट्रक्चर" का निर्माण कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड ग्वालियर द्वारा किया जाकर रख रखाव के लिये नगर पालिक निगम, ग्वालियर को हैण्ड ओवर किया गया था। नालों की साफ सफाई एवं रख रखाव का कार्य नगर पालिक निगम, ग्वालियर द्वारा किया जाता है। नालों से बरसाती पानी की निकासी स्वर्ण रेखा नदी में होती है, नगर पालिक निगम, गवालियर द्वारा नालों को पक्का करने का डी.पी.आर. तैयार किया गया है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। नौका विहारके लिए सीवर का टीटेड पानी ट्यूबवेल के पानी का उपयोग किया जाता है। (घ) 3-4 माह। जी हाँ।

भगतपुरी औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों की जाँच

8. (क्र. 217) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नागदा खाचरौद विधानसभा स्थित भगतपुरी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए अभी तक क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये हैं? (ख) उपरोक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच क्या उच्च अधिकारी द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा जाँच की गई है? उन अधिकारियों के नाम एवं जाँच का दिनाँक क्या था?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) नागदा खाचरोद विधानसभा स्थित भगतपुरी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिये अभी तक निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गये है-1000 एम.एम.डाया आर.सी.सी. पुलिया 14नग, डब्ल्यू.बी.एम. डामरीकृत रोड 5.50 मीटर चौडी 656 मीटर, डब्ल्यू.बी.एम. डामरीकृत रोड 3.75 मीटर चौडी 636 मीटर, (ख) हाँ निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जाँच सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री, द्वारा कार्यो के दौरान की गई है। **1.** श्री एम.के.श्रोत्रीय, सहायक यंत्री दिनाँक 11.04.2013 से 15.07.2013 तक **2.** श्री एस.के.जैन, कार्यपालन यंत्री, दिनाँक 05.07.2013, 25.07.2013, 11.11.2014 एवं दिनाँक 13.11.2014

ग्राम बड़खेरा विकास खण्ड उचेहरा से बाक्साइड फैक्ट्री हटायी जाना

9. (क्र. 286) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विकास खण्ड उचेहरा अन्तर्गत ग्राम-बड़खेरा में प्रवीण कुमार प्रकाश कुमार, प्रभात कुमार मित्तल द्वारा बाक्साइड की फैक्ट्री लगाई गई है जो कि गाँव से लगभग 20 फीट पर लगी है तथा इससे निकलने वाले धुआँ एवं डस्ट से गाँववालों को जीवन जीना दुर्लभ हो गया है? यदि हाँ, तो इस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? इस बाक्साइड फैक्ट्री को कब तक हटाया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं।

सतना से चित्रकूट मार्ग का निर्माण

10. (क्र. 287) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के अन्तर्गत सतना से चित्रकूट सड़क मार्ग बी.ओ.टी. में बनाने का एग्रीमेंट

हुआ था जिसकी दूरी लगभग 75 कि.मी. है। अभी तक लगभग 37-38 कि.मी. सड़क मार्ग बनाया गया है, तथा शेष कार्य नहीं किया जाकर वसूली के लिए बैरियर लगा दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) बैरियर के आगे सड़क का कार्य कब तक पूरा करा लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, जिसकी कुल लंबाई 74.132 कि.मी. थी। अभी तक 40.02 कि.मी. का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अत: अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रथम होमोजीनियस सेक्शन का कार्य पूर्ण होने पर वसूली के लिये बैरियर लगा दिया गया है। (ख) होमोजीनियस सेक्शन-2 में कन्सेशनायर द्वारा मार्ग पर कार्य बन्द रखा गया है। कन्सेशनायर को अनुबंध निरस्तीकरण का नोटिस दिनाँक 24.01.2015 को दिया गया है।

चीलर नदी (शाजापुर शहर) का सौन्दर्यीकरण

11. (क्र. 309) श्री अरूण भीमावद : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन स्तर पर शहरों के मध्य बहने वाली नदियों का पर्यावरण की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण करने की योजना है? (ख) यदि है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शाजापुर नगर में प्रवास एवं रात्रि विश्राम के दौरान की गई घोषणानुसार नगर के मध्य बहने वाली चीलर नदी का पर्यावरण की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण की योजना लंबित है? (ग) यदि लंबित है, तो इसकी स्वीकृति कब तक होगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में चीलर नदी में मिलने वाले गन्दे पानी को रोकने के लिए सीवर लाईन एवं अन्य कार्यो का एप्को द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराने की कार्यवाही प्रचलित है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पंचकोशी मार्ग पर वृक्षारोपण

12. (क्र. 693) श्री अनिल फिरोजिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले में पंचकोशी मार्ग पर वृक्षारोपण कार्य विभाग द्वारा किया जाना तय किया गया था? यदि हाँ, तो अब तक उक्त मार्ग पर कितने वृक्ष लगाये गये? (ख) उक्त मार्ग पर वृक्षारोपण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? (ग) आवंटित राशि से कितने पौधे एवं ट्री गार्ड किस दर पर क्रय किये गये? उक्त क्रय किस व्यक्ति अथवा फर्म से किया गया? व्यय किन-किन कार्यों हेतु किया गया मदवार ब्यौरा देवें? (घ) पंचकोशी मार्ग पर किये गये वृक्षारोपण में वृक्षों की वर्तमान में क्या स्थिति है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) जी हाँ। पंचकोशी मार्ग पर 47, 002 पौधे लगाये गये जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में राशि रूपये 5, 34, 21, 502 का आवंटन प्राप्त हुआ। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है**। (घ) वर्ष 2013 के रोपण में 92.22 प्रतिशत एवं वर्ष 2014 के रोपण के 96.96 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

परिशिष्ट – "दो"

काली सिंध नदी पर घाट निर्माण एवं स्टाप डेम निर्माण

13. (क्र. 708) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पंचायत सोनकच्छ द्वारा नगर की कालीसिंध नदी पर सुरम्य घाट निर्माण

कर नौकाविहार का कार्य प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही चल रही है? (ख) क्या नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगर पंचायत द्वारा जल व्यवस्था हेतु नवीन स्टॉप डेम बनवाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कब तक, समयसीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। योजना का परीक्षण किया जा रहा है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सोनकच्छ नगर में भव्य बगीचा निर्माण

14. (क्र. 709) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पंचायत सोनकच्छ द्वारा नगर में भव्य बगीचा निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो किस प्रक्रिया के अधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? नगरवासियों के हित में भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव बनेगा या नहीं? (ख) क्या नगर में भव्य बगीचा निर्माण हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध है? जिस पर भव्य बगीचा निर्माण कराया जा सके?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। नगर परिषद सोनकच्छ व्दारा इन्टेकवेल परिसर में बगीचा निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। (ख) जी हाँ।

खंडवा जिले में सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितता

15. (क्र. 982) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिला के खंडवा-डुल्हार मार्ग लगभग 16 किलोमीटर को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की समय सीमा क्या है? (ख) विगत एक वर्ष से निर्माण कार्य बन्द होने से खंडवा से बुरहानपुर मार्ग पर चलने वाली अन्तर्प्रांतीय बसों के मालिक एवं यात्रियों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी उसके लिए कौन जिम्मेदार है लोक निर्माण विभाग या सम्बंधित ठेकेदार? (ग) यदि हाँ, तो सड़क मार्ग निर्माण में लापरवाही करने वाले ठेकेदार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही कब-कब की गई? (घ) व्यापक जनहित में खंडवा-डुल्हार सड़क मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा? क्या समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाली कम्पनी/ठेकेदार पर पेनाल्टी की राशि वसूल की जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) खण्डवा-डुल्हार मार्ग की स्वीकृति दिनाँक 12.04.2013 को प्रदान की गई थी। अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की दिनाँक 11.01.2015 थी। (ख) खनिज उत्खनन हेतु ठेकेदार को पर्यावरण विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति न मिलने के कारण कार्य की गति धीमी रही है, अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्य की गति बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा ठेकेदार को समय समय पर नोटिस दिया गया। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति मिलने पर कार्य यथा संभव शीघ्रता से पूर्ण करा लिया जावेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। ठेकेदार द्वारा समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर अनुबंध के निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नव गठित नगर पालिकाओं की स्थापना

16. (क्र. 1017) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितनी नव गठित नगर पालिकाओं की स्थापना वर्ष 2014-15 में की गई है? (ख) नव गठित नगर पालिकाओं में से कितनी नगर पालिकाओं का कार्य सम्पादित करने हेतु शासन द्वारा नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति/कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? (ग) नव गठित नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग में नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति एवं कार्यालय खोलने की अनुमति कब तक प्रदान की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) एक नगरपालिका। नवगठित नगरपालिका मकरोनिया बुजुर्ग में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पदस्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कार्यालय खोलने हेतु शासन अनुमति आवश्यक नहीं है।

खुरई बस स्टेण्ड का निर्माण

17. (क्र. 1018) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर निगम द्वारा खुरई बस स्टेण्ड निर्माण हेतु योजना/निर्माण कार्य/विस्थापित करने हेतु योजना लंबित है? (ख) क्या नगर निगम सागर द्वारा पूर्व में उक्त बस स्टैण्ड हेतु कोई राशि आवंटित की गई थी? यदि की गई थी तो कब और कितना निर्माण कार्य हुआ? (ग) नगर निगम सागर, खुरई बस स्टेंड का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रकरण समय वृद्धि हेतु मेयर-इन-काउंसिल के समक्ष विचाराधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- "तीन"

वन विभाग द्वारा अशोक नगर जिले में अतिक्रमण हटाने के संबंध में

18. (क्र. 1144) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर जिले में पिछले 1 वर्ष में किस-किस गांव में कितने-कितने अतिक्रमण वन विभाग ने हटाये? कितने व किस-किस व्यक्ति के मकान बुलडोजर टेकर या अन्य प्रकार से किस तिथि को तोड़े, तथा प्रभावित लोगों के मकान हेतु भूमि देकर पुर्नवास हेतु जिलाधीश व वन विभाग ने क्या कार्यवाही की? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधीश अशोक नगर को लिखे पत्र जिसमें कहा गया था कि अशोक नगर शहर के मध्य में पिपरई व अथाईखेड़ा में भू-माफियों ने करोड़ों की भूमि पर कब्जा कर रखा है? शासकीय भूमि का अतिक्रमण नहीं हटाकर तहसीलदार व एसडीओ, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं व हटा नहीं रहे हैं, जबकि वन विभाग गरीबों के मकान बिना पुर्नवास की व्यवस्था के तोड़ रहा है? जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की? क्या वन विभाग को जिलाधीश का उक्त पत्र व निर्देश मिला या नहीं? (ग) चंदेरी के किस गांव में वन विभाग व नागरिकों के बीच पत्थर बाजी व गोली चलने की घटना पर क्या कार्यवाही वन विभाग व जिलाधीश ने की? घटना की तिथि व विवरण देते हुए बतायें कि मृत व घायलों की क्या व्यवस्था हुई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में वन विभाग द्वारा किसी भी गांव में न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही किसी व्यक्ति का मकान, बुल्डोजर, टैंकर

या अन्य प्रकार से तोड़ा गया है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत अतिक्रमण हेतु दर्ज वन अपराध प्रकरणों में अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वेच्छा से कब्जा हटाकर वनभूमि मुक्त की गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वन विभाग अशोकनगर को प्रश्नांकित पत्र अथवा निर्देश प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं है। (ग) चन्देरी के कुंवरपुर ग्राम के समीपस्थ वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त भूमि पर वानिकी कार्य के अंतर्गत भू-जल संरक्षण का कार्य किये जाने के दौरान दिनाँक 6 नवम्बर, 2014 को ग्रामीणों द्वारा वन अमले पर पथराव किया जाकर गोली चलाई गई। घटना में कोई भी मृत नहीं हुआ तथा घायल वन कर्मचारियों का उपचार चन्देरी एवं अशोकनगर चिकित्सालय में कराया गया। इस घटना की प्राथमिकी पुलिस थाना चंदेरी में उपद्रवियों के विरूद्ध दर्ज कराई गई। कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा उक्त घटना की जाँच कराई जा रही है।

परिशिष्ट – "चार"

नवीन पुल निर्माण की स्वीकृति

19. (क्र. 1208) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिला मुख्यालय पर सीप नदी के सोनघटा पर किले के नीचे सेतु निर्माण निगम द्वारा नवीन पुल का प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया हैं यदि हाँ, तो कब अवगत करावें? (ख) उक्त भेजा गया प्रस्ताव/प्राक्कलन वर्तमान में किस स्तर पर लंबित हैं कितनी राशि का हैं? (ग) क्या सीप नदी के बायें तरफ बसे लगभग एक दर्जन ग्रामों के नागरिकों को वर्तमान में 10 से 15 मि.मी. की दूरी तय कर या फिर हर मौसम में नाव के जरिये सीप नदी पार करके जिला मुख्यालय आना जाना पड़ता हैं उक्त पुल के निर्माण के बाद नागरिकों को सीधे आने जाने की सुविधा प्राप्त हो जावेगी? (घ) यदि हाँ, तो जिले के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नांश (क) में वर्णित पुल के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में राशि की व्यवस्था करके स्वीकृति प्रदान करेंगे, यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। (घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सीप नदी पर पुलिया निर्माण

20. (क्र. 1211) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नयागांव व फतेहपुर के बीच से गुजर रही सीप नदी पर पुलिया निर्माण का प्रस्ताव बीआरजीएफ योजनांतर्गत तैयार करके सेतु निर्माण निगम द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पुलिया की लागत व उक्त प्रेषित प्रस्ताव/प्राक्कलन वर्तमान में किस स्तर पर लंबित है? इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? (ग) क्या शासन, प्रश्नांश (क) में वर्णित पुल के निर्माण हेतु वर्ष, 2015-16 के बजट में राशि का प्रावधान करके प्रस्ताव/प्राक्कलन को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>वृक्षों की अवैध कटाई एवं छिलाई</u>

21. (क्र. 1212) श्री दुर्गालाल विजय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर वनमण्डल अंतर्गत वन क्षेत्र में 1 जनवरी, 2013 से वर्तमान तक की अवधि में अवैध वृक्षों की कटाई/छिलाई के कितने प्रकरण बनाये गये, प्रकरणवार, दिनाँक/स्थान, वन सम्पदा का मूल्य/मात्रा सहित दोषी वन माफियाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त वन क्षेत्र में सभी प्रकार के वृक्षों की छाल छीलने पर पूर्णत: प्रतिबंध है, इसके बावजूद वन माफियाओं द्वारा कीमती वृक्षों की छाल अवैध रूप से छिलवाकर उसका संग्रहण कर रहे हैं? (ग) क्या उक्त अवधि के दौरान वन क्षेत्र में दो-तीन बार लगभग 300 क्विंटल कीमती छाल छापा मारकर अमले द्वारा जप्त तो की गई, लेकिन दोषी वनमाफियाओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, और तत्समय ही जप्त छाल को उन्हीं के सुपुर्द कर दिया? (घ) क्या उक्त छाल को छीलने पर हजारों वृक्षों को क्षति पहुंची, के बदले में संबंधित अमले को दण्डित करने के बजाय उन्हें पुरस्कृत भी किया गया? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पूरे मामले की जाँच कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांकित क्षेत्र में वृक्षों की छाल को छिलवाकर संग्रहण करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। (ग) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में अपराधियों के विरूद्ध 3 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये जाकर जप्त छाल अपराधियों की सुपुर्दगी में नहीं दी गई। (घ) जी नहीं। छाल के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज करने पर वन अमले की साहसिक कार्यवाही के लिये उन्हें प्रशंसा पत्र एवं नगद पुरस्कार दिया गया। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>आकस्मिक निधि से कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी</u>

22. (क्र. 1602) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में विधानसभा क्षेत्र हटा की नगरपालिका परिषद हटा में कितने कर्मचारी आकस्मिक निधि से कार्य कर रहे हैं? (ख) शासन के आदेश, जिसमें 10-12 वर्ष पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख है, उसके आधार पर कितने कर्मचारियों को नगरपालिका परिषद हटा द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) नगर पालिका परिषद हटा जिला दमोह का स्थापना व्यय निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण, निकाय द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है।

<u>अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं में अनियमितताएं</u>

23. (क्र. 1778) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा प्रादेशिक राजमार्गों के सम्पूर्ण नेटवर्क के विकास के मुख्य उत्तरदायित्व के साथ ही म.प्र. सड़क विकास निगम को प्रादेशिक राजमार्ग प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो सड़क विकास निगम द्वारा वर्ष, 2009-10 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी सड़कें/परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई, तथा उन पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ? (ग)

सागर संभाग अंतर्गत अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं के लिए कौन दोषी हैं? (घ) वर्ष, 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक ऑडीटर की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी कमियां प्रकाश में आईं? यदि हाँ, तो कौन-कौन अधिकारी जवाबदेह हैं? उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) निर्माण एजेन्सी/निवेशकर्ता। (घ) जी नहीं। आडिट रिपोर्ट में कोई कमिया नहीं दर्शायी गई है वरन उनके द्वारा अनुसंशाये की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "पांच"

सिहोरा से सिलौण्ड़ी बी.ओ.टी. मार्ग का निर्माण

24. (क्र. 1975) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा से सिलौण्डी बी.ओ.टी. सड़क निर्माण में किन-किन ग्रामों में प्राक्कलन अनुसार नाली निर्माण एवं क्षतिग्रस्त नल जल योजना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन ग्रामों में नाली/नल जल योजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका हैं, किन-किन ग्रामों में नाली निर्माण का कार्य शेष है? कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा, समय सीमा बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) मार्ग में खितौला से बाईपास सड़क बनाया जाना प्रस्तावित थी, अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ? कब तक बाईपास का कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** नल जल योजना का कार्य इस अनुबंध में सम्मिलित नहीं है, परन्तु निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही पाईप लाईन के विस्थापन के किये गये कार्य की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) अनुबंध के अनुसार नाली का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कोई कार्य शेष नहीं है। पाईप लाईन के विस्थापन के अंतर्गत किये गये कार्य की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। अनुबंध में खितौला बायपास मार्ग का निर्माण प्रस्तावित नहीं था, परन्तु खितौला में फोरलेन का निर्माण न हो पाने के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि की मांग पर खितौला बायपास निर्माण का प्रस्ताव वेरियेशन के अंतर्गत है दिनाँक 19.02.2015 को उक्त बायपास मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

परिशिष्ट – "छः"

उत्तर वन मंडल सागर द्वारा कराये गये विकास कार्यों की जानकारी

25. (क्र. 2008) श्री महेश राय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना अंतर्गत उत्तर वनमंडल सागर द्वारा कराये गये विकास कार्य जैसे तालाब, स्टापडेम, वृक्षारोपण एवं भवन निर्माण, सड़क निर्माण वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कहाँ-कहाँ, कितनी लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य किस मद से स्वीकृत हुये एवं उसके निर्माण की एजेंसी किसे और किस माध्यम से बनाया गया हैं? (ग) यदि हाँ, तो विधिवत टेण्डर या कोटेशन आमंत्रित किये गये? यदि हाँ, तो किसके नाम स्वीकृत हुआ, तथा किस निर्माण कार्य में, किस दर से, कितनी राशि व्यय की गयी है? (घ) स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? कार्य कितने पूर्ण हुये एवं कितने अपूर्ण हैं, सूची प्रदाय करें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) प्रश्नाधीन क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत कार्य, लागत, व्यय, भौतिक स्थिति व पूर्ण/अपूर्ण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। स्वीकृत निर्माण कार्य विभागीय रूप से कराये गये हैं, अत: कार्य किसी के नाम स्वीकृत कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज, वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी संबंधी स्वीकृत कार्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत जॉब दर एवं भवन निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. की प्रचलित सी.एस.आर. दर पर कराये गये।

परिशिष्ट – "सात"

बीना नगर की विकास कार्य योजना 2011-2021 का प्रकाशन

26. (क्र. 2010) श्री महेश राय : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना नगर की विकास कार्य योजना 2011-2021 का प्रकाशन प्रश्न दिनाँक तक नहीं किया गया है, क्यों अवगत करावें? (ख) यदि योजना लंबित है, तो किस स्तर पर, कब तक निराकरण कर लिया जावेगा? (ग) क्या योजना लंबित होने से आम नागरिकों को परेशानी हो रही है जिससे विकास कार्य बाधित हो रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार विकास कार्य योजना का प्रकाशन कब तक होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बीना निवेश क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप दि. 02.12.11 को प्रकाशित किया गया है। (ख) विकास योजना को अंतिम रूप देने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जी नहीं। बीना निवेश क्षेत्र की विकास योजना 2011 वर्तमान में प्रभावशील होने से विकास अनुमति दिये जाने में कोई बाधा नहीं है। (घ) उत्तरांश क एवं ख अनुसार। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शुष्क शौचालय का जलवाही शौचालय में परिवर्तन

27. (क्र. 2022) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना न.पा. क्षेत्र में मैला सिर पर ढ़ोने की प्रथा चालू है या बन्द है एवं क्या गुना न.पा. क्षेत्र में कई परिवार हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, क्या गुना न.पा. क्षेत्र में पुरानी छावनी, मातापुरा केन्ट, तलैया मोहल्ला एवं पिछड़ी बस्ती में लोग खुले में शौच को जाते हैं? शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालय में बदलने की शासन की क्या रूपरेखा है? (ख) क्या वर्ष, 2004-05 में 750/- में शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालय में बदलने के लिऐ गुना न.पा. में भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं शिकायत मिलने पर उपसंचालक न. प्रशासन, ग्वालियर ने प्रथम अपील आदेश क्र. जू.अ. 36/2007, अपील गुना 6545 सीएमओ, नगरपालिका, गुना को भौतिक सत्यापन के आदेश दिये थे? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित शौचालय के निर्माण की आधी लागत राशि हितग्राही से वसूल किये जाने का योजना में प्रावधान था? न.पा. परिषद, गुना ने कितनी राशि वसूल की एवं कितनी शेष है? सक्षम कार्यवाही की जानकारी दें? (घ) शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालय में बदलने के लिऐ सनिर्माण प्रतिबंध अधिनियम, म.प्र. में 19.11.1997 से प्रभावशील है, के संदर्भ में गुना न.पा. क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में विभाग ने कितने प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही की?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) बन्द है। जी हाँ। जी हाँ। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के तहत खुले में शौच को प्रतिबंधित करने हेतु व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का

प्रावधान है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर से जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। (ग) जी हाँ, नगरपालिका गुना व्दारा कोई राशि वसूल नहीं की गई है। राशि रूपये 10.51 लाख की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) निरंक।

गुना में सीमेंट-कांक्रीट रोड़ का निर्माण कार्य

28. (क्र. 2023) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना न.पा. क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी., लाहोटी जी के निवास के सामने बनी सीमेंट क्रांकीट रोड़ का निर्माण कार्य कब हुआ, कार्य की लागत क्या थी, प्रश्नांकित रोड़ प्राक्कलन पर सक्षम टी.एस. प्राप्त की थी कि नहीं? यदि सक्षम टी.एस. प्राप्त की थी तो तकनीकी शाखा की निगरानी में डली इस रोड़ की उम्र कितनी थी? (ख) क्या वर्तमान में निर्माण के कुछ समय (चंद माह) बाद ही क्या प्रश्नांकित मार्ग की हालत दयनीय हो चुकी है? यदि हाँ, तो शासन ने दोषी अधिकारी एवं तकनीकी कर्मियों के प्रति क्या कार्यवाही की या की जावेगी? (ग) प्रश्नांकित मार्ग को विभाग ने कब डामरीकृत किया, लागत क्या थी? क्या सीमेंट कांक्रीट रोड पर डामरीकृत सड़क बिछाना तकनीकी दृष्टि से उचित है नहीं, तो शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? (घ) क्या प्रश्नांकित सीमेंट-कांक्रीट रोड़ पर डाली डामरीकृत सड़क वर्तमान में आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त दयनीय हो चुकी है एवं उक्त मार्ग आवागमन के अनुकूल नहीं रह गया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांकित मार्ग की कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं करने प्रश्नांकित सीसी रोड़ पर डामरीकृत सड़क बिछाने वाले विधि विरूद्ध कार्य के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की अथवा की जावेगी एवं उक्त मार्ग का निर्माण कब होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) वित्त वर्ष 2008-09। राशि रू. 6.00 लाख। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। कांक्रीट सड़कों की डिजायन 30 वर्ष के लिए की जाती है। (ख) कांक्रीट रोड़ का कार्य, तीन वर्ष की गारंटी पीरियड पर कराया गया था, कांक्रीट रोड़ की सरफेश उखड़ जाने से ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य नहीं करने पर जमा सुरक्षा राशि रू; 81, 244/- राजसात कर ली गई है। (ग) वित्त वर्ष 2012-13 राशि रू. 6.90 लाख। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। डामरीकरण का कार्य तीन वर्ष की गारंटी पीरियड में कराया गया है, जिससे ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार सुधार कार्य किया जाता है।

खेल परिसर एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना

29. (क्र. 2041) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में खेल परिसर तथा मिनी स्टेडियम बनाये जाने के प्रस्ताव कहाँ-कहाँ के विचाराधीन हैं, तथा क्यों, कारण बतावें? (ख) फरवरी, 2015 की स्थिति में उक्त जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेल सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ग) 1 जनवरी, 2013 से फरवरी, 2015 तक खेल सुविधाऐं उपलब्ध कराने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने क्या-क्या गतिविधियां संचालित की? (घ) वर्ष, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में उक्त जिलों में कितनी राशि प्राप्त हुई, तथा कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों में व्यय की गई, पूर्ण विवरण दें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) :(क) रायसेन एवं देवास जिले में खेल परिसर तथा मिनी स्टेडियम बनाये जाने के कहीं के भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जारी प्रयासों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार** है, जिसमें देवास व रायसेन जिले भी सम्मिलित हैं। (ग) प्रश्नांकित अवधि में संचालित विभागीय गतिविधियों की **जानकारी भी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार** है। (घ) वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक दोनों जिलों में प्राप्त राशि जहाँ-जहाँ जिन-जिन कार्यों में जितनी व्यय हुई इसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ख' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "आठ"

नील गायों से फसलों का नुकसान

30. (क्र. 2116) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में नील गायों की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो इस समस्या से स्थायी समाधान के लिये शासन के पास क्या योजना है? (ग) कृषि क्षेत्र से नील गायों को हटाने के लिये एवं किसानों की फसलों को नष्ट होने से रोकने के लिये शासन की क्या योजना है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) इस समस्या के समाधान हेतु मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना एफ 22/285/99/10-2, दिनाँक31.05.2000 एवं समसंख्यक निर्देश दिनाँक 21 सितम्बर, 2000 द्वारा संबंधित किसान के खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रही नीलगाय/नीलगायों को खेत में ही मारने हेतु लिखित अनुमति जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत वन्यप्राणियों द्वारा फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति का भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मनगवाँ, चाकघाट फोरलेन रोड़ निर्माण

31. (क्र. 2122) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में मनगवाँ से चाकघाट फोरलेन रोड़ निर्माण का कार्य, क्या वर्तमान में बन्द है? यदि हाँ, तो क्यों, कारण सहित बतायें? (ख) बन्द कार्य कब से प्रारंभ होगा, समयसीमा बतायें? (ग) मनगवां से चाकघाट फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा, समयसीमा सहित बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय संसाधनो की कमी के कारण कार्य लंबित किया गया है। (ख) बंद कार्य को द्रुत गति से प्रारंभ करने हेतु निवेशकर्ता के साथ दिनाँक18.02.2015 को बैठक की गई निवेशकर्ता द्वारा मार्च प्रथम सप्ताह से कार्य प्रारंभ करने हेतु वादा किया गया है। (ग) कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनाँक 14.04.2015 है परन्तु कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करना संभावित है।

सीधी ब्यौहारी मार्ग पर पुलिया निर्माण

32. (क्र. 2178) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के सीधी ब्यौहारी मार्ग में ग्राम पहडिया के पास ओदारी नदी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त नदी में बना रपटा अत्यंत पुराना है और पूरी तरह क्षतिग्रस्त है? (ख) क्या बरसात के मौसम में उपरोक्त ओदारी नदी में क्षतिग्रस्त रपटा के कारण आवागमन बाधित होता है? यदि हाँ, तो उपरोक्त नदी में नवीन पुल का निर्माण कार्य जनहित में कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक पूरा किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, रपटा क्षतिग्रस्त है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में न तो स्वीकृत है, और न ही प्रस्तावित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अत: निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

वन परिक्षेत्रानुसार प्राप्त राशि का व्यय

33. (क्र. 2209) श्री संजय उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग द्वारा बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वन परिक्षेत्रानुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद/ योजना में कार्यों हेतु प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि का किन-किन कार्यों में व्यय किया? इसका सत्यापन किस अधिकारी ने किया? (ग) प्राप्त राशि से कराये गये निर्माण कार्यों / सामग्री हेतु क्या निविदा आमंत्रित की गई? यदि हाँ, तो सफल निविदाकार का नाम एवं स्वीकृत दर बतावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) :(क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र-'अ' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र-'ब' अनुसार** है।

उद्योग स्थापित करने हेतु एम.ओ.यू.

34. (क्र. 2291) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गत तीन वर्षों में जिला गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग ने व्यापारियों से एम.ओ.यू. अनुबंधित कराये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कब तक प्रारंभ होगें? (ख) क्या स्पाईस पार्क गुना के संचालन हेतु कई उद्यामियों ने गत दो वर्षों में उद्योग स्थापना की रूचि दिखाई है? क्या विभाग ने कोई कार्ययोजना बनाई है, स्पाईस पार्क चालू है या बंद है? (ग) क्या गुना जिले में गत दो वर्षों में या भविष्य में कोई नवीन उद्योग चालू होने की कार्य योजना है? यदि हाँ, तो क्या नवीन उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में विभाग द्वारा कोई प्रशासनिक या वित्तीय मदद मिलती है तो बतायें? (घ) क्या विभाग द्वारा या केन्द्र शासन द्वारा स्पाईस पार्क स्थापित होने के बाद नवीन उद्योग या प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित कराने की कोई कार्ययोजना है कि नहीं? क्या स्पाईस पार्क को प्राईवेट ठेके पर नियम विरूद्ध दे दिया है? यदि हाँ, तो कौन को किस उद्देश्य से, कारणों सहित विवरण दें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों में उद्योग स्थापित करने हेतु गुना जिले में 17, शिवपुरी जिले में 11तथा अशोक नगर जिले में 6 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** कुल 34 एमओयू मे से 7 में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। शेष के संबंध में समयसीमा दी जाना संभव नहीं है। (ख) गुना जिले में

स्पाईस पार्क की स्थापना, स्पाईस बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा की गई है। स्पाईस बोर्ड का संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। स्पाईस बोर्ड कोचिन अनुसार स्पाईस पार्क गुना हेतु मध्यप्रदेश के 15 उद्यमियों ने उद्योग स्थापना की रूचि दिखाई है। स्पाईस पार्क, गुना में प्रोसेसिंग सुविधा स्थापित हो कर संचालित है। (ग) गुना जिले में गत 2वर्षों में स्थापित नवीन उद्योग तथा भविष्य में स्थापित होने वाले प्रस्तावित उद्योगों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014के तहत नवीन उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में सुविधायें एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। (घ) स्पाईस बोर्ड कोचिन अनुसार भारत सरकार द्वारा उच्च तकनीकी की प्रोसेसिंग सुविधा स्पाईस पार्क गुना में स्थापित करने की स्वीकृति दी है। स्थानीय कृषक समुदाय को लाभान्वित करने की दृष्टि से स्पाईस बोर्ड स्पाईस पार्क में प्रोसेसिंग सुविधा के संचालन हेतु पारदर्शी तथा सक्षम प्रक्रिया से निजी उद्यमी का चयन करती है। स्पाइस बोर्ड द्वारा स्पाईस पार्क गुना में स्थापित स्पाईस प्रोसेसिंग यूनिट तथा वेयर हाउस को मेसर्स पी.सी.कन्नन एंड कंपनी इंदौर को किराये पर दिया गया है।

नवीन मास्टर प्लान की स्थिति

35. (क्र. 2348) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर का मास्टर प्लान कब तक प्रभावशील था? (ख) नवीन मास्टर प्लान की क्या स्थिति है? कब तक तैयार होकर लागू हो जायेगा? (ग) जब तक नवीन मास्टर प्लान लागू नहीं हो जाता, उस समय तक भवन एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति किन नियमों के तहत की जाती है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) सागर विकास योजना विभागीय अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-57-99-32 दिनाँक 18/2/2000 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनाँक 3/3/2000 से प्रभावशील की गई है। विकास योजना वर्ष 2011 के लिये तैयार की गई थी, जिसके प्रस्ताव वर्तमान में भी प्रभावशील है। (ख) सागर विकास योजना प्रारूप 2031 का प्रकाशन 28/2/2014 को किया गया। विकास योजना धारा 19 के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जब तक नवीन विकास योजना लागू नहीं हो जाती तब तक विकास अनुज्ञायें विकास योजना 2011, तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है।

राजघाट पेयजल योजना में डेम निर्माण

36. (क्र. 2352) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगर पालिक निगम के द्वारा हुडकों से लोन लेकर राजघाट पेयजल योजना सागर में डेम का निर्माण एवं मुआवजा वितरण कार्य किया गया है? (ख) उपरोक्त कार्यो में कब और कितनी राशि व्यय की गई? क्या उक्त डेम नगर पालिका निगम सागर को हस्तांतरित किया गया है? (ग) क्या इस डेम में मछली पालन हेतु ठेका दिया गया है यदि हाँ, तो किस विभाग के द्वारा कितनी राशि में ठेका दिया गया है? (घ) डेम से होने वाली आय पर किसका अधिकार है? क्या नगर पालिका निगम सागर की सहमति से ठेका दिया गया है एवं डेम से होने वाली आय निगम को प्राप्त हो रही है? यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ, डैम का निर्माण कार्य की एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग था एवं भूमि के मुआवजे का निवारण जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जी नहीं। (ग) जी हाँ, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित, (सह.) मर्यादित द्वारा 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट हेतु राशि रू. 1,75,27,500/- में ठेका दिया गया है। (घ) डैम से होने वाली आय पर मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित भोपाल का अधिकार है। जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 16-3/2013/36 दिनाँक 30.09.2013 द्वारा राजघाट जलाशय में मत्स्य पालन का अधिकार मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सह) मर्यादित, भोपाल को हस्तांतरित किया गया है।

परिशिष्ट – "नौ"

आउट सोर्सिंग के जरिये विभागों में नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति

37. (क्र. 2363) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आऊट सोर्सिंग में सफाई कर्मचारी, स्वीपर तथा सिक्यूरिटी गार्ड की नियुक्ति के क्या नियम हैं? (ख) मन्दसौर जिले में आऊट सोर्सिंग में नियुक्त कर्मचारियों को विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था या एन.जी.ओ. द्वारा नियुक्ति दी गई थी? यदि एन.जी.ओ. द्वारा नियुक्ति दी गई थी, तो स्वास्थ्य विभाग का इस नियुक्ति में क्या दायित्व था? (ग) मन्दौर जिले में विगत 2 वर्षों में आऊट सोर्सिंग में सफाई कर्मचारी, स्वीपर तथा सिक्यूरिटी गार्ड की भर्तियॉ किस नियम के अन्तर्गत की गई थी? जिन व्यक्तियों को इस नियम के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई थी, उनके नियुक्ति स्थान तथा पद के नाम की जानकारी देवें? (घ) कुछ माह पश्चात सेवानिवृत्त कर दिया गया इसका क्या कारण है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

शिप्रा का शुद्धिकरण

38. (क्र. 2417) डॉ. मोहन यादव : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर शिप्रा नदी में मिलने वाले नालों, नदियों के संबंध में ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो शिप्रा नदी में मिलने वाले नालो, नदियों के ट्रीटमेंट प्लान्टों की क्या स्थिति है? इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर विभाग द्वारा कब-कब किस-किस सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में 01 जनवरी 2013 के पश्चात् कहाँ-कहाँ पर बैठकों का आयोजन किया गया? इन बैठकों में कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के उत्तर में कोई भी जनप्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था तो उन्हें किस नियम/मापदण्ड के अंतर्गत आमंत्रित नहीं किया गया था? इस संबंध में कौन दोषी है।

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

39. (क्र. 2441) डॉ. मोहन यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में धर्मस्व विभाग में पुराने जीर्ण-शीर्ण मंदिरों की संख्या कितनी है? वे कहाँ-कहाँ स्थित है? क्या आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए शासन

द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटित किया जायेगा? हाँ तो कितनी राशि आवंटित की जायेगी? नहीं तो क्यों कारण बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित मंदिरों को बचाने के लिए शासन की क्या कार्य योजनाएं हैं और इसे पूर्ण कब तक कर दिया जायेगा? किन-किन मंदिर में पुजारी नियुक्त हैं एवं किन-किन मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति होना है? जहाँ पुजारी नहीं हैं वहाँ पुजारियों की नियुक्ति कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>वन विभाग की पौध शालाओं की जानकारी</u>

40. (क्र. 2477) श्री सतीश मालवीय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में वन विभाग द्वारा कितनी पौध शालाएं कार्यरत हैं? इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) उक्त पौधशालाओं में कितने पौधे एक जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक तैयार किये है? उन पर कितना खर्च आया? (ग) प्रश्नांक (ख) में तैयार किये गये पौधों को कहाँ-कहाँ संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि में दिये गये? (घ) वन विभाग द्वारा विकासखण्डवार चिन्हित कर कहाँ-कहाँ तार फेंसिग कर पौधों को लगाया गया, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? प्रश्नांक (ग) में लगाये गये तारों की मोटाई क्या है? सीमेंट पोल एवं तार किस फर्म से कितनी राशि में खरीदे गये? खरीदी हेतु क्या क्रय नियमों का पालन किया गया? पोल एवं तार की क्वालिटी की जाँच कब-कब किस-किस सक्षम अधिकारी ने की? क्या तार एवं पोल (सीमेंट) नियमानुसार थे? जानकारी उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) उज्जैन जिले में वन विभाग की 3 पौधशालाओं/ रोपणियों में 4 कर्मचारी कार्यरत हैं। (ख) प्रश्नांकित अवधि में 8, 42, 069 पौधे तैयार किये गये जिस पर राशि रूपये 51, 82, 007 का व्यय हुआ। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट –'अ' अनुसार** है। (घ) प्रश्नांकित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। उत्तरांश 'ग' में उल्लेखित कार्यों में तार का उपयोग नहीं किया गया है अतएव तारों की मोटाई बताने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। सीमेन्ट पोल्स मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल से रूपये 62, 45, 400/- में खरीदे गये हैं, जिसमें क्रय नियमों का पालन किया गया। पोल एवं चैनलिंक की क्वालिटी की जाँच तत्कालीन उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई है, जाँच तिथियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। क्रय की गई चैनलिंक एवं सीमेन्ट पोल नियमानुसार थे।

<u>परिशिष्ट – "दस</u>"

<u>डग- सुसनेर मार्ग पर पुल निर्माण</u>

41. (क्र. 2511) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रान्तर्गत निर्मित डग-सुसनेर मार्ग की लागत क्या थी? डी.पी.आर की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) निर्मित डग- सुसनेर मार्ग में कितने पुलों/पुलियाओं का निर्माण होना था? इनमें से कितनों का निर्माण किया गया एवं कितने शेष है? पृथक-पृथक विवरण देवें? (ग) क्या उक्त मार्ग अन्तर्गत कंठाल नदी पर पुल निर्माण किया जाना था? यदि हाँ, तो पुल निर्माण कब तक होना था? क्या निर्धारित अवधि में पुल का निर्माण नहीं किए जाने पर जाँच की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि

हाँ, तो कब तक एवं पुल निर्माण कब तक हो जाएगा? (घ) म.प्र. में विभाग के ऐसे कितने मार्ग है जिन पर विगत तीन वर्षों में स्वीकृत पुलों का निर्माण तय समय-सीमा में नहीं किया गया है एवं इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रशासकीय स्वीकृति 429.05 लाख रू. थी। डी.पी.आर. की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। दिनाँक 10.09.08 से 09.08.2009 के मध्य। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

मार्गों एवं शासकीय आवासों के कार्यों की गुणवत्ता

42. (क्र. 2512) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर वि.स.क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में कितने मार्गों का निर्माण करवाया गया है, लागत सहित विवरण देवें? मोड़ी-सोयतखुर्द मार्ग निर्माण किस एजेंसी द्वारा किया गया, विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मोड़ी-सोयतखुर्द मार्ग की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिये अधिकृत शासकीय सेवक का विवरण देवें? क्या उक्त मार्ग की गुणवत्ता एवं कार्य से संबंधित कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में आए? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई, विवरण देवें? (ग) मोड़ी-सोयतखुर्द मार्ग अंतर्गत क्या अमानपुरा में सी.सी. रोड स्वीकृत था? यदि हाँ, तो क्या इसका निर्माण तय समय-सीमा में किया जाना था, तय समय-सीमा में यदि निर्माण नहीं किया गया तो जाँच की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा शासकीय आवासों के रख-रखाव/मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था है? विगत 3 वर्षों में कितने शासकीय आवासों की रिपेयरिंग की गई एवं उनमें कितना व्यय किया गया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोयत-पिडावा मार्ग का निर्माण बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजनांतर्गत किया गया है, जिसकी लंबाई 6.23 कि.मी. एवं लागत लगभग रूपये 8.00 करोड़ है। शेष मार्गों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। मेसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी। (ख) शासकीय सेवक की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के कालम 8 अनुसार** है। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) शासकीय आवासों के रख रखाव मेंटेनेंस के कार्य निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदारों के माध्यम से करवाये जाते है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "ग्यारह"

प्रदेश में स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फार्स का गठन

43. (क्र. 2530) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? (ख) क्या वर्ष 2008 से केन्द्र सरकार ने प्रदेश में स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की स्वीकृति प्रदान की थी? यदि हाँ, तो उक्त में देरी का क्या कारण है? (ग) स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की रूपरेखा, कार्य, पदस्थापना एवं कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 15400/2014 विचाराधीन है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (STPF) के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रचलित है। (ख) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) द्वारा सर्वप्रथम उनके पत्र दिनाँक 11 मई, 2009 द्वारा प्रदेश के पेंच, कान्हा एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व्स के लिए पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर एक एस.टी.पी.एफ. कम्पनी के गठन का प्रावधान किया गया था। पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थिति के मामले में कतिपय तकनीकी कठिनाईयों के कारण एन.टी.सी.ए. द्वारा उनके पत्र दिनाँक 09.01.2013 द्वारा पूर्व सभी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये। तदानुसार प्रस्ताव प्रचलित है। (ग) एन.टी.सी.ए. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी का प्रभारी एक टाइगर फोर्स सहायक वन संरक्षक होगा जिसके अधीन तीन प्लाटून्स होंगे। प्रत्येक प्लाटून का प्रभारी एक टाईगर फोर्स परिक्षेत्र अधिकारी होगा जिसके अधीन 36 स्पेशल टाइगर गाड्र्स प्रस्तावित हैं। इस प्रकार एक कम्पनी में कुल 112 कर्मचारी होंगे जो अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही एस.टी.पी.एफ. में कार्य कर सकेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार बाघ संरक्षण हेतु संवेदनशील स्थलों पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को तैनात किया जा सकेगा।

वन भूमि में हीरें का अवैध उत्खनन

44. (क्र. 2531) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने रियो टिटों कंपनी के विरूद्ध वन भूमि में अवैध हीरा उत्खनन पर कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है? (ख) क्या न्यायालय ने गलत तरीके से दी गई उत्खनन अनुमति पर जाँच व लायसेंस की जाँच हेतु सरकार को आदेश प्रदान किया है? यदि हाँ, तो अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है? (ग) इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की? क्या हीरा उत्खनन के अवैध कार्य में खनित हीरे जप्त किए गए? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? नहीं तो क्यों नहीं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक- 6135/2011 श्री नीलेश दुबे विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में आदेश दिनाँक 21.01.2015 में याचिका में दर्शित आधार के अनुसार रियो टिण्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. को स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति पर पुन: विचार करने के लिये खनिज साधन विभाग एवं वन विभाग को निर्देश दिये गए हैं। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रकरण में हीरे का अवैध उत्खनन नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भू-अर्जन की गई भूमि के मुआवजा का भुगतान

45. (क्र. 2575) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा किन-किन मार्गों के निर्माण में कितने कृषकों की कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई जानकारी अर्जित रकबावार दी जाए? (ख) क्या विभाग द्वारा सड़क निर्माण अन्तर्गत अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भुगतान विगत 10-15 वर्षों से नहीं हो सका है? मुआवजा भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं? (ग) क्या

किसानों को उनकी भूमि का वाजिब मुआवजा का निराकरण त्वरित किया जावेगा और कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी नहीं। केवल 01 मार्ग जिसकी अवार्ड दिनाँक 15/07/2002 को पारित हुआ था, में 184 कृषकों में से 99 कृषकों का मुआवजा भुगतान शेष है। **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "बारह"

शुजालपुर के सलेण्डी औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आवंटन

46. (क्र. 2580) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शुजालपुर के सलेण्डी को औद्योगिक क्षेत्र कब से घोषित किया गया है, उद्योग स्थापित करने हेतु कितने भू खण्ड किस साईज के बनाये गये? क्या ले आउट अनुसार मानचित्र है? (ख) वर्ष 2014 तक कितने भू खण्ड किन-किन को किन-किन शर्तों पर आवंटित किये गये? प्रत्येक को आवंटन की तिथि देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित भू-खण्डों में से किन-किन पर उद्योग स्थापित हुये/आवंटन दिनाँक से कितनी अवधि में भूखण्ड पर उद्योग स्थापित किये जाने थे? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्र में सड़क एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वन समितियों का गठन

47. (क्र. 2648) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भगवानपुरा वि.स. क्षेत्र में कार्यरत वन समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी नई वन समितियों का गठन क्यों नहीं किया गया? (ख) वन समितियों के गठन हेतु बुलाई गई आमसभाओं की जानकारी दें? (ग) सहायक सचिवों की सूची देवें? कितने सहायक सचिव दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर सके नाम बतावें? (घ) वन समितियों द्वारा कराए गए कार्यों की राशि वर्षवार वर्ष 2013से 2015 तक देवें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में कार्यरत 64 समितियों में से 4 समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हो गया है, जिनके पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। किसी भी सहायक सचिव को दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। (घ) **जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स' अनुसार** है।

राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत उपकरणों का वितरण

48. (क्र. 2732) डॉ. कैलाश जाटव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों को राजीव गांधी खेल अभियान (पायका) के तहत स्थायी खेल उपकरणों का वितरण किया गया है? सूची उपलब्ध करायें? (ख) इस योजना में ग्राम पंचायत चयन के आधार की शर्तें एवं नियम प्रदान करें? (ग) वर्तमान वर्ष में इस योजना के अंतर्गत गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया जा रहा है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की सीवर परियोजना

49. (क्र. 2740) डॉ. कैलाश जाटव : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की सीवर परियोजना विगत 5 वर्षों से अनवरत कार्यशील है? वर्तमान में कितनी बाकी है एवं कब तक पूर्ण होगी? उपरोक्त कार्य की समयावधि कितनी निर्धारित की गई? यदि समयावधि पूर्ण हो चुकी है, तो विभाग द्वारा संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या सीवर लाईन डालने के बाद समस्त सड़के पुन: निर्मित की जा चुकी हैं? यदि नहीं, तो कितनी सड़कें बाकी है एवं कब तक पूर्ण हो सकेगी? (ग) क्या निर्माण संस्था को परियोजना पूर्ण न करने के बावजूद भुगतान किया जा चुका है? अब तक कार्य आधार पर कितना भुगतान किया गया है? (घ) क्या एजेंसी द्वारा स्वीकृत स्टीमेट अनुसार गुणवत्ता/क्वालिटी के आधार पर कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो ये लाईन जगह-जगह पर धंसक क्यों रही है? विभाग की जाँच एजेंसी द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 8 अनुसार** है। (घ) जी हाँ। लाईन धंसक नहीं रही है। समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है, और आवश्यक कार्य कराये जाते है। मापदण्ड अनुसार कार्य होने पर ही भुगतान की अनुशंसा की जाती है।

परिशिष्ट – "तेरह"

नेशनल हाईवे इन्दौर अहमदाबाद फोरलेन का निर्माण

50. (क्र. 2760) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेशनल हाईवे 59 इन्दौर अहमदाबाद अंतर्गत फोर लेन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? क्या विभाग द्वारा उक्त कार्य पूर्ण करवाये जाने हेतु कोई विशेष कदम उठाए गए हैं? (ख) झाबुआ जिले के फूलमाल फाटक से देवझीरी तक का रोड जो पहले नेशनल हाईवे अंतर्गत था, पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है को किसके द्वारा बनाया जावेगा? यदि बनाया जावेगा? तो कब तक? (ग) झाबुआ जिले के पिटोल से देवझीरी तक के रोड का डामरीकरण एवं मरम्मत का कार्य कब किया गया था? यदि मरम्मत का कार्य किया गया था, तो कितनी राशि व्यय की गई थी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) राष्ट्रीय राज्य मार्ग परिक्षेत्र के अंतर्गत रा.रा. संभाग इंदौर ने रा.रा. क्रमांक-59 इंदौर-अहमदाबाद के कि.मी. 5 से कि.मी. 9.5 तक के चौड़ीकरण कार्य का प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को भेजा है, जिस प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय ने स्वीकृति हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। शेष भाग एन.एच.ए.आई. के कार्यक्षेत्र में आता है। एन.एच.ए.आई. का उत्तर **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "चौदह"

अमरवाड़ा में सड़क निर्माण में अनियमितता

51. (क्र. 2793) श्री कमलेश शाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र अमरवाड़ा में जुंगावानी से धनोरी मार्ग की स्वीकृति दिनाँक, लागत, कार्यपूर्णता दिनाँक बतावें? कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भी देवें? (ख) क्या कारण है कि 1 वर्ष से कम समय में उपरोक्त सड़के खराब हो गयी है? इतने गुणवत्ताहीन कार्य की जाँच कब तक कराई जावेगी? (ग) गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदार व इस ओर ध्यान न देने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) इन मार्गों को सुधारने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की जावेगी? (ड.) बटकारवापा से बिजोरी सड़क का कार्य स्वीकृत है तो कार्य कब तक प्रारंभ होगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। (ख) मार्ग की स्थिति अच्छी है, गुणवत्ता पूर्वक कार्य किया गया है। अत: जाँच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) अनुबंध की शर्त के अनुसार। (ड.) बटका खापा से बिजोरी मार्ग सड़क का कार्य ए.डी.बी. फेस-4 में प्रस्तावित है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रोडों में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच

52. (क्र. 2894) श्री महेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की रोड है, इनकी कितनी लंबाई है रोडवार अद्यतन जानकारी बतावें? (ख) इन रोडों की स्थिति क्या है? जो मार्ग अत्यन्त खराब है उनके निर्माण हेतु कब-कब बजट उपलब्ध कराया गया और कितना क्या कई रोडें अपूर्ण हैं, इन्हें कब पूर्ण करा लिया जावेगा? (ग) किन-किन रोडों का निर्माण कार्य वर्तमान में चालू हैं व स्वीकृत हैं लागत/एजेंसी की जानकारी बतावें? साथ ही इन रोडों की अभी तक की प्रगति क्या है? (घ) क्या स्वीकृत रोडों में से अधिक रोड वर्तमान में निर्माणाधीन है जिनका निर्माण बंद एवं घटिया कराया जा रहा है? इनका संयुक्त निरीक्षण अधिकारियों के साथ करके ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (घ) जी नहीं। गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रगति पर। संयुक्त निरीक्षण अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सिंहस्थ के लिए सड़कों का चौड़ीकरण एवं पुन:निर्माण

53. (क्र. 2913) श्रीमती नीना वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ में बढ़ी संख्या में धार, बड़वानी, खरगोन एवं खण्डवा जिलों से तथा महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों के लिए गुजरी से धार होते हुए नागदा तथा बदनावर से बड़नगर होते हुए उज्जैन की सड़कों का पुन: निर्माण करने एवं चौड़ीकरण करने की कोई योजना प्रस्तावित है? (ख) यदि नहीं, है तो कब तक योजना प्रस्तावित की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) गुजरी से धार होते हुए नागदा तक मार्ग लंबाई 73.7 कि.मी. के पुर्ननिर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। बदनावर से बड़नगर-

उज्जैन-देवास मार्ग को चारलेन करने की परियोजना का भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.) द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से वर्तमान में इसे चारलेन करना संभव नहीं है। (ख) गुजरी-धार-नागदा योजना प्रस्ताव की समय सीमा बताना संभव नहीं है। बदनावर-बड़नगर-उज्जैन मार्ग पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

<u>कॉलोनियों के विकास हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र</u>

54. (क्र. 2930) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषदों में कॉलोनियों के विकास हेतु विगत 05 वर्षों में परिषद द्वारा कितने अनापत्ति प्रमाण-पत्र किन शर्तों पर दिये गये हैं? कॉलोनीवार बतावें? (ख) कॉलोनाईजरों द्वारा कालोनी विकास में अनियमितता किये जाने पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, बतावें? (ग) नगर परिषद धामनोद, धरमपुरी एवं माण्डव तथा खलघाट क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में विकसित वैध एवं अवैध कॉलोनियों की जानकारी उपलब्ध करावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" पर** है। (ख) प्रश्नांकित क्षेत्र में किसी कॉलोनाईजर द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" पर** है।

<u>परिशिष्ट – "पंद्रह"</u>

<u>लोक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन सड़के</u>

55. (क्र. 2942) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में लोक निर्माण विभाग की कौन-कौन सी सड़कें कितनी-कितनी लागत की निर्माणाधीन हैं? उक्त सड़कों की निर्माण अवधि क्या थी? अब तक कितना निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है? (ख) जिले के बरगी विधान सभा क्षेत्र की रा.रा. मार्ग क्र. 12 से गाम-मनकेड़ी, कुसली, नवीन चरगवां होते हुऐ दूमलिया-18 एवं गाम पिपरिया से भैंरोघाट मार्ग कब स्वीकृत हुआ? दोनों मार्गों की लागत कितनी है? उक्त मार्गों का कितना-कितना कार्य अब तक कराया गया है? कराये गये कार्यों का आयटमवार भुगतान सड़कवार कितना-कितना किया गया, जानकारी दें? उपरोक्त दोनों सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रश्नानुसार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। (ख) प्रश्नानुसार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

<u>समग्र परिवार आई.डी. का कार्य पूर्ण किया जाना</u>

56. (क्र. 3000) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर नगर पालिका निगम क्षेत्र में समग्र परिवार आई.डी. बनाने का कार्य नगर पालिक निगम इंदौर को दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की समग्र परिवार आई.डी. एवं उनके सदस्यों की आई.डी. बनाई गई है? (ग) 31.12.2014 की स्थिति में कितने परिवार समग्र आई.डी. से आज भी वंचित हैं? उनके समग्र आई.डी. बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही

है? (घ) जिन परिवार की आई.डी. में त्रुटियां है, उनके सुधार के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और सुधार का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) लगभग 98 प्रतिशत परिवारों की आई.डी; एवं उनके सदस्यों की आई.डी. बनाई गई है। (ग) सर्वे के दौरान ऐसे परिवार जो मौके पर मिले नहीं थे, उन परिवारों की समग्र आई.डी. बनने से शेष रही है। समग्र सर्वे के पश्चात इन्दौर शहर में अनेक परिवार बाहर से आकर बसे है, साथ ही इन्दौर शहर की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। ऐसे समस्त परिवारों की समग्र आई.डी. बनाने का कार्य जोनल कार्यालय से निरंतर प्रक्रियारत है। (घ) जिन परिवारों की आई.डी. में टंकन त्रुटिया पाई जाती है, उन परिवारों की आई.डी. सुधार का कार्य जोनल कार्यालय के माध्यम से निरंतर प्रक्रियारत है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अध्यापकों की पदोन्नति की कार्यवाही

57. (क्र. 3001) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक/अध्यापकों की पदोन्नति की कार्यवाही कब से लंबित है? (ख) इन्दौर नगर पालिक निगम में 31.12.2014 तक शिक्षा विभाग से पदोन्नति के कितने पद सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के प्राप्त हुये है, तथा ये पद कब प्राप्त हुये दिनाँक बतायें? (ग) इन्दौर नगर पालिक निगम में सहायक अध्यापक/अध्यापक की पदोन्नति में विलंब का क्या कारण है, तथा इसके लिए कौन जबावदार है तथा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) माह मई, 2013 से लम्बित है। (ख) दिनाँक 31-12-2014 तक शिक्षा विभाग से विषयवार अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु 48 पद एवं वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु 43 पद क्रमश: जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के पत्र क्रमांक-1061 दिनाँक 15-05-2013 एवं पत्र क्रमांक-1271 दिनाँक 03-06-2014 से उपलब्ध कराये गये। (ग) निगम के व्दारा नियुक्त एवं अन्य स्थानों से स्थानांतरित होकर आये अध्यापक संवर्ग के सेवा अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में संकुल प्राचार्यो के स्तर पर संधारित होने से पदोन्नति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में समय लगा है। इसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रतलाम में वातानुकूलित ऑडिटोरियम निर्माण

58. (क्र. 3006) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रतलाम में वातानुकूलित ऑडिटोरियम निर्माण की क्या स्थिति है? (ख) क्या रतलाम कलेक्टर द्वारा इस ऑडिटोरियम के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है? (ग) क्या इसके लिए सरकार ने बजट प्रावधान कर दिए हैं? यदि नहीं तो क्या वर्ष 2015-16 के बजट में इस कार्य को शामिल किया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर पालिक निगम रतलाम व्दारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। (ख) नगर पालिक निगम रतलाम व्दारा वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम के पास 90,000 वर्गफीट शासकीय भूमि चिन्हित कर, आवंटन का प्रस्ताव कलेक्टर रतलाम

को भेजा गया है। भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) दिनाँक 04-03-2011 को राशि रू. 50.00 लाख विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार

59. (क्र. 3029) श्री रामकिशन पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे मंदिर एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनको धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो विभाग के अंतर्गत मंदिरों के खातों में कितनी राशि तथा कितनी भूमि मंदिरों के स्वामित्व में है? (ख) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा विगत 5 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई? ग्रामवार मंदिरों के नाम तथा स्वीकृत राशि की जानकारी दें? (ग) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगरीय निकायों में स्कील्ड और नॉन स्कील्ड कर्मचारी

60. (क्र. 3050) श्री राजेश सोनकर : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरीय निकायों में स्कील्ड और नॉन स्कील्ड कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक में अन्तर रहता है,? दोनों की योग्यता में क्या अन्तर किया जाता है? (ख) सॉवेर नगर पालिका, इंदौर और मन्दसौर जिले की गरोठ और शामगढ़ नगरपालिकाओं के दोनों वर्गों के दिनाँक 31.1.15 को कार्यरत कर्मचारियों के नाम वर्गवार उनकी योग्यता एवं स्कील्ड को किस आधार पर माना गया, साथ ही उनकी प्रथम नियुक्ति या सेवा प्रारंभ करने का दिनाँक बतावें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) वाली संस्थाओं में कई कर्मचारियों को स्कील्ड के लिए निर्धारित योग्यता नहीं होने के बावजूद उन्हें स्कील्ड का पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जबकि उनसे वरिष्ठ को कम पारिश्रमिक मिल रहा है? यदि हाँ, तो उसका कारण बतावें? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) में नॉन स्कील्ड की योग्यता वाले को स्कील्ड का पारिश्रमिक दिया जा रहा है, तो उसे वापिस किया जावेगा अथवा अगर उनसे कोई वरिष्ठ है, तो उसे भी स्कील्ड वाला पारिश्रमिक दिया जाऐगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 41 दिनाँक 10 अक्टूबर 2014 अनुसार। (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इन्दौर, और धार, जिले में उद्योगों को आवंटित भूमि

61. (क्र. 3054) श्री राजेश सोनकर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर और धार जिलो में नये उद्योग लगाने हेतु जिलेवार बतावे कि कितने-कितने उद्योग को भूमि आवंटित की गई 31.01.15 की स्थिति में कितने-कितने उद्योग चल रहे हैं, कितने बीमार होने से बन्द हैं और कितनो ने स्थापना ही नहीं की? (ख) क्या इन्दौर और धार जिले के कई बीमार, कार्यरत और बन्द उद्योगों की ओर कई प्रकार के टैक्स बाकी है, साथ ही विद्युत व्यय भी लेना बाकी है? 31.01.15 की स्थिति उद्योगवार बतावें? (ग) बीमार और बन्द उद्योगों को पुन: प्रारंभ करवाने के क्या-क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं? अगर उद्योग बन्द है और उस पर रकम बकाया है तो उसे हस्तगत क्यों नहीं किया जाकर अन्य जो तैयार हो उसे दिया जाय? (घ) 31.01.15 की स्थिति में

उद्योग आवंटन वाले ऐरिया के इन्दौर, धार की कितनी-कितनी भूमि ऐसी बची है जो आवंटित नहीं की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) इन्दौर और धार जिलों में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि, चल रहे उद्योग, बंद उद्योग तथा स्थापित नहीं किये गये इकाईयों की जानकारी निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	उद्योगों की संख्या जिनको भूमि आवंटन, कियागया	चल रहे उद्योगों की संख्या	बंद उद्योगों की संख्या	स्थापित नहीं की संख्या
इंदौर	309	298	6	5
धार	1026	712	167	147

शेष औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) इन्दौर और धार जिले के कई बीमार, कार्यरत और बंद उद्योगों के टैक्स बकाया की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) बीमार और बंद उद्योगों को पुन:प्रारंभ करने हेतु औद्योगिक नीति 2014 में सहायता हेतु प्रावधान है। बंद एवं एकेव्हीएन की देयताओं का भुगतान न करने वाली इकाईयों पर प्रचलित विभागीय भू आवंटन नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है। (घ) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर के क्षेत्रान्तर्गत 31.01.15की स्थिति में उद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु शेष भूमि का विवरण निम्नानुसार है :- 1.इंदौर, निरंक, 2.धार 184.52 हेक्टेयर है। शेष औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वन समितियों के गठन की प्रक्रिया

62. (क्र. 3084) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितनी वन समितियां है? इन समितियों के क्या-क्या कार्य एवं उद्देश्य हैं? समितियों के गठन की क्या प्रक्रिया है? इन समितियों में कौन-कौन से कर्मचारी कार्य करते हैं? उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? उन्हें कितना-कितना वेतन भुगतान किया जाता है? समितियों के आय के क्या साधन रहते हैं? समितियों की जानकारी कि कौन-कौन सी समितियां कार्य कर रही है तथा उनमें कौन-कौन कर्मचारी किस पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें कितना वेतन प्राप्त होता है? (ख) उक्त वर्णित समितियों में ऐसी कौन-कौन समितियां हैं, जिनके कर्मचारियों (जैसे चौकीदार) को विगत वर्ष में वेतन प्राप्त नहीं हुआ है एवं जिन्हें प्राप्त हुआ हैं उन्हें नकद भुगतान किया गया या चेक द्वारा? यदि नकद भुगतान किया गया तो वह राशि संबंधित तक पहुंची या नहीं? यदि चेक से भुगतान किया गया है तो चेक क्रं./ दिनाँक/राशि सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) में उल्लेखित समितियों के कर्मचारियों/ चौकीदारों को यदि भुगतान नहीं किया गया है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों? की जायेगी अथवा नहीं? कब तक जानकारी उपलब्ध कराई जावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) दतिया जिले में कुल 61 वन समितियां गठित हैं जो कार्यकारिणी के माध्यम से कार्य करती हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**

'अ' एवं 'ब' अनुसार है। कार्यकारिणी सदस्यों को वेतन भुगतान का प्रावधान नहीं है। शासकीय संकल्प में दर्शित साधनों से आय के अतिरिक्त वन सुरक्षा के एवज में तथा लघु वनोपज के संग्रहण से समिति को आय होती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) समितियों में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं होते हैं। समिति द्वारा अपने स्तर से वन सुरक्षा हेतु संबंधित को मानदेय भुगतान नगद किया जाता है। समिति द्वारा समिति खाते से किये गये भुगतान की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सड़कों की मरम्मत पर व्यय

63. (क्र. 3104) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में बाबूपुर से रामस्थान एवं रामस्थान मोड से कृपालपुर की रोड कब बनाई गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) की सड़कों की मरम्मत कब-कब की गई थी, तथा उन सड़कों पर कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) क्या उक्त सड़कें ढर्रे में तब्दील हो गई है, तथा भारी वाहनों की वजह से उक्त प्रदूषण से यहाँ के रहवासियों का जीना दूभर हो गया है? इन गुणवत्ता विहीन सड़कों की जाँच कब तक करा ली जावेगी? (घ) उक्त सड़कों के गुणवत्ता विहीन कार्य के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी व कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रश्नाधीन मार्ग क्रमश: बाबूपुर से गरइंया एवं कृपालपुर से रामस्थान मार्ग के अंश भाग है, जिनका निर्माण क्रमश: दिनाँक 31.09.09 एवं 31.03.08 को पूर्ण किया गया था। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार** है। (ग) जी नहीं, भारी वाहनों की वजह से उक्त मार्गों की सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। मार्गों के निर्माण के समय गुणवत्ता की जाँच की गई है। (घ) सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण किया गया था अत: अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "सोलह"

गुणवत्ता विहीन कार्य की जाँच

64. (क्र. 3105) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में वर्ष 2005 से अब तक सतना-सेमरिया (वाया कोटर) रोड कब-कब बनाई गई? किन-किन ठेकेदारों द्वारा कार्य किया गया है तथा शासन द्वारा कब-कब कितना व्यय किया गया है? (ख) क्या अभी एक वर्ष के भीतर सतना-सेमरिया मार्ग में सड़क चौडीकरण एवं डामरीकरण का कार्य कराय गया है? यदि हाँ, तो उस पर कितना व्यय आया है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि पूरी तरह से उखड़ चुकी उस सड़क की गुणवत्ता की जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) सतना-सेमरिया मार्ग का अब तक गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों से राशि की वसूली एवं ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी, तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं, सड़क अच्छी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "सत्रह"

वैध एवं अवैध कालोनियों का विकास

65. (क्र. 3125) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा नगर पालिका परिषद जावरा एवं नगर परिषद पिपलौदा अंतर्गत कुल कितनी कालोनियां वैध है एवं कुल कितनी कालोनियां अवैध होकर कितने कालोनाईजर पंजीबद्ध है? (ख) विगत तीन वर्षों में वैध एवं अवैध कालोनियों में शासन/विभाग तथा कालोनाईजर द्वारा जनहित में जनसुविधा हेतु क्या-क्या विकास कार्य किये गये? (ग) अवैध रूप से बनाई जा रही कालोनियों की अनापत्तियां नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा न.पा.प. एवं न.प. द्वारा सक्षम अधिकारियों के निरीक्षण के पश्चात दी जा रही है, तथा क्या होने वाले अवैध निर्माण कार्यों की जानकारी होती है? यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों क्षेत्रान्तर्गत वैध एवं अवैध कालोनियों की संपूर्ण वस्तुस्थिति एवं कालोनाईजर तथा संबंधित विभाग एवं अधिकारियों द्वारा प्रश्न दिनाँक तक की गई कार्यवाहियों से अवगत कराएं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।

विभाग द्वारा निर्मित मार्गों पर सुरक्षात्मक कार्य

66. (क्र. 3126) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लेबड से लेकर बरगढ़ एवं बरगढ़ से लेकर नयागांव तक फोर लेन तथा जावरा से उज्जैन, जावरा से आलोट, जावरा से सैलाना तक शासन/विभाग द्वारा टू लेन सड़कों का निर्माण विगत वर्षों में किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो शासन/विभाग तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उपरोक्त सड़कों पर होने वाले भारी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय एवं पर्यावरण संबंधी कार्य किये जाना सुनिश्चित किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त समस्त सड़कों का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होकर संबंधित विभाग/एजेंसियों को कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र शासन/विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो विभाग/एजेंसियों द्वारा किये गये समस्त सुरक्षात्मक उपायों के कार्यों एवं किये गये वृक्षारोपण इत्यादि पर्यावरण के कार्यों की पूर्णता की समस्त स्थितियों से अवगत कराएं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) उक्त मार्गों पर एजेन्सियों द्वारा सुरक्षात्मक उपाय जैसे रोड़ साईन बोर्ड, क्रास बेरियर, केट आई, कर्ब पेन्टिग, रोड़ मार्किंग आदि आई.आर.सी. मानकों अनुसार एवं पर्यावरण हेतु काटे गये वृक्षों के एवज में 10 गुना वृक्षो का रोपण एवं फोरलेन मार्ग में मीडयन वृक्षारोपण पूर्ण करने के उपरांत स्वतंत्र इंजीनियर/सलाहकार द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये।

विधानसभा क्षेत्र चुरहट अन्तर्गत चमराडोल शिकारगंज पहुंच मार्ग का निर्माण

67. (क्र. 3159) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चमराडोल शिकारगंज सोननदी पहुंच मार्ग में केहेजुआ पहाड़ में घाट कटिंग 7.8 कि.मी. की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य की लागत व निर्माण एजेंसी का नाम बताएं? (ग) संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा संपादित अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की क्या समय सीमा नियत की गई थी? (घ) निश्चित समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर दोषी कौन है, तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, 3.65 कि.मी. पहुंच मार्ग की। (ख) रूपये 764.63 लाख, मे. शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी सिरमौर जिला रीवा। (ग) दिनाँक 13.01.2014 तक। (घ) संविदाकार, समयवृद्धि क्षतिपूर्ति की धारा के अंतर्गत दिनाँक 31.03.2015 तक स्वीकृत। कार्य पूर्ण होने के उपरांत क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

वनभूमि के आंकड़ों में भिन्नता

68. (क्र. 3169) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अतारांकित प्रश्न क्र. 1433 दि. 1 मार्च 2006 तथा 17 जुलाई 2014 संख्या 23 (क्र.1842) के संदर्भ तथा श्री कल्लुसिंह उईके के 31 जुलाई 2014 को मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव वन को दिये शपथ पत्र के संदर्भ में बतावे कि वनमंडलों द्वारा जो प्रतिवेदन चाहा गया है उसका विवरण देते हुये बताएं कि वन भूमि के आंकड़ों में भिन्नता आदि के बारे में मिले सुझावों के बारे में क्या कार्यवाही कर रहा है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांश के संदर्भ में असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी क्षेत्र) के सर्वेक्षण एवं सीमांकन में सम्मिलित वन एवं राजस्व भूमि के आंकड़ों के संबंध में बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत वन मण्डलों से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये, जिससे पूर्व में प्रतिवेदित आंकड़ों में भिन्नता आदि की जानकारी प्रकाश में आई। अभिलेखों में गहन परीक्षण उपरांत आवश्यक संशोधन किया गया।

मुरैना चंबल अभ्यारण्य की भौगोलिक सीमा एवं घडियालों की संख्या

69. (क्र. 3180) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना चम्बल नदी में घडियालों के संरक्षण के लिये घोषित किये गये अभ्यारण क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं की लम्बाई कहाँ से कहाँ तक है कितने कर्मचारी कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? संख्या सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) वर्तमान में घडियालों की लगभग कितनी संख्या है, तथा किन-किन स्थानों पर घडियाल मौजूद रहने की जानकारी विभाग को है स्थानवार नाम, संख्या सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) क्या जिन स्थानों पर घडियाल न तो रहते है, ना ही प्रजनन करते है ऐसे स्थानों को अभ्यारण्य क्षेत्र से डीलिट करने संबंधी प्रस्ताव क्या शासन के समक्ष विचाराधीन है उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी पूर्ण जानकारी दी जावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नाधीन अभयारण्य की भौगोलिक सीमा प्रदेश में श्योपुर जिले के ग्राम बड़ोदिया बिन्दी से प्रारंभ होकर भिण्ड जिले के ग्राम विण्डवा तक कुल 435 किलोमीटर लम्बाई में चम्बल नदी से एक किलोमीटर समानान्तर दूरी तक है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुरैना जिले के सिकरौदा, नैपरी पर पुल निर्माण

70. (क्र. 3182) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना सबलगढ़ रोड़ पर ग्राम-सिकरौदा नेपरी पुलों के निर्माण किस कंपनी द्वारा बनाये जा रहे है उनकी लागत क्या है ठेका किस दिनाँक को हुआ निर्माण की अवधि कब तक है

पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) क्या निर्माण कंपनी द्वारा धीमी गति से कार्य करने से निर्धारित समय सीमा में पुलों का निर्माण होना संभव नहीं है विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) जनवरी 2015 तक नैपरी, सिकरौदा पर कितने प्रतिशत कार्य हो चुका है दो पुलों के निर्माण की अलग-अलग जानकारी दी जावें? (घ) क्या निर्माता कंपनी द्वारा इसी गति से कार्य किया तो निर्माण में काफी समय लगेगा इस हेतु निर्माता कंपनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? पूर्ण जानकारी दी जावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) सिकरौदा एवं नैपरी पुलों का निर्माण मैसर्स कॉनकास्ट इन्फ्राटेक लि. नई दिल्ली द्वारा मुरैना-सबलगढ़ मार्ग (एस.एच.-2) के उन्नयन कार्य के तहत कराया जा रहा है। इस मार्ग के कार्य की लागत मय उक्त दोनों पुलों के निर्माण सहित, 145 करोड़ है। उक्त मार्ग के उन्नयन का अनुबंध दिनाँक 15.10.2012 को किया गया था एवं कार्य के प्रारंभ करने (एपाइन्टेड डेट) दिनाँक 26.08.2013 तय की गई थी। इस कार्य के अंतर्गत नैपरी पुल का कार्य भू-अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है। सिकरौदा पुल का निर्माण कार्य दि. 26.08.2013 को प्रारंभ हुआ है इन दोनों कार्यों को पूर्ण कराने का दिनाँक, अनुबंधानुसार 25.08.2015 है। (ख) जी नहीं। नैपरी पुल का कार्य भू-अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है जबकि सिकरौदा पुल का कार्य प्रगति पर है। नैपरी पुल की भू-अधिग्रहण की कार्यवाही की प्रक्रिया कलेक्टर मुरैना के यहाँ चल रही है। भू-अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न होते ही कार्य प्रांरम्भ हो जायेगा। सिकरौदा पुल निर्माण की प्रगति धीमी अवश्य है। कार्य की गति धीमी है गति बढ़ाने हेतु कन्सेशनायर को नोटिस दिया गया है। (ग) जनवरी 2015 तक नैपरी पुल निर्माण कार्य की प्रगति शून्य है, जबकि सिकरौदा पुल निर्माण का कार्य फाउन्डेशन एवं सबस्ट्रक्चर सहित लगभग 20 प्रतिशत हो चुका है। (घ) जी हाँ। निवेशकर्ता कंपनी (कन्सेशनायर) के वित्तीय प्रबंधन में कमी होने के कारण कार्य की गति धीमी है गति बढ़ाने हेतु कन्सेशनायर को पत्र लिखे गये है। कार्य पूर्ण करने की तिथि 28.08.2015 है।

टिमरनी नगर परिषद क्षेत्र में बस स्टेण्ड का निर्माण

71. (क्र. 3194) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्षों में नगर परिषद टिमरनी द्वारा बस स्टेण्ड निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव भेजे गए? प्रेषित प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) नगर परिषद टिमरनी में यात्रियों की सुविधा हेतु यात्री प्रतीक्षालय निर्माण के संबंध क्या कदम उठाएं जा रहे हैं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रतीक्षालय निर्माण हेतु भूमि की मांग की गयी है।

ग्राम खुदिया एवं जूनापानी में सयानी नदी पर पुल निर्माण

72. (क्र. 3199) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम खुदिया में सयानी नदी पर निर्मित पुल का निर्माण किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष उक्त पुल टूट गया? पुल टूटने से कितने ग्रामों के निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? (ख) उपरोक्त पुल की निर्माण ऐजेंसी कौन थी, किस कंपनी/ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य किया गया एवं उपरोक्त कार्य का प्रमाणीकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया? प्रमाणीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) पुल टूटने के पश्चात पुल टूटने की जाँच की गई

है? यदि हाँ, तो जाँच समिति की रिपोर्ट में पुल टूटने का क्या कारण पाया गया? दोषियों पर कार्यवाही की गई अथवा नहीं? यदि हाँ, तो अवगत करावें? (घ) उपरोक्त पुल का पुन: निर्माण किया जाने हेतु प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्यवाही से अवगत करावे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण नहीं किया गया। अपितु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2008 में निर्माण किया गया है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण

73. (क्र. 3230) श्री गोपाल परमार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आगर जिले में कुल कितने शासकीय मंदिर हैं संख्या बतायें एवं किन-किन मंदिरों के पास कितनी-कितनी भूमि है? (ख) उक्त भूमि से शासन को मंदिरों की व्यवस्था हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हो रही है? (ग) क्या मंदिरों की भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो किन-किन मंदिरों पर यदि हाँ, तो उक्त भूमि से कब्जा हटाने के लिये शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो उक्त भूमि पर से कब्जा हटाने के लिये शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जिला आगर-मलवा मे 737 मंदिर है। जिन मंदिरों के नाम भूमि है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार**। (ख) उक्त भूमियों से शासन को राशि प्राप्त नहीं हो रही है। म.प्र. शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-9/2007/छ: भोपाल दिनाँक 25/11/2014 से यह निर्देश दिये गये है कि शासन संधारित मंदिरों से लगी हुई कृषि भूमि लीज पर दी ही जाकर दिनाँक 31/05/2015 तक मंदिर के पुजारी के हवाले रखी जाये। (ग) शासन संधारित मुरली मनोहर मंदिर आगर से लगी हुई कृषि भूमि ग्राम लाला तहसील बडौद में स्थित है। जिनमे 43 व्यक्तियों द्वारा फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। तहसील नलखेडा में श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर श्री राम मंदिर श्री राधाकृष्ण मंदिर श्री सांवलिया नाथ मंदिर से लगी हुई भूमि पर अतिक्रमण है। जिनके संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद प्रचलित है तहसील सुसनेर के देव नारायण मंदिर सालरिया, नरसिंह मंदिर सुसनेर, हिंगलाज मंदिर मैना, देवधर्मराज मंदिर बडिया, चतुर्भुज मंदिर भवानीपुरा पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रामकों के विरूद्ध संबंधित तहसीलदारों के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किय गये हैं। नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध लंबित लोकायुक्त एवं अन्य जाँच

74. (क्र. 3250) श्री जयभान सिंह पवैया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका निगम ग्वालियर में कितने राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 10

वर्ष या उससे अधिक समय से ग्वालियर में ही पदस्थ हैं? (ख) नगर पालिका निगम ग्वालियर में ऐसे कितने और कौन इंजीनियर हैं जिनके विरूद्ध लोकायुक्त या अन्य जाँच एजेंसी में भ्रष्टाचार की जाँच चल रही है? इनमें से किनके विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) निरंक। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट – "अठारह</u>"

<u>वन परिक्षेत्र कोलारस एवं बदरवास में वन विभाग द्वारा कराए गए कार्य</u>

75. (क्र. 3261) श्री रामसिंह यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन परिक्षेत्र कोलारस एवं बदरवास में वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि, कब-कब प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य कब-कब, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? उक्त स्वीकृत कार्यों में किस-किस मद में राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कब पूर्ण हो चुके है एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है? अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों का भौतिक सत्यापन कब-कब व किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन में क्या-क्या टीप कार्यवार दर्ज की गई? (घ) उक्त कार्यों के गुणवत्ताविहीन व अमानक होने की वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक कौन-कौन सी शिकायतें कब-कब, कहाँ से प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'अ' अनुसार** है। स्वीकृत कार्यों का भौतिक सत्यापन परिक्षेत्राधिकारी बदरवास एवं कोलारस द्वारा कार्य के दौरान समय-समय पर किया गया। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार** है।

<u>वन मण्डल शिवपुरी के तहत तीन वर्षों में दर्ज प्रकरण</u>

76. (क्र. 3262) श्री रामसिंह यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में सामान्य वन-मण्डल के तहत वर्ष 2012, 2013, 2014 में कौन-कौन से प्रकरण कब-कब किन-किन के प्रति कहाँ-कहाँ दर्ज किए गए एवं इनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? (ख) सामान्य वन-मण्डल शिवपुरी को वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में कौन-कौन सी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों की प्रति दें? सी.एफ. सामान्य वन-मण्डल शिवपुरी द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या सामान्य वन-मण्डल शिवपुरी के अंतर्गत वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में वाहन एवं बैलगाड़ी आदि जप्त किए थे? यदि हाँ, तो किन-किन के कौन-कौन से वाहन एवं बैलगाड़ी कब एवं कहाँ से जप्त किए थे? इनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई थी? (घ) उक्त जप्त वाहन एवं बैलगाड़ी कब छोडे गए? एवं इनसे कितनी राशि वसूल की गई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

सड़क निर्माण संबंधी शिकायत की जाँच

77. (क्र. 3279) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में स्थित राजमार्ग क्रमांक 45 मिहोना लहार भाण्डेर चिरगांव मार्ग एवं सेवढ़ा चौरई नदी गांव मार्ग के निर्माण के कार्य आदेश कब और किस एजेंसी को कितनी अवधि में कार्य पूर्ण कराने की शर्त पर कितनी-कितनी राशि में मिट्टी कार्य से लेकर डामरीकरण कराने तक का ठेका दिया गया? (ख) प्रश्न दिनाँक तक कितना कार्य किया कितना शेष है? समय-सीमा में कार्य न कराने वाली एजेंसियों के विरूद्ध अभी तक कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? अभी तक उपरोक्त सड़कों के निर्माण हेतु एजेंसियों को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? (ग) क्या उपरोक्त एजेंसियों द्वारा 2 वर्ष पूर्व संपूर्ण सड़कों को उखाड़ देने से वाहनों को चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत शीघ्र कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उपरोक्त सड़कों के निर्माण में निम्न गुणवत्ता आदि की शिकायतें प्रश्नकर्ता ने विभागीय मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों से की थी? यदि हाँ, तो उन शिकायतों की जाँच किस-किस अधिकारी से कराई गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। दोनों मार्गों का कार्य, कार्य पद्धति से दो-दो, चार-चार कि.मी. लंबाई में किया गया है, न कि समस्त पूर्व निर्मित मार्ग को एक साथ उखाड़ा गया है। मार्ग में कार्य कराते समय ठेकेदार द्वारा मार्ग को मोटरेबल बनाकर रखा गया है एवं बाद में भी जहाँ कहीं भी मार्ग को यातायात हेतु दुरूस्त रखने हेतु जब भी जरूरत पड़ती है ठेकेदार द्वारा नियमित मार्ग की मरम्मत की जाती है। वर्तमान में मार्ग मोटरेबल है। (घ) जी हाँ। मिहोना-लहार-भाण्डेर-चिरगांव मार्ग निर्माण में निम्न गुणवत्ता आदि की शिकायतें प्रश्नकर्ता माननीय महोदय द्वारा विभागीय मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों से की गई थी। उक्त के परिपेक्ष्य में एवं सदन में दिये गये आश्वासन के अनुपालन में स्वतंत्र सलाहकार (इंजीनियर) मेसर्स आई.सी.टी. प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा दिनाँक 15.04.2013 को जाँच कराई गई थी। इसके पूर्व म.प्र. रोड़ डेव्हलपमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिनाँक 05.03.2013 को जाँच की गई थी। उपरोक्त जाँच टीम लीडर मेसर्स आई.सी.टी. प्रा.लि. भोपाल महाप्रबंधक (उत्तर), म.प्र. रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर एवं महाप्रबंधक म.प्र. रोड़ डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा की गई थी। नदीगांव-सेवढ़ा मार्ग की माह मई 2013 में गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण के सम्बंध में प्राप्त शिकायत की तकनीकी सलाहकार एम.पी.आर.डी.सी. एवं अन्य के साथ निरीक्षण किया गया एवं यह पाया गया कि तकनीकी सलाहकार द्वारा अनुमोदित स्तर तक ही इम्बैंकमेन्ट एवं सबग्रेड का कार्य प्रगतिरत था एवं इस हेतु उपयोग की जा रही मिट्टी एवं मुरम निर्धारित मानक अनुरूप पाई गई।

परिशिष्ट – "उन्नीस"

विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जाना

78. (क्र. 3293) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों से लोक निर्माण विभाग

के पास अन्य विभाग के कुल कितने निर्माण कार्य है? वर्षवार, विभागवार कार्यों की विस्तृत जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कितने कार्य है, जो अभी तक अपूर्ण है एवं इनके अपूर्ण रहने के क्या कारण है? विभागवार कार्यवार विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या लंबे समय से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? अपूर्ण कार्यों कब तक पूर्ण कराये जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में लोक निर्माण विभाग के पास अन्य विभाग के कुल 83 कार्य हैं। वर्षवार-विभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'अ-1' अनुसार** है। (ख) कुल 16 कार्य है, जो अपूर्ण हैं। उनके अपूर्ण रहने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार** है। (ग) 15 मार्च तक पूर्ण कर अधिपत्य दिया जाना प्रस्तावित है। शेष कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'अ-1' अनुसार** है।

निर्माण कार्यों की जाँच

79. (क्र. 3300) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग की पीआईयू द्वारा आष्टा विधान सभा क्षेत्र के निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री एवं घटिया निर्माण होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? (ख) क्या विगत 5 वर्षों में पीआईयू द्वारा जिले में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच शासन करवायेगा? (ग) विगत 5 वर्षों में आष्टा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस मद से तथा कौन-कौन से विभाग के निर्माण कराये जा रहे हैं? कराये जा रहे कार्य में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा हस्तांतरित हो गये है, तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं वर्षवार एवं कार्यवार लागत सहित जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' 'ब' एवं 'स' अनुसार** है।

वनों की अवैध कटाई

80. (क्र. 3301) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आष्टा वन परिक्षेत्र में वनों की अवैध कटाई हो रही है जिसकी शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने जाँच भी की है? (ख) यदि हाँ, तो इसके लिये वन विभाग के कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये हैं नाम व पद बतायें? (ग) यदि अभी तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों कब तक कार्यवाही की जायेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) आष्टा परिक्षेत्र में वनों की अवैध कटाई की सूचना पर जाँच कराई गई। जाँच रिपोर्ट के आधार पर वन मण्डल अधिकारी, सीहोर द्वारा जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित** है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बीस"

मंडीदीप में उद्योगों से प्रदूषण

81. (क्र. 3334) श्री मुकेश नायक : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप में उद्योगों से निस्सारित प्रदूषित जल और वायु के नमूनों की जाँच क्या नियमित रूप से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल या अन्य किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा कराई जाती है? यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण दीजिए? (ख) क्या यह सही है कि मण्डीदीप के उद्योगों द्वारा बेतवा और कलियासोत नदियों में प्रदूषित जल का प्रवाह किया जाता है और रात्रि में उद्योगों का जहरीले रसायनयुक्त धुआं छोड़ा जाता है, जिससे इस क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है? क्या इस संबंध में एक जनहित याचिका ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर भी हुई है और इस पर ट्रिब्यूनल ने म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब भी किया है? जानकारी दी जाए? (ग) क्या यह भी सही है कि मंडीदीप में सैकड़ों उद्योग पर्यावरण क्लीयरेंस के बिना ही चल रहे थे और जब ग्रीन ट्रिब्युनल ने 24 अप्रैल 2014 को इस बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जानकारी ली तब पता चला कि एक सौ से अधिक उद्योग अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं? आज तक इन अवैध उद्योगों के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण हैं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में स्थित जल/वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों के उपचारित निस्त्राव/वायु के नमूनों की जाँच की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "अ अनुसार** है। (ख) मंडीदीप स्थित जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों के निस्त्राव को उपचार उपरांत परिसर में उपयोग कर शून्य निस्त्राव रखने की शर्त दी गई है। जाँच के दौरान जल/वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरूद्व न्यायालयीन वाद दायर किये गये है। प्रदूषण फैलने जैसी स्थिति नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार** है। जी हाँ। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बैंच, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 05/2014 दायर है, जिसमें मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी एक प्रतिवादी है। प्रकरण वर्तमान में प्रचलन में है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। (ग) वस्तुस्थिति यह है कि 43 सम्मति प्राप्त उद्योगों को अद्यतन सम्मति नवीनीकरण कराये बिना संचालित पाया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "ड़" अनुसार** है।

<u>वन क्षेत्रों में स्टॉप डेम/तालाब निर्माण</u>

82. (क्र. 3335) श्री मुकेश नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक पन्ना जिले में वन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्र में वनवासियों और वन्य प्राणियों को जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कितने स्टॉप डेम और तालाबों का निर्माण किया गया तथा किस एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य किया गया? (ख) इन स्टॉप डेम और तालाबों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई, वर्ष वार विवरण दीजिए? (ग) क्या यह सही है कि वन क्षेत्रों में स्टॉप डेम और तालाब बनाने के कार्य में कई प्रकार की लापरवाही और धांधली हुई है और कई नवनिर्मित स्टाप डेम और तालाब जल्दी ही टूट-फूट गये और उनका कोई लाभ नहीं मिला, यदि हाँ, तो इस पर शासन ने किन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र तथा अवधि में दिसम्बर, 2014 तक वन क्षेत्र में प्रश्नाधीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत 03 स्टॉप डेम और 112 तालाबों का निर्माण वन विभाग द्वारा कराया गया। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में पन्ना जिले के अंतर्गत नवनिर्मित 05 तालाब दिनाँक 19.06.2011 से 22.06.2011 के मध्य अल्प समय में अत्याधिक वर्षा के कारण निर्माण के दौरान ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये जिन्हें निर्माण के दौरान ही सुधार लिया गया जिससे इनका लाभ मिला। निर्माण कार्य में लापरवाही तथा संरचनाओं को त्वरित गति से पूर्ण न करने के कारण वानिकी इकाई पन्ना के तत्कालीन वन क्षेत्रपाल श्री एस.एस. पटेल के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रचलित है।

परिशिष्ट – "इक्कीस"

डी.पी.आर. पर व्यय राशि

83. (क्र. 3383) श्री हर्ष यादव : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक नगर पालिका निगम सागर में कौन से कार्य की कितनी राशि में डी.पी.आर बनाई गई है? डी.पी.आर. बनाने वाली एजेंसी व कन्सल्टेंट का नाम, भुगतान की गई राशि माह/वर्षवार बतायें? (ख) प्रश्नांकित (क) वर्षों में बनवाई डी.पी.आर. में से कितनों पर कार्य किया गया है? कहाँ, कार्य करवाया गया है? कार्य का नाम, उस पर व्यय राशि सहित बताये? (ग) प्रश्नांकित (क) वर्षों में बनवाई डी.पी.आर. में से कितनो पर कार्य प्रश्न दिनाँक तक प्रारंभ नहीं हुआ है? इसका क्या कारण है? डी.पी.आर. पर व्यय राशि सहित बतायें? (घ) जिन कामों पर राशि उपलब्ध होने की संभावना एवं तत्काल प्रावधान नहीं था, उन कामों की डी.पी.आर. बनवाने पर राशि व्यय क्यों की गई क्या अनुचित राशि व्ययकर्ताओं पर कोई कार्यवाही की गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ग) एवं (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

परिशिष्ट – "बाईस"

सड़कों की साईड पटरियों पर सीमेन्ट कांक्रीट कार्य की जांच

84. (क्र. 3433) श्री गिरीश भंडारी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ नगर पालिका द्वारा नगर में सड़कों की साईड पटरियों पर सीमेन्ट कांक्रीट कार्य किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो जिस विभाग के सी.एस.आर. के आधार पर प्रॉक्कलन बनाया गया है उस विभाग में कार्य की गुणवत्ता परीक्षण के लिए निर्माण में उपयोग होने वाली किस-किस वस्तु में क्या-क्या टेस्ट, कब-कब, किस-किस प्रयोगशाला के माध्यम से किये जाने का नियम है? (ग) प्रश्नांश (क) में किये गये कार्यों की गुणवत्ता का टेस्ट क्या प्रश्नांश (ख) में बताये गये गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर किया गया है? हाँ तो जानकारी देवें? अगर नहीं किया गया तो, क्यों नहीं किया गया? क्या शासन ठेकेदार तथा विभागीय अधिकारियों पर कोई कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" पर** है। (ख) प्राक्कलन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के

आई.एस.एस.आर. दिनाँक 10.05.2012 के आधार पर बनाया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर** है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर** है। (घ) गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बस स्टैण्ड पर सीमेन्ट कांक्रीट कार्य

85. (क्र. 3436) श्री गिरीश भंडारी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ नगर पालिका द्वारा बस स्टैण्ड पर सीमेन्ट कांक्रीट का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो? कुल तकनीकी स्वीकृति/कुल लागत/कुल भुगतान राशि की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या बिना सक्षम तकनीकी (पूर्ण स्वीकृति) के भुगतान किया गया है? जो कि नियम विरूद्ध है? यदि हाँ, तो सम्बंधित दोषी पदाधिकारी/अध्यक्ष/C.M.O./लेखापाल का नाम बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या सम्बंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों नहीं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) एवं (ग) प्रकरण में जाँच करायी जा रही है। जाँच निष्कर्षो के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट – "तेईस"

सबलगढ़ नगर पालिका अंतर्गत रोड़ एवं पार्क निर्माण

86. (क्र. 3443) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राम मंदिर से सुनहरा एवं पंजाबी बाग उत्कृष्ट रोड़ कब स्वीकृत हुई, एवं निर्माण में लागत राशि कितनी हैं? कब तक पूर्ण होनी है? चम्बल कालोनी में पार्क निर्माण की स्वीकृत राशि एवं कार्य पूर्ण होने की समयावधि बताऐं? (ख) क्या यह सही है कि उत्कृष्ट रोड के टेंडर जारी कर दिए गए हैं लेकिन नगर पालिका द्वारा वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए हैं? क्या दोषी अध्यक्ष/सी.एम.ओ. के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी? यदि हाँ, तो कब? (ग) उत्कृष्ट रोड़ की लंबाई, चौड़ाई कितनी हैं? स्टीमेट के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएं, एवं पार्क निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? (घ) क्या उत्कृष्ट रोड एवं पार्क निर्माण में देरी के लिए संबंधित ठेकेदार/सी.एम.ओ./अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी? यदि हाँ, तो कब?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) राम मंदिर से सुनहरा एवं पंजाबी बाग उत्कृष्ट रोड़ यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत दिनाँक 29.03.2013 को स्वीकृत हुई। स्वीकृत लागत राशि रू. 459.10 लाख है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात कार्यपूर्ण होने की अवधि 9 माह है। चम्बल कॉलोनी में पार्क निर्माण की परिषद द्वारा स्वीकृत राशि रू. 24.19 लाख एवं कार्य पूर्ण होने की समयावधि कार्यादेश दिनाँक 06.09.2013 से 6 माह है। (ख) जी हाँ। वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, वित्तीय स्वीकृति पश्चात कार्यादेश दिया जायेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नगर पालिका कार्यालय से सुनहरा वाटर वर्क्स तक रोड़ की लम्बाई 900 मीटर एवं चौड़ाई 13 मीटर तथा पंजाबी बाग से नगर पालिका सीमा तक रोड़ की लम्बाई 3000 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। पार्क निर्माण कार्य दिनाँक 30 जून, 2015 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भवनों का विद्युतीकरण एवं मरम्मत कार्य

87. (क्र. 3444) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13, 2013-14, एवं 2014-15 में लोक निर्माण विभाग सबलगढ़ में आवासीय/गैर आवासीय बंगलों का विशेष मरम्मत कार्य, वार्षिक मरम्मत, विद्युतीकरण आदि के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई एवं कितनी व्यय हुई? (ख) इसमें कितनी राशि की विद्युत सामग्री/उपकरण आदि की खरीदी की गई? कितनी राशि की विद्युत सामग्री का उपयोग किया गया है? कितनी सामग्री खराब हो गई है? इसकी जाँच कब, किसने की है? विगत तीन वर्षों की जानकारी देवें? (ग) क्या शासन विद्युतीकरण कार्य में की गई वित्तीय अनियमितता एवं मरम्मत कार्य में राशि के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ-1" एवं "अ-2" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब-1" एवं "ब-2" अनुसार** है। (ग) उत्तरांश क एवं ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गुना जिले में अंतर्गत स्वीकृत पद

88. (क्र. 3454) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में लोक निर्माण विभाग में कितने पद सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) परिक्षेत्र में कितने उपयंत्री प्रभारी सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत हैं? (ग) क्या परिक्षेत्र में संलग्न (पदस्थ) सहायक यंत्री के रहते हुय किसी संभाग के उपयंत्री द्वारा प्रभारी सहायक यंत्री के पद पर कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो संलग्न सहायक यंत्री को ही पदस्थ किया गया है? (घ) क्या पदस्थ प्रभारी सहायक यंत्री को शासन द्वारा जारी फिट लिस्ट के आधार पर प्रभारी बनाया गया? क्या शासन द्वारा फिट लिस्ट जारी की गई है? क्या फिट लिस्ट के आधार पर वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए कनिष्ठ उपयंत्री को प्रभारी सहायक यंत्री तो नहीं बनाया गया? ऐसे कनिष्ठ उपयंत्री को शीघ्र प्रभारी सहायक यंत्री के पद से पदमुक्त कर वरिष्ठ उपयंत्री को प्रभार देने की कार्यवाही की जावेंगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलगन परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार**। पदोन्नति एवं सीधी भर्ती की कार्यवाही की गई है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार**। (ग) जी हाँ। अधिकारियों की कमी होने के कारण विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 1-6/2004/स्था/19 दि. 22/07/2004 एवं दिनाँक 13/04/2005 के प्रावधान अनुसार। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट – "चौबीस"

शासकीय आवासों का आवंटन

89. (क्र. 3455) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के अधीन गुना जिले में कितने आवासीय भवन उपलबध हैं? क्या भवनों का आवंटन नियमानुसार किया गया एवं आवंटन का अधिकार किस अधिकारी को है? (ख) क्या

आवंटित भवनों में वहीं कर्मचारी निवासरत हैं अथवा अन्य कोई निवासरत् हैं? (ग) शासन के निर्देशानुसार क्या स्वयं के नाम मकान रहते हुए भवन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? (घ) नियम विरूद्ध रहने वालों से क्या भवन खाली करवाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) गुना-जिले में लोक निर्माण विभाग, उत्तर-परिक्षेत्र-ग्वालियर के अधीन 100 आवासीय भवन उपलब्ध हैं। जी हाँ। भवनों का आवंटन कार्य विभाग मेन्युअल भाग-1 की कंडिका 3.014 में वर्णित प्रावधानुसार किया जाता है। (ख) आवंटन प्राप्त कर्मचारी ही निवासरत हैं। (ग) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। (घ) 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

क्वारी नदी पर कचौंगरा में पुल ढहने की घटना में कार्यवाही

90. (क्र. 3494) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वर्ष 2004 में कचोगरा में क्वारी नदी पुल निर्माण हेतु किस निर्माण एजेंसी से अनुबंध किया गया? क्या पुल का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ? यदि हाँ, तो क्वालिटी और गुणवत्ता पर नियंत्रण किन-किन अधिकारियों द्वारा रखा गया, कब-कब जाँच की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित पुल वर्ष 2014 में किन कारणों से ढह गया? पुल (सेतु) ढहने से पहने (पूर्व) कब-कब किन-किन अधिकारियों ने किसके आदेश से निरीक्षण किया निरीक्षण प्रतिवेदन में क्या टीप अंकित की गई विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित पुल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? क्या डिजाइन समुचित थी? यदि हाँ, तो पुल क्यों ढह गया? प्रश्नांश दिनाँक तक पुल में मरम्मत करने या पुर्ननिर्माण करने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में पुल ढहने से शासन को कितनी क्षति हुई? कितनी आबादी प्रभावित हुई? निर्माण एजेंसी और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) भिण्ड जिले में वर्ष 2004 में कचरेगरा में क्वारी नदी पर पुल निर्माण हेतु किसी भी निर्माण एजेन्सी से अनुबंध नहीं किया गया है। अपितु फूफ उमरी के बीच पुल निर्माण का अनुंबंध मेसर्स ए.बी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ग्वालियर से किया गया था। जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) पुल के ढहने के संबंध में विस्तृत जाँच प्रक्रियाधीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) अनुबंधानुसार पुल निर्माण की डिजाईन ठेकेदार द्धारा तैयार कराई गई। पुल के गिरने में डिजाईन एवं अन्य कारणों के संबंध में जाँच प्रक्रियाधीन है। (घ) जाँच पूर्ण होने पर क्षति का आंकलन हो सकेगा। वैकल्पिक पुलिया से आवागमन संचालित है। पुल की निर्माण एजेन्सी ए.बी. कन्स्ट्रकशन कम्पनी के पंजीयन को निलंबित करते हुए डिजाईन कंसल्टेंट को काली सूची में डाला गया है। जाँच निष्कर्ष उपरांत संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

संविदा के आधार पर अवैध नियुक्ति

91. (क्र. 3495) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कार्यालय सम्भागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई. यू.

भिण्ड के पत्र क्रमांक 193 दि. 11.09.2014 संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु परियोजना संचालक भोपाल को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो नियुक्ति करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए? (ख) क्या शासन के नियमों के अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारी को पुन: किन शर्तों के अधीन पुन: नियुक्ति की जा सकती है? (ग) क्या यह सही है कि परियोजना संचालक पी.आई.यू. भोपाल के पत्र क्रमांक 206 अनुसार सहायक ग्रेड-दो कम ज्ञान का उल्लेख किया गया है? यदि ज्ञान का अभाव है तो सहायक ग्रेड-दो पर नियुक्त/पदोन्नति कैसे हुई? (घ) सम्भागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. भिण्ड प्रश्नांश दिनाँक तक कौन-कौन से पद रिक्त है? क्या योग्यता है? संविदा पर कौन-कौन पदस्थ है? वेतन व भत्ते किस मद से आहरण किए जा रहे हैं? क्या सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई? पी.आई.यू. में किन-किन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। संविदा नियुक्ति हेतु मापदंड सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. -3-12/2011/3/1 दिनाँक 03/09/2011, दिनाँक 03/09/2011 एवं दिनाँक 20/01/2012 अनुसार। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार। (ग) जी हाँ। सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति नियम, 2002) में निहित प्रावधान अनुसार हुई। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार**। प्रचलित विभागीय भर्ती नियम अनुसार। कोई नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जिला स्तर पर मात्र डाटा एंट्री आपरेटर को संविदा पर नियुक्ति करने का प्रावधान है।

परिशिष्ट – "पच्चीस"

बाघों के उत्थान हेतु कार्यवाही

92. (क्र. 3524) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सही है कि अब प्रदेश में बाघ प्रदेश होने का गौरव छिन गया है? यदि हाँ, तो उसे वापस प्राप्त करने के शासन द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण दें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : किसी भी प्रदेश को अधिकारिक रूप से बाघ प्रदेश होने का दर्जा नहीं दिया गया है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अखिल भारतीय वन्यप्राणी गणना वर्ष 2006 से बाघों की गणना 04 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा करायी जाती है। वर्ष 2010 की गणना में मध्यप्रदेश में बाघों की औसत संख्या 257 थी। वर्ष 2014 की गणना में यह संख्या 308 (19.84 प्रतिशत की वृद्धि) हो चुकी है जबकि इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघों की संख्या इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ गणना कार्य अभी चल रहा है, जिसके कारण यह संख्या बढ़ भी सकती है। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिये पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्स्थापन किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्स्थापन कर बाघों हेतु उपलब्ध क्षेत्र को मानव एवं पालतू पशुओं के व्यवधान से मुक्त कराया गया है। चारागाहों का प्रबंधन से प्रे बेस में वृद्धि, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है एवं उनकी सुरक्षा के उपाय भी किये गये हैं। इन्हीं सब कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

सड़क विकास निगम द्वारा सड़कों का निर्माण

93. (क्र. 3525) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा कराये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, कुछ कार्य जो शासन द्वारा आवंटित होते है। (ख) शासन के निर्देशों के आधार पर।

शापिंग माल में पार्किंग की व्यवस्था

94. (क्र. 3585) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कितने निजी शापिंग माल एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे है जिन्होंने 1 जनवरी 2012 के बाद स्वीकृत नक्शे के अनुसार वाहन स्टेण्ड नहीं रखे है? सूची उपलब्ध करावें? (ख) इंदौर, उज्जैन संभाग में बन रहे शॉपिंग मॉल में वाहन स्टेण्ड निर्माण एवं अन्य क्या मापदण्ड है? नियमों की प्रतिलिपि से अवगत करावें? (ग) क्या यह सही है कि उज्जैन संभाग में बन रहे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉलों में मुख्य बाजार में वाहन स्टेण्ड नहीं होने के कारण वाहन सड़क पर ही खड़े रहते है जिससे यातायात निरंतर प्रभावित होता रहता है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा किस-किस शॉपिंग मॉल के खिलाफ किस-किस दिनाँक को क्या-क्या कार्यवाही की गई, अवगत करावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) 04। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) नगर निगम देवास में निर्माणाधीन 04 शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण, अनुमति के विपरीत पाया गया है, जिससे निगम द्वारा निर्माणकर्ताओं को अनुमति के विरूद्ध निर्माण कार्य को हटाने की सूचना जारी की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है।

लेबड-नयागांव फोरलेन पर दुर्घटना

95. (क्र. 3586) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक लेबड़-नयागाँव फोरलेन पर कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु, कितनी दुर्घटना तथा कितने व्यक्ति घायल हुये केवल संख्या बतायें? (ख) 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक लेबड़-नयागाँव फोरलेन किस टोल पर प्रतिदिन कितनी-कितनी राशि का कलेक्शन हुआ टोलवार जानकारी देवें? (ग) उक्त फोरलेन पर निर्माण कम्पनी द्वारा एग्रीमेंट अनुसार कौन-कौन कार्य प्रश्न दिनाँक तक अधूरे हैं, अधूरे कार्य की सूची देवें? (घ) क्या फोरलेन निर्माण कम्पनी द्वारा सड़क किनारे जिन व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया है क्या उन्हें प्रश्न दिनाँक तक अतिक्रमण मुक्त कर दिया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर स्थानवार जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक लेबड-नयागांव फोरलेन मार्ग पर मृत, दुर्घटना तथा घायल व्यक्तियों की जानकारी पुलिस अधीक्षक धार, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच से प्राप्त की जाकर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) उक्त फोरलेन पर लेबड़-जावरा सेक्शन में एग्रीमेंट अनुसार 57 स्थानों पर विद्युत संयोजन कार्य अपूर्ण है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है तथा जावरा-नयागांव सेक्शन में कोई कार्य अधूरा नहीं है। (घ) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

अम्बाह विधानसभान्तर्गत उसैत रोड़ का निर्माण

96. (क्र. 3619) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अम्बाह तहसील अंतर्गत उसैत रोड़ निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है, कार्य प्रारंभ होने की तथा कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी? स्वीकृत टेन्डर व कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति का विवरण उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्न दिनाँक तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? (ग) क्या यह सही है कि जो सड़क निर्माण का कार्य हुआ है वह घटिया किस्म का हुआ है, क्या शासन उक्त सड़क निर्माण की विशेषज्ञ/इंजीनियरों के सहयोग से जाँच करायेगा, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) ठेका मेसर्स कॉनकास्ट इन्फ्राटेक लिमिटेड नई दिल्ली। प्रारंभ तिथि 29.12.2012 कार्य पूर्ण होने की अवधि 28.12.2014। इस कार्य का टेण्डर दिनाँक 31.05.2011 को आमंत्रित किया गया था एवं आवार्ड दिनाँक 16.12.2011 को स्वीकृत हुआ था। (ख) 20 प्रतिशत पूर्ण। संभवत: 31 मार्च 2016 तक। (ग) जी नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

बी.ओ.टी. द्वारा स्वीकृत मार्ग पूर्ण किया जाना

97. (क्र. 3623) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाचरौद से रूनिजा मार्ग एवं उन्हेला रेल्वे स्टेशन से बड़ा चिरोला तक मार्ग बी.ओ.टी. द्वारा स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? (ख) वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा उक्त दोनों कार्य बन्द कर दिये गये हैं, क्यों? (ग) उक्त दोनों मार्गों को पूर्ण करने की समय सीमा शासन द्वारा क्या निर्धारित की गई है? उक्त रोड कब तक बनाकर तैयार करने के निर्देश हैं? (घ) यदि उक्त कार्य समय सीमा में नहीं हो पा रहा है, तो शासन द्वारा ठेकेदारों/संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) मार्ग के कंसेशनायर द्वारा कंपनी की आंतरिक समस्याओं के कारण कार्य बंद है। (ग) जी नहीं। अनुबंधानुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 06.09.2015 है। (घ) कार्य के माइलस्टोन समय-सीमा में पूर्ण न हो पाने के कारण अनुबंधानुसार स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा सूचना पत्र (नोटिस) जारी किये गये हैं।

उद्यमिता विकास केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों की विभागीय जाँच

98. (क्र. 3654) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. में स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों पर विभागीय जाँच अरोपित की गई? उनमें से कितने अधिकारियों की जाँच लंबित है एवं कितनी पूर्ण हो गई? जाँच कितनी अवधि से लंबित है? यदि जाँच पूर्ण हो गई है, तो क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ने अध्यक्ष सेडमेट को अपील की गयी? क्या अध्यक्ष द्वारा उनकी जाँच किसी शासन के अधिकारी द्वारा कराई गई? यदि जाँच पूर्ण हो गई, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो जाँच लंबित क्यों है? कारण बतावें? (ग) क्या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त जाँच अधिकारी ने किसी कर्मचारी को दोषी पाया गया? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या उन्हें बहाल किया गया? यदि बहाली नहीं की गई, तो कारण बतावें? (घ) क्या शासन के किसी अधिकारी द्वारा जाँच की गई? क्या उनके द्वारा किसी भी कर्मचारी को दोषी पाया गया? उनकी जाँच रिपोर्ट पर अध्यक्ष सेडमेप या

प्रमुख सचिव द्वारा जाँच रिपोर्ट को सही माना गया? यदि हाँ, तो कार्यकारी संचालक को बहाल करने के निर्देश दिये गये कि नहीं? नहीं, तो कारण बतावें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला मुख्य मार्ग तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना में सम्मिलित सड़कें

99. (क्र. 3714) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषयांकित सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल नहीं है? क्या वे सड़कें लोक निर्माण विभाग के पास हैं? (ख) विकासखण्ड लांजी के अंतर्गत मोहझरी से चिखलामाली, बोथली से बड़गांव पुलिया सहित चॉदाटोला से पिपलगांव कला, चॉदाटोला से जुनेवानी, अमेडा से पाथरगांव, मोहझरी से आवा, डोरली से कदमटोला, टेडवा से मोहझरी, सावरीखुर्द से डोंगर गांव, दिघोरी से पोण्डी, लांजी मुख्य मार्ग से दखनीटोला होते हुए आमगांव मुख्य मार्ग के निर्माण हेतु तथा डामरीकरण हेतु विभाग के पास क्या योजनाएं हैं? (ग) विकासखण्ड किरनापुर के अंतर्गत माटे से केसा, माटे रोड से कालागोटा होते हुए केसा, कुण्डे से कटंगटोला, कुण्डे से मोहगांव खुर्द, कुण्डे से करियादण्ड, दहेदी साल्हे, पिपरटोला से निलजी टोला, जानवा से कटौरी, लवेरी से बेलगां रोडों के डामरीकरण हेतु विभाग के पास क्या योजना है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विषयानुसार जिला मुख्य मार्ग लो.नि.वि. के अंतर्गत है एवं ग्रामीण क्षेत्रों की वे सड़के जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सम्मिलित नहीं है लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों के अंतर्गत है। (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "छब्बीस"

उद्योग विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति

100. (क्र. 3745) श्री चैतराम मानेकर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्योग विभाग में सहायक प्रबंधक के कितने पद सीधी भर्ती/पदोन्नति के स्वीकृत हैं और उनके विरूद्ध कितने सहायक प्रबंधक कार्यरत हैं, तथा कितने पद रिक्त हैं? पृथक-पृथक पदोन्नति/सीधी भर्ती की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रिक्त सहायक प्रबंधकों के पदों की पूर्ति की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक एवं किस रीति से?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) उद्योग विभाग में सहायक प्रबन्धक के कुल 330 पद स्वीकृत हैं इनमें से 247 सीधी भरती तथा 83 पद लिपिकवर्गीय सेवाओं से चयन द्वारा (सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से) स्वीकृत हैं। पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध कुल 157 सहायक प्रबन्धक कार्यरत हैं। सीधी भरती के 162 पद एवं लिपिकवर्गीय सेवाओं से चयन द्वारा के 11 पद रिक्त है। (ख) जी हाँ। समय सीमा बताना संभव नहीं है। रिक्त सहायक प्रबन्धकों के पदों की पूर्ति हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को प्रस्ताव भेजा गया है।

निर्वनीकृत भूमि को नारंगी भूमि से पृथक किया जाना

101. (क्र. 3746) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल नारंगी क्षेत्र इकाई के द्वारा 1299 ग्रामों की कितनी बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़, चट्टान, घांस, चरनोई मद में दर्ज जमीनों एवं कितनी निर्वनीकृत की गई भूमियों को किस आदेश की किस कंडिका के अनुसार 1996 से प्रारंभिक सर्वे में शामिल किया गया? इनमें से कितनी भूमियों को प्रश्नांकित तिथि तक नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक कर दिया है, कितनी भूमि पृथक नहीं की जा सकी है? (ख) नारंगी भूमि के 1996 से प्रारम्भ सर्वे में शामिल बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल एवं निर्वनीकृत भूमियों को नारंगी भूमि आंकड़ों से पृथक किए जाने की कार्यवाही राज्य शासन या भारत शासन या न्यायालय के किस दिनाँक को दिए आदेश के तहत की जा रही है? (ग) बड़े झाड़, छोटे झाड़ का जंगल एवं निर्वनीकृत कितनी भूमियां नारंगी वनखण्डों और वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई है? इन भूमियों को नारंगी भूमि आंकड़ों से पृथक किए जाने की कार्यवाही प्रश्नांकित तिथि तक भी न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) बड़े छोटे झाड़ का जंगल एवं निर्वनीकृत भूमियों को नारंगी वनखण्डों, वर्किंग प्लान एवं नारंगी भूमि आंकड़ों से कब तक पृथक कर दिया जावेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वन मुख्यालय में कार्यरत शाखाएं

102. (क्र. 3747) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में भू-अभिलेख शाखा, भू-प्रबन्ध शाखा, मैनुअल शाखा कब-कब से कार्यरत हैं इन शाखाओं के क्या-क्या कार्य विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं इन शाखाओं में किस-किस श्रेणी के अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं इसके अतिरिक्त मुख्यालय में अन्य कौन-कौन सी शाखाएं वर्तमान में कार्यरत हैं? (ख) वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में भारतीय वन अधिनियम 1927 की 1965 में संशोधित धारा 34अ के तहत राजपत्र में किस-किस दिनाँक को प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं की प्रतियां वर्तमान में उपलब्ध हैं? मुख्यालय में राजपत्र को संधारित किए जाने का कार्य किस शाखा के द्वारा किया जाता है? (ग) मध्यप्रदेश राजपत्र में 1965 से 1980 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं के अनुसार डीनोटीफाईड भूमियों को वन मुख्यालय द्वारा संशोधित किए जाने का पत्र किस दिनाँक को जारी किया? इन डीनोटीफाईड भूमियों को परिभाषित वन, या नारंगी वन या समझे गए वन माने जाने का पत्र किस दिनाँक को जारी किया? (घ) डीनोटीफाईड भूमियों को परिभाषित वन या नारंगी वन या समझे गए वन माना जाकर कार्यवाही करने वाले वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध किन नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही के प्रावधान हैं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मरम्मत एवं निर्माण कार्यों में अनियमितता

103. (क्र. 3790) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक लोक निर्माण संभाग गुना के अन्तर्गत विशेष मरम्मत, अनुरक्षण, एम.ओ.डब्ल्यू., पटरी भराई आदि मरम्मत निर्माण के कार्य किसी भी निधि से कराये हैं? (ख) क्या लोक निर्माण संभाग गुना में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को हेण्ड रिसीप्ट के लिए राशि प्रदान की है? यदि हाँ, तो किसे और किन कार्यों के लिए

बतायें? क्या अन्य तकनीकी विभागों में हेण्ड रिसीप्ट बंद कर दी है इस विभाग में कब से बंद होगें? (ग) क्या लोक निर्माण संभाग गुना में सांसद/विधायक निधि से गत 2 वर्षों में कोई निर्माण या मरम्मत के कार्य कराये है? यदि हाँ, तो कार्यों एवं उपयोग की गई राशि सहित विवरण दें? (घ) यदि गत दो वर्षों में प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के अन्तर्गत विभाग द्वारा कार्य कराये है, तो उनका प्रश्न दिनाँक तक भौतिक सत्यापन किया जाकर की गई अनियमितताओं में दोषियों पर कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक कार्यवाही करेगें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। स्वीकृत मद के अनुरूप ही कार्य कराया गया है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है। अत: वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (घ) जी हाँ। भौतिक सत्यापन कराया गया है, परन्तु कोई अनियमितता ना होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

वन्य प्रणियों द्वारा फसल की क्षति का मुआवजा

104. (क्र. 3842) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वनप्रणियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई हैं? यदि हाँ, तो शाहकारी वन्यप्रणियों के लिए रहवास एवं अहार का संकट उत्पन्न होने से कृषकों की खड़ी फसलों को वन्यप्रणियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा हैं? (ख) क्या अन्य देशों के विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई तकनीकी अनुसार वन्य प्राणियों के समूह को पकड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने की तकनीकी पर शासन स्तर पर क्या विचार किया जा रहा हैं? (ग) प्रदेश के जिलों में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में वन प्रणियों के द्वारा किस-किस किसानों के कितनी-कितनी फसलों को बर्बाद कर कितना-कितना नुकसान पहॅुचाया गया? जिलेवार कृषकों के नाम सहित क्षतिग्रस्त फसल की मुआवजा राशि सहित जानकारी देवें? (घ) क्या राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ क्रमांक 4 में फसल हानि की आर्थिक सहायता में 25 प्रतिशत से कम हानि होने पर प्रभावित किसानों को मुआवजा/अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान का उल्लेख नहीं होने के कारण उक्त किसानों को आर.बी.सी. 6/4 का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रावधान में संसोधन कर प्रभावित किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

म.प्र. विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन

105. (क्र. 3859) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा म.प्र. विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 पारित किया गया हैं? जिसके अनुसार भूखण्डों पर पट्टा निष्पादन के 3 वर्ष के उपरांत भी यदि निर्माण नहीं किया जाता है तो दण्ड राशि रू. 1000/- प्रति दिवस के अनुसार अधिरोपित की जाये? (ख) यदि हाँ, तो उक्त नियम पारित होने के बाद भोपाल संभाग के विकास प्राधिकरणों में कितने आवंटियों पर समय पर भवन निर्माण न करने के कारण अर्थदण्ड लगाया गया है? (ग) जिन भूखण्डों पर अर्थदण्ड लगाया गया है उसका विक्रय

मूल्य कितना था एवं उस पर कितना अर्थदण्ड लगाया गया? (घ) भूखण्ड पर अर्थदण्ड लगाने के पश्चात् भवन निर्माण हेतु कितने दिनों/वर्षों का समय दिया जाता है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। भूखण्डों पर पट्टा निष्पादन के छः वर्ष के भीतर अनुज्ञेय निर्माण क्षेत्र के न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग पर निर्माण नहीं किया जाता है तो म.प्र. विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 के अनुसार निर्माण पूरा होने तक रूपये 1000 प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। (ख) एवं (ग) भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 11 आवंटियों पर समय पर भवन निर्माण नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ठ-अ अनुसार** हैं। (घ) भूखण्ड पर अर्थदण्ड लगाने के पश्चात् जब तक भूखण्ड पर भवन निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक अर्थदण्ड का प्रावधान है।

<u>ग्राम खोड़ी की शराब फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रभाव</u>

106. (क्र. 3867) श्री मेव राजकुमार : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम खोडी में निर्मित शराब फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट पानी से कृषि भूमि के बंजर होने एवं पानी को नदी, नालों में छोड़ने से जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु एवं आसपास के क्षेत्र के निवासियों के जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर विगत दो वर्ष में कब-कब विभाग को शिकायतें प्रस्तुत की गई? तिथिवार बताई जावें? (ख) ग्राम खोडी में निर्मित शराब फैक्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों को कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना चाहिए एवं कितना पारिश्रमिक प्रतिमाह दिया जाता है, क्या जीवन सुरक्षा हेतु किसी प्रकार का जीवन बीमा भी कराया जाता है? (ग) प्रश्न (ख) के संबंध में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों द्वारा कब-कब नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया एवं उस पर प्रबंधन द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? (घ) प्रश्न (क) के संदर्भ में क्या विभाग द्वारा शिकायतों की जाँच हेतु दिनाँक 01.04.13 में उच्च स्तरीय जाँच कराने हेतु समिति का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो जाँच दल में कौन-कौन अधिकारी सम्मलित किय गये, जाँच किसके निर्देशन में की गई, जाँच के समय कौन-कौन शिकायतकर्ता उपस्थित रहे एवं जाँच में क्या पाया गया?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) ग्राम खोड़ी मे स्थित शराब फैक्ट्री के आस-पास की कृषि भूमि के बंजर होने तथा क्षेत्र के निवासियों के जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने बाबत् शिकायत माननीय विधायक श्री राजकुमार मेव द्वारा पत्र दिनाँक19/2/2013 द्वारा की गई। (ख) कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों/मजदूरों को पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था, स्वल्पाहार गृह की व्यवस्था, प्रथमोपचार पेटी की व्यवस्था, सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था, सवैतनिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध है। दुर्घटना होने पर श्रमिकों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने हेतु श्रमिकों का समूह बीमा योजना, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत कराया गया है। श्रमिकों को दिनाँक 1/10/2014 से निर्धारित न्यूनतम वेतन दर अनुसार प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाना है, निर्धारित दरें निम्नानुसार हैः-

क्रं.	श्रेणी	दैनिक न्यूनतम वेतन	मासिक न्यूनमत वेतन

1	उच्च कुशल	रूपये 374/-	रूपये 9735/-
2	कुशल	रूपये 324/-	रूपये 8435/-
3	अद्र्वकुशल	रूपये 271/-	रूपये 7057/-
4	अकुशल	रूपये 228/-	रूपये 5939/-

(ग) कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने बाबत् संभागीय कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) जी हाँ। सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शिकायत की जाँच हेतु पत्र क्रमांक 1434, दिनाँक 20/2/2013 द्वारा समिति गठित की गई। समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल किये गये थे :- (1) श्रीमती ममता पटेल, तहसीलदार, प्रतिनिधि अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बड़वाह, जिला खरगौन (2) श्री बी.एस.सेंगर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बड़वाह जिला खरगौन (3) श्री जी.के.गुप्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बड़वाह जिला खरगौन (4) श्री शिवकुमार दुबे, जिला आबकारी अधिकारी, बड़वाह जिला खरगौन (5) श्री ए.ए.मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर (6) श्रीमती अपर्णा बापट, मुखय रसायनज्ञ, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर। जाँच के समय शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं थे। शिकायत की जाँच में उद्योग से किसी भी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण होने, कृषि भूमि के प्रभावित होने अथवा इकाई के आस-पास के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं जन-जीवन के प्रभावित होने की स्थिति नहीं पाई गई है। इकाई के समीप स्थित खुले कुओं में भूरे रंग का पानी होने की स्थिति पाई गई।

हरदा जिलान्तर्गत सड़क निर्माण

107. (क्र. 3873) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यही सही है कि हरदा जिले के ग्राम गुल्लास से हण्डिया व्याहा नादरा, आदमपुर जुगरिया मार्ग लगभग 16 कि.मी. के रास्ते में अन्य ग्राम जुड़े है, का निर्माण कार्य नहीं होने से क्षेत्र के किसानों/आमजनों को काफी परेशानी हो रही है? (ख) क्या प्रश्नांकित मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो क्या कारण है, कि स्वीकृति के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? (ग) उपरोक्त मार्ग का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) ग्राम गुल्लास से हण्डिया व्हाया नांदरा आदमपुर जुगरिया मार्ग का निर्माण अपूर्ण होने से ग्राम गुल्लास, नांदरा आदमपुर, जुगारिया ग्राम के किसानों/आमजनों को आवागमन में असुविधा हो रही है। (ख) जी हाँ। स्वीकृति पश्चात निर्माण कार्य 7.00 कि.मी. (बी.टी.+सी.सी.) 21 नग पुलिया एवं शेष लंबाई में द्वितीय श्रेणी स्तर तक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ठेकेदार द्वारा अपेक्षित गति से कार्य पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार का ठेका 20.01.2014 को 3 (सी) में विखण्डित कर दिया गया है, तथा हर्जे खर्चे पर निविदा को छः बार आमंत्रित किया जा चुका है। निर्माण एजेन्सी नियत नहीं हुई है। (ग) शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु रिस्क एण्ड कास्ट पर निविदा कार्यवाही प्रक्रियानधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हरदा जिला अंतर्गत सड़क निर्माण

108. (क्र. 3874) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरदा जिले के ग्राम मसनगांव से हण्डिया ब्याहा छिड़गांव, धनगांव, रेलवा, अजनास एवं

डुमलाय मार्ग का निर्माण कार्य नहीं होने से क्षेत्र के किसानों एवं आम जनता को अत्याधिक कठिनाई हो रही है? (ख) क्या प्रश्नांकित मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो क्या कारण है, कि स्वीकृत के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? यदि नहीं तो कब तक मार्ग की स्वीकृति जारी कर दी जावेगी? (ग) उक्त मार्ग का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। मार्ग निर्माण कार्य न होने से नहीं अपितु मार्ग निर्माण अपूर्ण होने से क्षेत्र के किसानों एवं आम जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में मार्ग के 7.45 कि.मी. में डामरीकरण एवं सी.सी. पूर्ण। 19 नग पुलिया पूर्ण। ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण अनुबंध की धारा 3-सी के तहत अनुबंध विखण्डित ठेकेदार की रिस्क एण्ड कास्ट पर पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

गाडरवारा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में विकास कार्य

109. (क्र. 3916) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नगरपालिका गाडरवारा तथा नगर पंचायत सांईखेड़ा, बाबई कला एवं चीचली में विकास नगण्य है? (ख) क्या विभाग इन्हें विकसित किये जाने जैसे सड़क, नाली, पानी आदि के लिये राशि स्वीकृत कर कार्य कराये जाने की योजना पर विचार करेंगा? अगर हाँ तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गाडरवारा के खेल मैदान को स्टेडियम बनाया जाना

110. (क्र. 3917) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गाडरवारा शहर के मध्य स्थित एक मात्र खेल मैदान हैं जो लगभग पांच एकड़ भूमि पर है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग उक्त खेल मैदान को विकसित कर स्टेडियम का स्वरूप देने की योजना पर विचार करेगा? अगर नहीं तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) एवं (ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय राशि का अपव्यय

111. (क्र. 3937) श्री प्रताप सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नगर परिषद केमोर जिला कटनी में वर्ष 2012 में फर्जी निर्माण कार्य डायवर्सन पुलिया का कार्य नहीं होने पर भी पदाधिकारियों के द्वारा नगरपालिका निधी का भुगतान कर शासकीय राशि का अपव्यय किया गया था? (ख) यदि यह सही है तो उक्त अनियमितता के लिए मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग द्वार नगर परिषद केमोर के पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जाँच की गई एवं अभिलेख जप्त किये गये थे एवं जाँच में पाये गये दोषी अधिकारियों के नाम उसमें शामिल थे? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में आर्थिक अपराध अनुसंधान के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर संबंधित अपचारी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने

के बाद विभाग द्वारा विभागीय नियमों के अंतर्गत ऐसे संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) यदि वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है एवं पदाधिकारियों को दोषी पाया गय है तो ऐसे पदाधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन उत्तरदायी है एवं संबंधित के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, अपितु नगर परिषद कैमोर, जिला-कटनी में वर्ष 2006 में डायवर्सन पुलियॉ निर्माण संबंधी प्रकरण पर म.प्र. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों जबलपुर द्वारा निकाय के संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण 71/12 दर्ज कर नगर परिषद कैमोर से मूल अभिलेख जप्त किये गये थे। (ग) एवं (घ) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है, प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परसवाड़ा विधानसभा अंतर्गत स्थापित उद्योग

112. (क्र. 3990) श्री मधु भगत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से उद्योग स्थापित हैं तथा उक्त उद्योगो में कितने कर्मचारी कार्यरत है? क्या समस्त उद्योगों को पर्यावरण विभाग की मंजूरी प्राप्त है? (ख) क्या यह सही है कि उद्योगो/कारखानों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना आवश्यक है? कितने लोगों को कितना प्रतिशत रोजगार मिला? स्थानीय एवं बाहरी लोगो की जानकारी बतायें? (ग) क्या यह सही है कि उद्योगो/कारखानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को शासन के नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है? (घ) क्या शासन की कोई नवीन योजना है जिससे की कारखाने प्रारंभ कर रोजगार के अवसर प्रदान किये जावें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) परसवाडा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 46 उद्योग स्थापित हुये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** उक्त उद्योग में 465 कर्मचारी कार्यरत है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से किसी भी उद्योग द्वारा जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं की गई है। (ख) जी नहीं। केवल उन्हीं उद्योग में जिनके साथ सहायता योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में अनुबंध निष्पादित किया जाता है, मै न्यूनतम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को देने का प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।** (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। 1 अगस्त 2014 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के मध्यम से उद्योग प्रारंभ कर रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।

बायपास मार्ग का निर्माण

113. (क्र. 4046) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि डिण्डौरी नगर में बायपास मार्ग निर्माण हेतु 2008 में भूमि पूजन किया था, अगर हाँ तो बतावें वह मार्ग अभी तक अपूर्ण क्यों है? पूर्ण क्यों नहीं किया गया, मार्ग निर्माण पूर्ण नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है, मार्ग को पूर्ण कराने के लिए विभाग ने कब-कब, क्या-क्या प्रयास किया? मार्ग निर्माण कब तक होगा? (ख) कॉलेज तिराहा डिण्डौरी से जेल बिल्डिंग अमरकंटक मार्ग तक की बायपास निर्माण के लिए किस दिनाँक को कितना राशि स्वीकृत की गयी,

कब निविदा आमंत्रित की गयी? ठेकेदार को कब तक कार्य पूर्ण हेतु समय दिया गया, ठेकेदार को कब-कब, कितनी-कितनी राशि दी गयी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। डिण्डौर नगर में बायपास निर्माण हेतु भूमि पूजन 21 जून 2006 में किया गया था। भूमि विवाद होने तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा रोक लगाये जाने **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1** तथा मुआवजा प्रकरण का निराकरण देरी से प्राप्त होने तथा कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने से कार्य में विलंब हुआ। विभाग द्वारा निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के सतत् प्रयास किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" के स्तंभ 13 अनुसार** है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है।

<u>नगरपालिका परिषद नीमच की अध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा पद का दुरूपयोग</u>

114. (क्र. 4050) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यह कि वर्ष 2006 से 2009 की अवधि के दौरान नगरपालिका परिषद नीमच के लोकसेवकों एवं अधिकारियों ने नगरपालिका की निधि का दुरूपयोग करने की योजना बनाकर अपनी उपेक्षा और कदाचरण के कार्य किये और कानून में प्रावधान नहीं होते हुए भी कन्सल्टेंट के नाम पर लगभग एक करोड़ रूपये का भुगतान किया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन विकास कार्यों के लिये फर्जी तरीके से एक करोड़ रूपये की कन्सल्टेंसी का भुगतान किया? उन्हीं कार्यों के लिये पुन: दोबारा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नीता दुआ ने करीब 20 लाख रूपये की कन्सल्टेंसी का भुगतान कर दिया जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है? (ग) यह कि नगरपालिका अधिनियम 1961 में कन्सल्टेंट नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है और किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है? (घ) क्या लोक सेवक एवं अधिकारी ने परिषद के धन का दुर्विनियोग किया एवं लगभग 20 लाख रूपये पुन: दोबारा उन्हीं कार्यों पर फिजूल खर्च कर दिया है? यह राशि क्या उन से वसूली की जाना आवश्यक है तथा आपराधिक कार्यवाही कर दोषियों को दण्ड दिलवाया जाना आवश्यक है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं, कन्सलटेन्ट को भुगतान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। (ख) जी नहीं। कन्सलटेन्टों को भुगतान सम्पादित अनुबंध के अनुसार किया गया है। (ग) परियोजना में कन्सलटेन्ट नियुक्त करने का प्रावधान है, कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गई परियोजना में कार्यवाही प्रचलित है। (घ) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "सत्ताईस</u>"

<u>शुजालपुर जिले में सड़क निर्माण</u>

115. (क्र. 4054) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शुजालपुर विधानसभा में शुजालपुर से अकोदिया सांरगपुर मार्ग कब स्वीकृत किया गया एवं इसकी निर्माण एजेंसी कौन है? (ख) उक्त मार्ग के लिए टेण्डर कब किये गये? (ग) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया? वर्तमान में मार्ग कितना बन गया अथवा कितना निर्माण शेष

रहा गया है? (घ) उक्त मार्ग में पुल पुलियों का निर्माण पूरा नहीं किया गया है वे कब तक पूर्ण हो जायेंगे तथा उक्त मार्ग पर कुल कितने पुल पुलियों को बनाया जाना था?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) शुजालपुर से अकोदिया सारंगपुर का कंसेशनायर से कंसेशन अनुबंध दिनाँक 30.07.2011 को किया गया है एवं मार्ग की कंसेशनायर मेसर्स गंगोत्री सारंगपुर शुजालपुर टोलवे प्रा. लि. है। (ख) उक्त मार्ग के आर.एफ.क्यू दिनाँक 14.10.2010 एवं आर.एफ.पी. दिनाँक 27.12.2010 को आमंत्रित किये गये थे। (ग) मार्ग के निर्माण की नियत प्रारंभ तिथि 13.02.2012 है। मार्ग की प्रस्तावित निर्माणाधीन लम्बाई 38.60 कि.मी. में से सबग्रेड 28.60 कि.मी. जी.एस.बी. 10.27 कि.मी. एवं समतुल्य डीबीएम 5.00 कि.मी. लम्बाई में किया जा चुका है। शेष कार्य सबग्रेड 10.00 कि.मी. जी.एस.बी 28.33 कि.मी. एवं डी.बी.एम. 33.60 कि.मी. प्रगतिरत है। (घ) उक्त मार्ग पर सभी पुल पुलियों का निर्माण कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण होना संभावित है। उक्त मार्ग पर कुल 32 छोटे एवं बड़े पुल पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों की कल्याण योजना का क्रिन्यावयन

116. (क्र. 4098) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु योजना प्रारंभ से लेकर जनवरी 2015 तक नगर पालिका मुरैना को योजना से संबंधित कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित राशि में से हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण के लिये दी गई राशि की जानकारी वर्षवार/ कार्यवार सहित दी जावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जीं हाँ। (ख) योजनांतर्गत नगरपालिका मुरैना को राशि रूपये 20.137 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई है। (ग) नगरपालिका मुरैना को हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण के लिये वर्ष 2011 में रूपये 0.40 लाख, वर्ष 2012 में रूपये 5.502 लाख, वर्ष 2013 में रूपये 7.235 लाख एवं वर्ष 2014 में रूपये 7.00 लाख, कुल राशि रूपये 20.137 लाख दी गयी है।

शहरी घरेलु कामकाजी महिला के कल्याण संबंधी योजना का क्रियान्वयन

117. (क्र. 4099) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि शहरी, घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु योजना को लेकर जनवरी 2012 से जनवरी 2015 तक नगर पालिका मुरैना को योजना से संबंधित कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित राशि में से शहरी, घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये दी गई की राशि की जानकारी वर्षवार/ कार्यवार सहित दी जावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) जनवरी, 2012 से जनवरी, 2015 तक राशि रूपये 41.16 लाख उपलब्ध कराई गई। (ग) प्रशिक्षण में वर्ष 2011-12 में रूपये 12.88 लाख, वर्ष 2012-13 में रूपये 0.40 लाख, वर्ष 2014-15 में रूपये 13.81 लाख व्यय की गई एवं प्रसूति अवकाश के रूप में मजदूरी सहायता अंतर्गत वर्ष 2012-13 में रूपये 2.50 लाख एवं 2014-15 में रूपये 7.57 लाख राशि व्यय की गई।

शहडोल में पशु पोली क्लीनिक भवन का निर्माण

118. (क्र. 4165) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. क्रमांक 9 शहडोल द्वारा पशुपालन विभाग के पोली क्लीनिक भवन का निर्माण कार्य कब पूर्ण कराया गया और भवन जिले के उप संचालकों को कब हस्तांतरित किया गया? (ख) प्रश्नाधीन भवन का हस्तगन उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें शहडोल द्वारा किया गया अथवा नहीं? यदि हाँ, तो हस्तगन कब किया गया और यदि नहीं तो हस्तगन न करने का क्या कारण बताया गया है? (ग) भवन निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालक पशुपालन विभाग म.प्र. भोपाल को कब भेजा गया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनाँक 09.01.2014 को हस्तांतरित किया गया है। (ख) जी हाँ, दिनाँक 09.01.2014 को। (ग) दिनाँक 10.02.2015 को।

सीधी-ब्यौहारी सड़क मार्ग के निर्माण में गिट्टी का उपयोग

119. (क्र. 4209) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की बहुआयामी सड़क सीधी-ब्यौहारी के निर्माण में उपयोग की जाने वाली गिट्टी उचित गुणवत्ता एवं मापदंड की शर्तों के अनुकूल है? यदि हाँ, तो यह गिट्टी किस खदान से खरीदी जा रही है तथा इस खदान की लीज किसके नाम पर है? (ख) उक्त मार्ग के कार्य की निविदा कब स्वीकृत की गई तथा मार्ग को अभी तक पूरा क्यों नहीं बनाया जा सका है इसे कब तक पूरा बना दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) दिनाँक 06.06.2011 को, मार्ग निर्माण हेतु मटेरियल गिट्टी मुरम आदि के लिये "सिया" से पर्यावरणीय स्वीकृति में देरी से खदानों के आवंटनों में देरी हुई। मार्ग की आवश्यकतानुसार डिजाइन में आंशिक परिवर्तन व कान्ट्रेक्टर द्वारा वित्तीय व्यवस्था आदि कारणों से मार्ग निर्माण पूरा नहीं किया जा सका। शेष मार्ग निर्माण प्रगति पर है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट – "अट्ठाईस"

सीधी-रीवा सड़क मार्ग को फोरलेन बनाया जाना

120. (क्र. 4210) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा-सीधी सड़क मार्ग प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों में से एक हैं? साथ ही क्या इस मार्ग की हालत वर्षों से अत्यंत जर्जर है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कुछ वर्षों पूर्व उक्त मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वीकार किया जा चुका है? यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) क्या इस मार्ग का निर्माण उक्त स्वीकृत प्रस्तावनुसार शीघ्र कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्या बाधा है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। अनुरक्षण मद के अंतर्गत समय समय पर मरम्मत कर मार्ग को यातायात योग्य बनाये रखा गया है अत: वर्तमान में मार्ग यातायात योग्य है। (ख) रीवा से सीधी मार्ग को बी.ओ.टी. आधार पर फोरलेन करने की स्वीकृति केन्द्रीय परिवहन

मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी, परन्तु बी.ओ.टी. आधार पर इस परियोजना हेतु निविदा प्रक्रिया में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया। अत: केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा रीवा सीधी मार्ग को दो लेन प्लस पेव्हड शोल्डर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु कार्य का अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। (ग) जी हाँ कार्य प्रारंभ करने की तिथि 19.02.15 है तथा कार्य करने की अवधि 24 माह है। कार्य करने में कोई बाधा नहीं है।

खंडवा एवं खरगोन में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की भूमि

121. (क्र. 4220) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की कितनी भूमि खण्डवा व खरगोन जिले में हैं? उनका खसरा नंबर व रकबा व वह जमीन किस पटवारी हल्के में स्थित है? (ख) ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर किनका कब्जा है? खण्डवा जिले में और कितनी और कहाँ-कहाँ मंदिरों के नाम से जमीन है? सूची दें? (ग) क्या ओंकारेशवर मंदिर ट्रस्ट की खण्डवा और खरगोन जिले के ग्रामों की जमीन लीज पर दी जा रही है? यदि हाँ, तो कितने रूपए की लीज पर किसे दी जा रही है? (घ) ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की खण्डवा जिले और खरगोन जिले में स्थित जमीनों से कितनी राशि की आय हो रही है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंहस्थ 2016 की कार्ययोजना में ओंकारेश्वर में स्वीकृत कार्य

122. (क्र. 4224) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर को सिंहस्थ की कार्ययोजना में शामिल किया हैं? यदि हाँ, तो अलग-अलग विभागों ने कौन-कौन से कार्यों के प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति हेतु भेजे हैं? (ख) क्या सिंहस्थ के लिए ओंकारेश्वर में किन कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति देकर, राशि स्वीकृत की है? जिसमें कौन से निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिये गये हैं? (ग) क्या सिंहस्थ के लिए ओंकारेश्वर में नगरीय निकाय से स्वीकृत राशि से कितने निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जाऐगें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) ओंकारेश्वर के नगरीय निकाय में स्वीकृत समस्त निर्माण कार्य मार्च 2016 के पूर्व पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

टोल प्लांजा ऊमरी पर वाहनों से राशि वसूली

123. (क्र. 4227) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. रोड डव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ऐसेल के भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग पर ऊमरी ग्राम के समीप स्थापित टोल प्लाजा की अनुबंध के अनुसार क्या-क्या शर्तें हैं? (ख) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर ऊमरी टोल प्लाजा पर एक से अधिक वार वाहनों के आवागमन पर हर वार टोल टैक्स की वसूली की जाती है? यदि हाँ, तो क्या यह वसूली अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार की जा रही है? यदि नहीं तो क्या एक से अधिक वार आने-जाने वाले वाहनों से हर बार की जा रही अवैध वसूली की जाँच कराकर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही

की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि उक्त सड़क मार्ग पर ग्राम मेंहदा सहित अनेक स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त होकर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं? अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत न करने वाली कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि सड़क निर्माण के दौरान काटे गए वृक्षों के स्थान पर अनुबंध की शर्त अनुसार 5 गुना से 10 गुना पौधे सड़क निर्माता कंपनी को लगाने एवं उसका वहन भी संबंधित कंपनी को करना आवश्यक था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि उक्त कंपनी द्वारा अनुबंध की काटे गए पेड़ों के स्थान पर पेड़ नहीं लगाए गए? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग के जारी अधिसूचना क्रमांक-23-12/2006/सा./19, दिनाँक 03.11.2008 के **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। दुर्घटनाओं के कारण वाहनों का तेज गति से चलाना है। अनुबंध की शर्तानुसार निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क पर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। क्योंकि निर्माण एजेंसी द्वारा काटे गये वृक्षों के स्थान पर 5 गुना से 10 गुना पौधे लगाए गये हैं। इसलिये इसकी जाँच कराने की एवं संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "उनतीस</u>"

<u>लेबड जावरा तथा जावरा नयागांव फोरलेन पर दुर्घनाओं से मरने वालों की संख्या</u>

124. (क्र. 4239) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़ जावरा तथा जावरा से नयागांव फोरलेन के कुल 5 टोल नाके कितने-कितने किलोमीटर दूरी के लिये कितना-कितना टोल टैक्स ले रहे है? प्रारंभ से आज तक के प्रतिवर्ष के टोल टैक्स की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फोरलेन पर सड़को पर भारी गड्ढे एवं जगह-जगह सड़को पर छोटे-छोटे पेच वर्क क्या अनुबंध की शर्तों के अनुरूप हैं? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फोरलेन पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार दुर्घटना में मृत, घायल तथा सम्पत्ति के नुकसान की जानकारी कन्शेसनर द्वारा किस रूप में रखी जा रही है तथा उसके अनुसार बतावे कि निर्माण प्रारंभ होने से उत्तर दिनाँक तक कितने दुर्घटना में मारे गये तथा कितने घायल हुये, प्रतिवर्ष अनुसार, स्थान अनुसार जानकारी दें? (घ) सरकार क्या अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण टोल टैक्स बंद करेंगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) प्रश्नांकित 'क' में उल्लेखित फोरलेन सड़क पर भारी गड्ढे नहीं है। कुछ-कुछ स्थानों पर छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंसेशनायर द्वारा रिपेयर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) निवेशकर्ता से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। पुलिस अधीक्षक धार, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (घ) अनुबंध के उल्लंघन जैसी कोई स्थिति नहीं है अत: टोल टैक्स बन्द करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ई-6 एवं ई-7 परिक्षेत्र अरेरा कॉलोनी भोपाल की वर्ष 2004-2034 की पुर्ननिर्धारित लीज रेंट

125. (क्र. 4273) श्री बाला बच्चन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल में ई-6 एवं ई-7 परिक्षेत्र अरेरा कॉलोनी भोपाल की नूजल भूमि की वर्ष 2004-2034 की अवधि की पुनरीक्षित लीज दरें कलेक्टर भोपाल के द्वारा भूमि आवंटन के समय निर्धारित लीज दरों के अनुसार गणना की है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1982 में अग्रिम आवंटित में 75.0 एकड़ ई-7 परिक्षेत्र अरेरा कॉलोनी की आवंटन आदेश में कितनी लीज रेंट या भू-भाटक राशि दर्शायी हैं तथा यह प्रब्याजी राशि की कितने प्रतिशत प्रति वर्ष होती है? (ग) (ख) में वर्णित 75.0 एकड़ भूमि की लीज रेंट या भू-भाटक की राशि, आवंटन के समय में प्रति वर्ष प्रब्याजि राशि का कितने प्रतिशत है? (घ) सामान्यत: रहवासी क्षेत्र का प्रतिवर्ष भू-भाटक, प्रब्याजी राशि का राजस्व पुस्तक परिपत्र के मान से कितना प्रतिशत होता है और यदि (ख) विसंगत है तो क्या कारण है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी.हाँ (ख) ई-7अरेरा कालोनी भोपाल की 75 एकड.भूमि के आवंटन आदेश दिनाँक 29.4.2002 में वार्षिक भू-भाटक रू.5, 48, 856.00 दर्शाया गया है, जो प्रब्याजि राशि का 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। (ग) 75 एकड. भूमि का लींज रेंट प्रब्याजि राशि का 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। (घ) सामान्यत: राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार आवासीय भूमि का भू-भाटक, प्रब्याजि राशि का 5% निर्धारित है, परन्तु म.प्र. गृह निर्माण एंव अधोसंरचना विकास मंडल को आंवटित शासकीय भूमि का वार्षिक भू-भाटक (लीजरेंट) सामान्य वार्षिक भू-भाटक का 50% निर्धारित है। तदनुसार ही मंडल द्वारा लीज दरों की गणना की गयी है। अत: विसंगति नहीं है।

दै.वे.भो. कर्मचारियों का नियमितीकरण

126. (क्र. 4274) श्री बाला बच्चन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के 29.09.2014 के आदेश क्रं. F 5-3/2006/1/3 द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध दै.वे.भोगियों का नियमितीकरण किया जाएगा? (ख) क्या इसी आदेश की कंडिका 5.5 के अनुसार दै.वे.भो. कर्मचारी जिस पद/संवर्ग में कार्यरत है और संवर्ग का पद रिक्त न होकर अन्य समकक्ष पद रिक्त है और दै.वे.भो. कर्मचारी उस पद की योग्यता रखता है तो उसके समकक्ष पद की नियमितीकतरण कार्यवाही की जावें उल्लेखित है? (ग) उपरोक्त आदेशों का पालन कब तक सुनिश्चित किया जाकर दै.वे.भो. का नियमितीकरण किया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ख) जी हाँ। (ग) रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाती है, अत: समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजपत्र में डिनोटिफाइड जमीनें

127. (क्र. 4285) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव द्वारा 24.07.2004 को दिए गए आदेश के बाद भी बैतूल जिले के जिन ग्रामों की संरक्षित वन भूमि एवं जिन 30 पुनर्वास ग्रामों की आरक्षित वन भूमि वन विभाग ने राजपत्र में डिनोटीफाईड कर दी है? क्या उन्हें अभी भी परिभाषित वन या समझे गए वन ही माना जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) (क) अनुसार इस संबंध में तथा वन संरक्षण कानून 1980

अथवा वन अधिकार कानून 2006 के दायरे में आने वाली भूमि माने जाने के संबंध में मा. उच्चतम न्यायालय या भारत तथा राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो दिनाँक सहित आदेश की छायाप्रति देवें? (ग) क्या वर्ष 2004 एवं 2005 में मुख्य सचिव, वन और राजस्व विभाग ने राजपत्र में डिनोटिफाईड कर दी गई भूमियों के अभिलेख संशोधन के संबंध में आदेश/निर्देश जारी किए है? पत्र की प्रति सहित बतावें? (घ) यदि हाँ, तो क्या इन निर्देशों का पालन वन एवं राजस्व विभाग द्वारा कर राजपत्र में डिनोटिफाईड कर दी गई समस्त वन भूमि को राजस्व अभिलेखों में डिनोटिफाईड भूमि संबंधी संशोधन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? तथा कब तक अभिलेख संशोधित कर दिए जावेंगे?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नौरादेही अभ्यारण्य हेतु ग्रामों को खाली कराया जाना

128. (क्र. 4309) श्री हर्ष यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिलान्तर्गत नौरादेही अभ्यारण्य के बीच में बसे ग्राम, रमपुरा, कुशयारी व चक्कपीपला (देवरी वि.स.क्षेत्र) को रिक्त कराये जाने की योजना कब, किसके द्वारा किस नीति-नियम-प्रावधान अंतर्गत बनाई गई थी? मुआवजा निर्धारण के आधार क्या रहे? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित ग्रामों में किस आधार पर कितने व्यक्ति/कृषक को कितना-कितना मुआवजा वितरित किया गया है? मुआवजा वितरण का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा कब किया गया? ग्रामों में कितने व्यस्क व्यक्तियों को अब तक मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं? (ग) उक्त ग्रामों में मुआवजा वितरण में अनियमितता की क्या-क्या शिकायतें शासन के संज्ञान में आई हैं अथवा प्रभावितों द्वारा विभिन्न माध्यमों से की हैं? इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या विभाग पुन: सर्वे कराकर वास्तविक व्यस्क व्यक्तियों का निर्धारण करेगा और कृषकों के मुआवजा वितरण में अनियमितताओं को दूर करेगा? नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

कुवजा नदी पर पुल निर्माण

129. (क्र. 4339) श्री विजयपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभाग पिपरिया जिला होशंगाबाद के अंतर्गत ग्राम तिघड़ा माछा के बीच में कुवजा नदी पर पुल का निर्माण कब किया गया? इसकी निर्माण एजेंसी कौन थी तथा इसकी निर्माण लागत क्या थी? (ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रश्नांकित स्थल पर बना पुल एवं पुल के दोनों तरफ का रास्ता पूर्णत: क्षतिग्रस्त तथा बाढ़ में बह गया? यदि हाँ, तो विभाग इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है बतायें तथा उपरोक्त प्रकरण में कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? क्या उनसें उपरोक्त घटिया निर्माण के संबंध में वसूली की गई है? नहीं तो क्यों? (ग) क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण कब तक हो पायेगा जिससे आवागमन अवरूद्ध न हो?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) अनुविभाग पिपरिया जिला होशंगाबाद के अंतर्गत ग्राम तिघडा माछा के बीच कुवजा नदी पर वेन्टेड काजवे का निर्माण 6/2005 में पूर्ण। श्री संजय पलिया,

पिपरिया, लागत रू. 36.15 लाख थी। (ख) जी नहीं। पुल का नहीं, अपितु, वेन्टेड काजवे का निर्माण किया गया। मात्र माछा की ओर रिटर्न वाल एवं पहुंच मार्ग अत्यधिक बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण बाढ में कट कर बह गया था। उक्त स्थान पर पुल निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

रोपित पौधों की संख्या

130. (क्र. 4343) श्री रामलाल रौतेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शहडोल वन वृत द्वारा 22 जुलाई 2013 को विभिन्न मण्डलों में 56 लाख से अधिक पौध रोपण का कार्य कराकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? यदि हाँ, तो रोपित पौधे नीलगिरी, बांस, बबूल, खम्हेर के अलावा अन्य फलदार पौधे क्यों रोपित नहीं कराये गये? कारण बतायें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : जी नहीं। वन वृत्त शहडोल के वनमंडलों के अंतर्गत वन समितियों के सदस्यों द्वारा समिति खाते की राशि से स्थापित रोपणियों में तैयार किये गये पौधों का दिनाँक 22.07.2013 को निजी भूमियों पर सामूहिक रूप से एक दिन में कुल 55, 26, 945 पौधों को रोपित किया गया, जिसमें से निर्धारित साक्ष्यों की उपस्थिति स्थलों पर रोपित 17, 08, 181 पौधों का गिनीज रिकार्ड दर्ज हुआ है। रोपित पौधों में ऑवला फलदार प्रजाति के पौधे भी हैं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर निगम जबलपुर में अवैध होर्डिंग्स

131. (क्र. 4363) श्री नीलेश अवस्थी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 1 जनवरी 2014 के बाद कितने होर्डिंग्स लगे थे? इनसे नगर निगम ने प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि वसूल की जानकारी दें? (ख) सड़क किनारे होर्डिंग्स लगाने के शासन के नियम क्या है? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? एवं इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायायलय जबलपुर द्वारा लिया गया संज्ञान क्या था? (ग) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कितने होर्डिंग्स हटाये गये? (घ) क्या यह सही है, कि होर्डिंग्स कम्पनी द्वारा रजिस्टर्ड होर्डिंग्स से कई गुना अधिक होर्डिंग्स, अवैध स्थान पर अधिकारियों की मिली भगत से लगाये गये? जिस कारण सड़क दुर्घटनाओं की शंकायें बढ़ी? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

नगर पालिका/नगर परिषदों में नियुक्त कर्मचारी

132. (क्र. 4370) श्री के.पी. सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शिवपुरी जिले की नगर पालिका/नगर परिषदों में नियुक्त कर्मचारियों का नामवार ब्यौरा दें? इन कर्मचारियों में से कौन-कौन कर्मचारी सदस्य, अध्यक्ष एवं पार्षद, नगर पालिका/नगर परिषद के परिवारों से हैं? नामवार, पदवार विवरण उपलब्ध करावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

डिपाजिट या प्लान के कार्य के नियम

133. (क्र. 4380) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किए जाने वाले डिपाजिट या प्लान के कार्यों को किए जाने के क्या नियम रहे हैं? इन कार्यों के पूरा होने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा भवन का आधिपत्य न लिए जाने पर विभाग किसे जिम्मेदार मानता है? (ख) ग्वालियर परिक्षेत्र में किस अवधि में बनाए गए किस भवन का आधिपत्य प्रश्नांकित दिनाँक तक भी संबंधित विभाग के द्वारा नहीं लिया गया है? आधिपत्य न किए जाने का संबंधित विभाग के द्वारा क्या-क्या कारण बताया जा रहा है? (ग) कार्य पूरा होने के बाद भी संबंधित विभाग के द्वारा भवन का प्रभार न लेने पर विभाग अपने किस विभागीय अधिकारी को जिम्म्ेदार मानता है यदि विभागीय अधिकारी जिम्मेदार नहीं तो स्पष्ट जानकारी दें? (घ) यदि कार्यों को पूरा हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उन भवनों का आधिपत्य संबंधित विभाग को सौंपे जाने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक आधिपत्य सौंप दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। संबंधित विभाग जिम्मेदार है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित विभाग के द्वारा अधिपत्य न लेने पर संबंधित विभाग ही जिम्मेदार माना गया है, विभागीय अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

इन्दौर स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड को स्थानांतरित

134. (क्र. 4402) श्री जितू पटवारी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा प्रतिदिन रहवासी क्षेत्रों से, बाजारों से, हास्पिटलों से, स्लाटर हाऊसों से, उद्योगों से, होटलों से एवं शहर से निकलने वाला कितना कचरा उठाकर बायपास स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर इकट्ठा किया जाता है? (ख) नियमानुसार ट्रेचिंग ग्राउण्ड शहरी सीमा से कितनी दूरी पर होना चाहिये? यहाँ किस प्रकार का कचरा इकट्ठा किया जाना चाहिये एवं इकट्ठा किये गये कचरे के निपटारे की क्या व्यवस्था होना चाहिये? इस हेतु क्या प्रावधान है? (ग) क्या विगत 10 वर्षों में शहर का विकास तेजी से होकर ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं बायपास के आसपास अनेकों टाऊनशीप शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने से विकसित हुई है तथा नगर निगम इन्दौर द्वारा इन टाऊनशीपों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या अनुमति जारी करते समय ट्रेचिंग ग्राउण्ड होने की जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं थी? यदि थी तो ट्रेचिंग ग्राउण्ड के आसपास टाऊनशीप विकसित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं भवन निर्माण अनुज्ञापत्र क्यों जारी किये गये? (ड.) क्या इन्दौर स्थित विशालकाय ट्रेचिंग ग्राउण्ड को शहरी सीमा से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो इसे कब अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किया जावेगा एवं यहाँ इकट्ठा किये गये कचरे का निपटारा किस प्रकार किया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) हॉस्पिटल एवं औद्वयोगिक क्षेत्रों से उत्सर्जित अपशिष्ट को छोड़कर नगरीय क्षेत्र इन्दौर से लगभग 900 से 1000 टन कचरा टेचिंग

ग्राउण्ड में भेजा जाता है। (ख) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ''ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम-2000'' प्रावधान विहित है। (ग) जी हाँ (घ) जी नहीं, आवासीय क्षेत्रों का विकास, मास्टर प्लान एवं म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्टीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998) के विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। (ड.) जी नहीं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम-2000 के अनुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

वृक्षों को काटने की अनुमति

135. (क्र. 4403) श्री जितू पटवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में विगत 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभाग द्वारा ऐसे कितने प्रोजेक्ट/ निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किये गये हैं, जिनमें वृक्ष काटने की आवश्यकता पड़ी है? विभागवार प्रोजेक्ट के नाम बताइयें? (ख) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व क्या संबंधित विभागों द्वारा वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त की गई है तथा विभाग द्वारा एन.ओ.सी. कब एवं किन शर्तों या अनुबंधों के तहत जारी की गई है? विवरण उपलब्ध करवाये? (ग) विभाग द्वारा इन प्रोजेक्ट/निर्माण कार्य के चलते कितने वृक्ष कौन कौनसी प्रजाति के काटे गये है एवं काटे गये वृक्षों के एवज में कितने वृक्ष कौनसी प्रजाति के कहाँ-कहाँ पुन: लगाये गये हैं तथा विभाग द्वारा संबंधित विभाग या ठेकेदार से कितनी राशि प्राप्त की गई है? प्रोजेक्टवार जानकारी देवें? (घ) लगाये गये वृक्षों में से कितने वृक्ष वर्तमान में जीवित हैं एवं कितने वृक्ष मर चुके हैं? क्या मृत वृक्षों के एवज में पुन: वृक्ष लगाये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) प्रश्नांकित क्षेत्र एवं अवधि में प्रोजेक्ट/ निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी नहीं किया गया वरन् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 12 प्रोजेक्ट/ निर्माण कार्यों हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति उपरांत वन भूमि का व्यपवर्तन किया गया जिसमें वृक्ष काटने की अनुमति भी शामिल है। किसी परियोजना के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के पूर्व वृक्ष काटने की अनुमति का प्रावधान नहीं है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है।

पांढुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु परसोड़ी जलाशय का निर्माण

136. (क्र. 4420) श्री जतन उईके : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पांढुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेत ग्राम परसोड़ी में जलाशय निर्माण करने की योजना शासन द्वारा निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिये कोई सर्वे किया गया है? (ख) क्या इसके लिये कोई राशि स्वीकृत की गई है? (ग) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा तथा जलाशय का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? पांढुर्णा शहर के शहरवासियों को कब तक पीने हेतु पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जल स्त्रोत के निर्माण स्थल के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी हाँ, जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वे किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

137. (क्र. 4446) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर, जिला जबलपुर में समस्त योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन ग्रामों में सड़कें/पुल/पुलिया/रपटा/भवन स्वीकृत हैं? (ख) पृथक-पृथक कार्यों की लागत कितनी-कितनी हैं? (ग) कौन-कौन सा कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", ब अनुसार** है। (ख) शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" के स्तंभ में 5 अनुसार** है। (ग) शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" के स्तंभ में 6 एवं 7 अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट – "तीस</u>"

<u>दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण</u>

138. (क्र. 4447) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल के अंतर्गत कितने अति कुशल, कुशल, अद्र्धकुशल एवं अकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति दिनाँक जन्मतिथि, पद एवं वर्तमान पदस्थापना के अनुसार जानकारी दी जावे? (ग) जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पदों का निर्धारण विभाग द्वारा नहीं किया गया, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक - एफ-5/3/2006/1/3 दिनाँक 29 सितम्बर 2014 के अंतर्गत नियमितीकरण के योग्य माना जाएगा? यदि नहीं तो स्पष्ट कारण देवें? विभाग द्वारा उनके पदों का निर्धारण कब तक कर दिया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) वस्तुस्थिति यह है कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल के अंतर्गत अति कुशल-04, कुशल-498, अद्र्धकुशल-700 एवं अकुशल-190 कुल -1392 श्रमिक कार्यरत है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यरत श्रमिकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) राजधानी परियोजना प्रशासन में कुल 722 पद स्वीकृत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनाँक 29 सितम्बर 2014 के अन्तर्गत कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी प्रात्र नहीं पाया गया है अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>इछावर विधानसभा की सड़कों की स्थिति</u>

139. (क्र. 4448) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाऊखेडी-अमलाहा एवं चैनपुरा से भंवरा मार्ग की स्थिति क्या है? (ख) क्या इन मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिये कोई प्रस्ताव लम्बित है? यदि हाँ, तो फिर इन मार्गों का किस योजना के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा? (ग) प्रस्तावित सड़क निर्माण योजना की क्या लागत है? यह योजना कब तक पूरी कर ली जाऐगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दोनों मार्गों की स्थिति संतोषजनक है। (ख) मार्गों का रख-रखाव निरंतर किया जा रहा है एवं मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

ग्वालियर नगर निगम में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना के तहत स्वीकृत कार्य

140. (क्र. 4503) श्री रामनिवास रावत : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर नगर निगम को केन्द्र सरकार की यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजनान्तर्गत सीवर नेटवर्क एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए कितनी धनराशि की योजना स्वीकृत की गयी थी एवं प्रथम किश्त किस दिनाँक को प्राप्त हुई एवं यह कार्य नगर निगम के कौन-कौन से वार्डों में कराया जाना था? (ख) सीवर नेटवर्क का कार्य किन-किन बस्तियों में प्रश्न दिनाँक तक पूर्ण हो गया है और किन-किन बस्तियों में निर्माणाधीन है तथा कितनी बस्तियां शेष रह गयी हैं? उनमें कब तक यह प्रारंभ किया जावेगा एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य प्रारंभ हो गया है या नहीं यदि नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हैं? (ग) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजनान्तर्गत सीवर लाईन का जो कार्य रहा हैं? इस योजना में सीवर लाईन का चेम्बर हितग्राही के घर तक पहुंचाने का प्रावधान है तो क्या उसका पालन किया गया है? क्या सीवर लाईन पहले जिन बस्तियों में स्वीकृत की गयी है वहाँ पर सीवर लाईन डाली जा चुकी है? यदि नहीं डाली गयी है तो उसके क्या कारण है? (घ) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी अन्तर्गत सीवर लाईन जिन वार्डों में स्वीकृत थी उनके अलावा और किन-किन वार्डों में इस योजना के अतर्गत सीवर लाईन डाली गयी हैं तथा उसकी अनुमति संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से ली गयी है, तो उसका विवरण उपलब्ध करावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) ग्वालियर, नगर निगम की केन्द्र सरकार की यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनांतर्गत सीवर नेटवर्क एवं सीवेज टीटमेंट प्लांट की राशि रू. 6650.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई थी। प्रथम किश्त दिनाँक 17.02.2009 को प्राप्त हुई थी। यह कार्य वार्ड क्रमांक 1 से 17 तक एवं 31, 32, 33, 36 में कराया जाना था। (ख) **जानकारी पुस्ताकलय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। कोई भी बस्ती शेष नहीं रही है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। सीवेज टीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत सीवर लाईन जिन वार्डो में स्वीकृत थी उनके अलावा वार्ड क्रमांक 18 सीवर लाईन डाली गई है। अनुमति नगर निगम की मेयर-इन-कौंसिल के संकल्प क्रमांक 933 दिनाँक 17.09.2013 के द्वारा ली गई है।

श्योपुर जिले में स्थापित मंदिर

141. (क्र. 4504) श्री रामनिवास रावत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले के विजयपुर नगरीय क्षेत्र एवं मुरैना जिले के सबलगढ नगरीय क्षेत्र में कितने शासकीय (औकाफ) मंदिर कहाँ-कहाँ स्थित हैं तथा इन मंदिरों में आधिपत्य में कितनी भूमि, भवन, दुकान आदि कहाँ-कहाँ हैं इन मंदिरों की भूमियों में से कितनी-कितनी भूमि पर किस-किस का अतिक्रमण है? (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा श्योपुर एवं मुरैना जिले को कितनी राशि का आवंटन उपलब्ध कराया गया है? उक्त राशि में से कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया? कितनी राशि अभी शेष हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के मंदिरों की सम्पत्तियों से जो वार्षिक आय होती है व वह राशि किसके पास जमा है व क्या उपयोग किया गया है? क्या भवन एवं दुकानों से प्रतिमाह होने वाली आय को शासन अपने पास सीधे जमा करवाकर मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाने की व्यवस्था करेगा? (घ) क्या यह सही है कि नगर

विजयपुर में जयेश्वर महादेव मंदिर जो कि शासकीय होकर औकाफ का है किन्तु राजस्व के रजिस्टर में अंकित नहीं है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? जबकि उक्त मंदिर के नाम से ग्राम लाड़पुर में भूमि स्थित है? स्थिति स्पष्ट करें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ई-टेण्डर के बिना कराए गए निर्माण कार्य

142. (क्र. 4538) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये ई-टेण्डर प्रक्रिया लागू की गई है? यदि हाँ, तो कब से और कितने जिलों में लागू की गई है? समयावधि सहित बतायें? (ख) क्या कई ऐसे भी कार्य हैं जिनके लिये ई-टेण्डर प्रावधान का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में कार्य बिना ई-टेण्डर प्रावधान के कराये जा सकते हैं? साथ ही बतावें कि क्या ग्वालियर व टीकमगढ़ जिले में इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है? (ग) ग्वालियर व टीकमगढ़ जिले में किन-किन उपसंभागों में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से कार्य बिना ई-टेण्डर के कराये गये हैं? कार्यवार तकनीकी, प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृत राशि, कार्यादेश जारी करने वाले अधिकारी का नाम, कार्य विवरण, वर्तमान स्थिति एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी पृथक-पृथक दी जावे? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (ग) में कराये गये बिना ई-टेण्डर के कार्यों में शासन के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है और क्या इन कार्यों पर ई-टेण्डर की दरों की तुलना में शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आया है? यदि हाँ, तो कितना और इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। लोक निर्माण विभाग द्वारा ई-टेण्डर प्रकिया दिनाँक 29.01.2007 से **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार** समस्त जिलों में लागू की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ख) जी हाँ। निम्न परिपत्रों में वर्णित अनुसार। प्रावधानों में जिला-विशेष का उल्लेख नहीं है। मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 4505/19/यो/08 दिनाँक 02.07.2008, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3873/2582/19/यो/2009 दिनाँक 29.07.2009, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक आर-569/बी-19/ई-टेण्डरिंग 695 भोपाल, दिनाँक 08.04.2010, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक ई-टेण्डरिंग/बी/2009 भोपाल, दिनाँक 06.11.2012, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक ई-टेण्डरिंग/बी/2009 दिनाँक 26.09.2013 मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक ई-टेण्डरिंग/बी/2009/750 भोपाल, दिनाँक 10.10.2014 द्वारा प्रदान की गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**3 अनुसार ग्वालियर एवं टीकमगढ़ जिले में भी इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत आमंत्रित किये जाने वाली निविदाओं को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि एडीबी के निर्देशानुसार मेन्युवल टेण्डर आमंत्रित किया जाना तय हुआ है। ग्वालियर एवं टीकमगढ़ जिले में भी इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब", एवं "स" अनुसार** है। (घ) जी नहीं, जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भगत सिंह काम्पलेक्स के ऊपरी तल पर बनी दुकाने

143. (क्र. 4551) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत सुवासरा में शहीद भगतसिंह कॉम्पलेक्स के ऊपरी तल पर जिन दुकानों का निर्माण कराया गया है उसके इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए गए नक्शे की प्रतिलिपि, दुकान नीलामी की विज्ञप्ति, नीलामी की कार्यवाही एवं अंतिम बोली किसके नाम पर तथा कितनी राशि पर समाप्त की गई? (ख) नगर पंचायत सुवासरा में शहीद भगतसिंह कॉम्पलेक्स के ऊपरी तल में कितनी दुकानों का निर्माण कराया गया है, तथा वे दुकानें वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों के नाम पर आवंटित हैं? अनुबंध की क्या-क्या शर्तें प्रस्तावित की गई हैं? (ग) जिन व्यक्तियों के नाम पर अंतिम बोली लगाई गई थी, क्या नगर परिषद में पूरी राशि जमा करवाकर अनुबंध रजिस्ट्री संबंधित व्यक्ति को सुपुर्द कर दी गई है या बिना अनुबंध एवं बिना किराया वसूली के उन व्यक्तियों को सुपुर्द की जा चुकी है? वर्तमान में कौन-कौन व्यक्ति दुकानों का उपयोग किस कार्य या कार्यालय के लिए कर रहे हैं? (घ) किस दिनाँक को बोली लगाई गई तथा आज दिनाँक तक दुकानदारों द्वारा किस-किस दिनाँक को कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? वर्तमान में कितने दुकानदारों की राशि बाकी है, तथा नगर परिषद द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" पर** है। (ख) 24 दुकानों का निर्माण कराया गया है। शेषांश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर** है। (ग) बिना पूरी राशि जमा कराये दुकानें आवंटित कर दी गई है। 6 व्यक्तियों द्वारा अनुबंध की रजिस्टी करायी गई है। शेषांश **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" पर** है।

सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत निर्माण कार्य

144. (क्र. 4595) श्री सतीश मालवीय : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 के लिये इस घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2010 से स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या, स्वीकृति का वर्ष, स्वीकृत राशि एवं अब तक व्यय राशि का विवरण दिया जाये? (ख) क्षिप्रा नदी पर गंगाघाट से लेकर कलियादेह पैलेस तक घाट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था किये जाने की क्या योजना है? (ग) मंगलनाथ मंदिर के पीछे बनाये जा रहे पुल को सीधे सिद्धवट से मार्ग के द्वारा न मिलाये जाने के पीछे क्या कारण है एवं भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से इसके पहुँच मार्ग को गलत दिशा देने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है एवं शासन इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) सिंहस्थ 2016 के लिए घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत निर्माण कार्य, स्वीकृत की गई राशि, एवं अब तक व्यय की गई राशि का विवरण **परिशिष्ट पर संलग्न** है। (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा मंगलनाथ ब्रिज के बाई तरफ 100 मीटर लंबाई में तथा सिद्धवट घाट के पास 50 मी. लंबाई में घाट निर्माण प्रगति विभाग वि/यां संभाग उज्जैन द्वारा प्रकाश व्यवस्था के लिए निविदाए आमंत्रित की गयी है। (ग) मंगलनाथ मंदिरके पीछे बनाए जा रहे पुल को मंगलनाथ से सिद्धवट मार्ग पर ही मिलाया गया है। इसका चयन भीड़ नियंत्रण तथा यांत्रियों की सुविधाओं की दृष्टि से किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "इकतीस"

वन भूमि पर अतिक्रमण

145. (क्र. 4602) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले की तहसील मैहर में स्थित रिलायंस सीमेंट के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने एवं सड़क बनाये जाने पर वन विभाग द्वारा कंपनी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में हाँ तो कंपनी के विरूद्ध वन विभाग की किन-किन धाराओं के तहत किस-किस नाम एवं पदनाम के विरूद्ध क्या अपराध पंजीबद्ध किया गया है? (ग) प्रकरण कायम किये जाने के पश्चात प्रश्नतिथि तक क्या-क्या कार्यवाही वन विभाग के द्वारा उक्त कंपनी के विरूद्ध की? (घ) क्या वन विभाग ने पहले प्रकरण पंजीबद्ध किया? बाद में कंपनी से सांठ गांठ कर प्रकरण रफा दफा किया जा रहा है? अगर नहीं तो किस-किस नाम के व्यक्तियों की गिरफ्तारी प्रश्नतिथि तक की गयी है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) जी हाँ। रिलायंस सीमेन्ट कम्पनी के माइंस अभियन्ता श्री ज्ञानेश चौरसिया एवं श्री अरविंद झाडे, तथा माइंस प्रभारी श्री सूरज गुप्ता, के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-33 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 49/02 दिनाँक 16.01.2015 पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्वानुमति प्राप्ति उपरान्त जारी अंतिम स्वीकृति के शर्त क्रमांक-07 का उल्लघंन करने के कारण कंपनी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (ग) एवं (घ) प्रकरण की विवेचना जारी है। विवेचना उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 75 की मरम्मत

146. (क्र. 4603) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में माधवगढ़ से सिविल लाईन पन्ना नाका तक के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 पर एक जून 2011 से 31 जुलाई 2014 के दौरान किस किलोमीटर क्रमांक से किस किलोमीटर क्रमांक तक का कार्य किस-किस नाम की फर्मों द्वारा किस दर पर, कब-कब किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार किये गये कार्य में क्या मेन्टनेंस का कार्य भी शामिल था? अगर हाँ तो क्या शर्तें थी? उक्त सड़क मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता हेतु क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये थे? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार किये गये कार्य की वर्तमान समय में स्थल पर भौतिक रूप से क्या स्थिति है? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये है? (घ) शासन उक्त बनी सड़क में गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले किस-किस नाम की ठेकेदार फर्म के विरूद्ध कब व क्या कार्यवाही करेगा? अगर नहीं तो क्यों? क्या उसकी सिक्यूरिटी डिपाजिट रोकी जायेगी? कब तक उक्त मार्ग की मरम्मत करवाई जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। कार्यो की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष तक फरफारमेंस ग्यारंटी के तहत मेंटेनेंस का कार्य किया जाना शामिल था। किये गये कार्य की गुणवत्ता भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार रखी जानी होती है। (ग) कराये गये कार्यो की परफारमेंस गांरटी समाप्त हो गई है। वर्तमान स्थिति बताना संभव नहीं है दिनाँक 18.09.2013 से एम.पी.आर.डी.सी. को हस्तान्तरित है। अत:शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) कराये गये

कार्यो की गुणवत्ता मापदण्डानुसार रही। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बत्तीस"

अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण

147. (क्र. 4605) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम कटनी क्षेत्र में 31 दिसंबर 2012 तक कितनी वैध कॉलोनियां है? सूची प्रदान करें? (ख) नगर पालिक निगम कटनी द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर ..... शर्तें) नियम 1998 के नियम 15 (क) के अन्तर्गत 31 दिसंबर 2012 तक अस्तित्व में आई जिन अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है, उनकी सूची प्रदान करें? (ग) नगर पालिक निगम कटनी द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर ..... शर्तें) नियम 1998 के नियम 15 (क) के अन्तर्गत 31 दिसंबर 2012 तक अस्तित्व में आई जिन अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है, उनकी सूची प्रदान करें? (घ) नगर पालिक निगम कटनी द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर ..... शर्तें) नियम 1998 के नियम 15 (क) के अन्तर्गत 31 दिसंबर 2012 तक अस्तित्व में आई जिन अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है, न करने का कारण बतायें एवं कब तक नियमितीकरण की कार्यवाही करते हुए विकास कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर पालिका निगम कटनी क्षेत्र में 31.12.2012 तक कुल 81 वैध कॉलोनियॉ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। (घ) मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्तें), नियम 1998 के नियम 15 (क) के अंतर्गत 31.12.2012 तक अस्तित्व में आयी अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक पूर्तियां न हो पाने के कारण उक्त अवैध अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण में कठिनाई आ रही है। नगर पालिका निगम कटनी द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माता/रहवासी संघ को अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से आम सूचना का प्रकाशन दिनाँक 10 एवं 11 जनवरी 2014 को किया गया था। नियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतत रूप से नियमितिकरण की कार्यवाही की जाती है।

न्यायालय भवन का निर्माण

148. (क्र. 4609) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नवनिर्मित कटनी जिला न्यायालय भवन की निविदा 8 करोड़ रुपयों की जारी की गई थी एवं बाद में 12 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त कर नवीन निविदा न जारी करते हुए नियम विरूद्ध निर्णय लेते हुए पूर्व आमंत्रित निविदा की दरों पर ही ठेकेदार से कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि हाँ, तो क्या इस बावत् प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण भेजा गया था किंतु

बिना स्वीकृत प्राप्त हुए ठेकेदार से 12 करोड़ रुपयें की अतिरिक्त राशि का कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा निर्धारित कार्य अवधि के बाद भी कार्य पूर्ण न किये जाने के बावजूद उसे दण्डित करने के बजाय नियम विरूद्ध तरीके से मूल्य वृद्धि का अनुचित लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यावाही कब तक की जावेगी? (घ) क्या यह सही है कि नवनिर्मित न्यायालय भवन की गुणवत्ता अत्यंत खराब होने के कारण छत पर जगह-जगह रेता निकल रही है और गड्ढे हो गये, जिनसे भवन में नीचे पानी भी रिसाव हो रहा है, दीवारों में भी घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के चलते दरारे एवं गड्ढे हो रहे हैं? यदि हाँ, तो सुधार कार्य कब तक किया जायेगा एवं दोषियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) उक्त कार्य की निविदा रू. 808.79 लाख की जारी की गई थी। न्याय विभाग की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार 5 कोर्ट के स्थान पर 23 कोर्ट रूम हेतु न्यायालय भवन बनाये जाने के कारण कार्य के लागत में वृद्धि हुई, जिसे समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु पूर्व में आमंत्रित निविदा दर पर ही ठेकेदार से सहमति लेते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार कार्य कराया गया है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) किया गया कार्य प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के अन्दर ही है। स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्य कराये जाने के संबंध में संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) पुनरीक्षित स्वीकृति अनुरूप कार्यकी मात्रा बढ जाने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ है जहाँ तक मूल्य वृद्धि दिये जाने का प्रश्न है ठेकेदार को त्रुटिवशकी गई मूल्यवृद्धि की राशि रू. 72.31 लाख की वसूली ठेकेदार से दिनाँक 31.12.2013को की जा चुकी है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>विधान सभा क्षेत्र मऊगंज की सड़कों का निर्माण</u>

149. (क्र. 4633) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से प्रश्न प्रस्तुति दिनाँक तक कितनी नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराया गया है? इनमें कितनी स्वीकृत हो चुकी है? एवं कितनी अभी स्वीकृति हेतु कार्यवाही में हैं? स्वीकृत सड़कों के निर्माण की अद्यतन/भौतिक स्थिति की जानकारी देवें? (ख) प्रश्न (क) के प्रकाश में जो सड़कें अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं उनकी कब तक स्वीकृति प्रदाय कर निर्माण कार्य कराया जावेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत कितनी सड़कों के मरम्मत/पैच वर्क हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई हैं? विवरण सहित बतावें एवं कार्य की अद्यतन/भौतिक स्थिति की जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1'अनुसार** है। (ख) निश्चित तिथि बताना संभव नहीं। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'अनुसार** है।

<u>सिवनी जिले में वृक्षारोपण</u>

150. (क्र. 4646) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग द्वारा कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया व कितने वृक्ष लगाये गये, वनपरिक्षेत्र वार पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी देवें?

(ख) उक्त वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ व उक्त राशि का व्यय किस-किस मद में किया गया व इसका भौतिक सत्यापन कब-कब व किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? (ग) क्या उक्त वृक्षारोपण कार्यों की मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना था? यदि हाँ, तो वृक्षारोपण कार्यों में लगाये गये मजदूरों से कितने गड्ढे खुदवाये गये व उसकी मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में किया गया अथवा नगद? यदि नगद भुगतान न किया गया तो किस आदेश के तहत्? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) उक्त वृक्षारोपण कार्य में लगाये गये पौधों में से वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं व कितने पौधे नष्ट हो गये व उसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या उन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई, यदि हाँ, तो विवरण दें? यदि नहीं तो कब तक व क्या कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क), (ख) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जीवित पौधों की संख्या सफलता के विभागीय मापदण्डों के अनुरूप है अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। सिवनी जिले के अंतर्गत कुल 58, 61, 852 गड्ढे खुदवाये गये इनका रू. 331.38 लाख नगद एवं रू. 126.16 लाख खाते में भुगतान किया गया। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

सिवनी जिले में वैध/अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं

151. (क्र. 4647) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी नगरीय क्षेत्र में कुल कितनी वैध एवं अवैध कॉलोनियां हैं? क्या वैध कॉलोनियों में निगम द्वारा नागरिकों को पानी, स्ट्रीट लाईट, सड़क एवं सफाई की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) नगर की अवैध कॉलोनियों, जिनमें कॉलोनी विकास के पूर्णत: प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुए हैं? क्या उन कॉलोनियों में निगम द्वारा भवन निर्माण की अनुमति दी जा रही हैं? यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत? (ग) अवैध कॉलोनियों को वैध करने के शासन के निर्देश से अब तक कितनी कॉलोनियों को वैध किया गया? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा? (घ) गत् 5 वर्षों में नगर सिवनी में कितने अवैध कॉलोनाईजरों पर नियमों के उल्लंघन के प्रकरण बनाकर क्या कार्यवाही की गई? क्या इन कॉलोनाईजर पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराये गये हैं? यदि हाँ, तो किस-किस पर और कब-कब?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) निकाय क्षेत्र में 39 वैध एवं 71 अवैध कालोनियाँ है। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रावधानित राशि रूपये 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क लेकर भवन निर्माण की अनुज्ञा दी जा रही है। (ग) जानकारी निरंक है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी निरंक है। जी नहीं।

क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण

152. (क्र. 4684) श्रीमती रेखा यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में बक्स्वाहा से नैनागिर एवं दरगुआं (छतरपुर) से हटा मार्ग निर्माण मरम्मत के लिए गत पांच वर्षों में शासन ने कितनी राशि खर्च की इन मार्गों से संबंधित कितनी-कितनी राशि

उपरोक्त अवधि में किस-किस ठेकेदार को भुगतान की गई? (ख) वर्तमान में उक्त मार्ग के किस किलोमीटर के हिस्से का निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य, मरम्मत का कार्य किस ठेकेदार को कितनी लागत का किस दिनाँक को आवंटित किया गया हैं? यह कार्य कब तक पूरा होना अनुबंध के अनुसार प्रस्तावित हैं? (ग) प्रश्नकर्ता के द्वारा दिनाँक 13 फरवरी 2015 को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छतरपुर को पत्र लिखकर कौन-कौन सी जानकारी चाही गई वह जानकारी प्रश्नांकित दिनाँक तक भी किन कारणों से उपलब्ध नहीं करवाई गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** एवं म.प्र. सडक विकास निगम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ख) लोक निर्माण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** एवं म.प्र. सडक विकास निगम के अंतर्गत वर्तमान में उक्त मार्ग में कोई भी कार्य किसी भी ठेकेदार को आवंटित नहीं है। मार्ग के शेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु निविदायें बुलाई गई है। फिलहाल समय-सीमा वर्तमान में बताना संभव नहीं है। (ग) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बक्सवाहा नैनागिरी मार्ग निर्माण, गैर आवासीय भवनों के मरम्मत कार्यो, पेंच रिपेयर संबंधी माप पुस्तिका की प्रति चाही गई जो एकत्रित कर दिनाँक 24.02.2015 को प्रदाय की जा चुकी है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्व भूमियों को नारंगी भूमि माना जाना

153. (क्र. 4685) श्रीमती रेखा यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा नारंगी भूमि बाबत् 14 मई 1996 को जारी आदेश में राजस्व भूमियों को लेकर क्या-क्या निर्देश किस कंडिका में दिए गए, राजस्व विभाग से कौन-कौन सी जानकारी प्राप्त किए जाने के निर्देश किस कंडिका में दिए गए? पृथक-पृथक बतावें? (ख) जबलपुर वनवृत एवं बैतूल वनवृत में स्थापित नारंगी क्षेत्र इकाईयों को राजस्व विभाग ने कितने ग्रामों की कितनी जमीनों की सूची उपलब्ध करवाई? वन विभाग ने कितने राजस्व ग्रामों की कितनी राजस्व भूमियों को नारंगी सर्वे में शामिल किया? (ग) राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमियों को किस कानून, किस नियम, किस मैनुअल के किन प्रावधानों के अनुसार, किस न्यायालयीन आदेश के अनुसार नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किया जाकर नारंगी वनखण्ड बनाए और उन्हें वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया गया? (घ) राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमियों के वनखण्ड बनाए जाने उन्हें वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? ऐसा भारत सरकार के किस आदेश के तहत किया गया? आदेश की प्रति सहित बतावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर** है। (ख) जबलपुर वन वृत्त से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** में है। बैतूल वन वृत्त से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) एवं (घ) राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के निर्देश क्रमांक/एफ-5/43/90/10-3/96 दिनाँक 14 मई, 1996 में दिये गये निर्देशानुसार नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किया गया और उपयुक्तानुसार उनके वनखण्ड बनाये गये एवं ऐसे वनखण्डों को वन प्रबंधन हेतु वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खेलों मैदानों का विकास

154. (क्र. 4746) श्री अंचल सोनकर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश शासन ने जबलपुर जिले में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने खेल प्रतिभाओं को खोजने उन्हें प्रोत्साहित करने प्रशिक्षण देने कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या व्यवस्थायें की हैं एवं खेलों से संबंधित प्रशिक्षण की क्या-क्या सुविधाएं हैं एवं क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रदेश एवं केन्द्रीय शासन की संचालित किन-किन योजनान्तर्गत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं कितनी-कितनी राशि किन कार्यों में व्यय हुई? खेल सामग्री की खरीदी, खेल मैदानों का विकास खिलाड़ियां के प्रशिक्षण खेलों का आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण दें। वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक व्यय का विवरण मद वार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की मूल योजना क्या है तथा इसमें किन-किन खेलों से संबंधित प्रशिक्षण देने की योजना क्या है? इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है तथा अभी तक कुल कितनी राशि आवंटित की गई और किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? प्रदेश शासन ने उक्त योजना के संबंध में क्या प्रयास किये हैं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रीवा जिलान्तर्गत मार्ग निर्माण

155. (क्र. 4800) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के ग्राम मढ़ीखुर्द से गंगेव, पूर्वा-310 से एन.एच.-7 में प्रस्तावित बाईपास निर्माण के विरोध में भूमि अधिग्रहण व बस्ती खाली कराने के विरोध में नागरिकों द्वारा तथा विधायक द्वारा किये गये शिकायतों में कमिश्नर रीवा के पत्र क्रमांक राजस्व/413/014/1212 दिनाँक 24.02.14 के द्वारा जाँच कराने के लिये पत्र लिखा गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया है? जाँच उपरांत क्या कार्यवाही हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या निर्माण एजेंसी द्वारा स्वेच्छाचारिता से विभाग को गलत जानकारी प्रस्तुत कर कार्य हेतु एवार्ड पारित कराया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि नहीं तो क्या रहवासी लोगों की मांग गलत है यदि नहीं तो उनकी मांग कंपनी द्वारा कब तक पूर्ण कर रोड निर्माण का कार्य कराया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (घ) - जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनाधिकृत बिल्डरों द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण

156. (क्र. 4801) श्रीमती शीला त्यागी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम क्षेत्र रीवा, कटनी में 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने अवैध कॉलोनाइजर सूचीबद्ध किये गये हैं, तथा नगर निगम सीमा से जुड़े ग्राम पंचायतों की अधिसूचित सीमा में कितने कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण का या कॉलोनियों के नाम पर प्लाट काटकर बिक्री कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नगर निगम सीमा से सटे ग्रामों की क्या सूची क्रमांक-2 तैयार की गई है? अवैध कॉलोनियों से निगम एवं शासन को प्रतिवर्ष कितनी क्षति हो रही है किये गये मूल्यांकन के आधार पर 2012 से वर्षवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सुखदेव रेसीडेंसी रीवा, पी.पी.पी. योजनान्तर्गत समदड़िया बिल्डर्स रीवा व अन्य बिल्डर्स नगर में कहाँ-कहाँ, कितनी जमीन पर किन-किन उद्देश्यों से भवन निर्माण कर रहे हैं, तथा इनके पार्टनर कौन-कौन हैं? निर्माण हेतु कब अनुमति दी गई और कब समय में वृद्धि की गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ

में कितने लोगों से बिल्डरों द्वारा अग्रिम राशि ली गई है सूची उपलब्ध करायें तथा बताऐं कि कॉम्प्लेक्स कब तक पूर्ण हो जावेगा? यदि समय सीमा में लोगों को आवास नहीं मिलेगें तो बिल्डर्स के खिलाफ कब तक अभियोजन की कार्यवाही होगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

<u>पेंच नेशनल पार्क में कराए गये कार्य</u>

157. (क्र. 4806) पं. रमेश दुबे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेंच नेशनल पार्क सिवनी-छिन्दवाड़ा में कुल कितने अधिकारी-कर्मचारी, किन-किन पदों पर कब से पदस्थ है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में पेंच नेशनल पार्क के अधीन कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरई में कब से पदस्थ हैं? मुख्यालय कहाँ है तथा उन्हें सौंपे गये कार्य, तथा उनके द्वारा निर्वहन की जाने वाली दायित्वों की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यह भी बतावें कि पेंच नेशनल पार्क के अधीन विधान सभा क्षेत्र चौरई जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा वर्ष 2010-11 से जनवरी 2015 के मध्य कौन-कौन से कार्य संपादित किये गये? इनके द्वारा कहाँ-कहाँ पर किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र चौरई में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा बफर जोन में निवासरत नागरिकों के चहुँमुखी विकास हेतु क्या प्रयास किये गये? पेंच नेशनल पार्क के जानवरों द्वारा किसानों की नष्ट की जा रही फसलों के बचाने की दिशा में क्या पहल की गई है? नहीं की गई है तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>विधायक के पत्रों पर कार्यवाही</u>

158. (क्र. 4807) पं. रमेश दुबे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता ने जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के मध्य विधान सभा क्षेत्र चौरई जिला छिन्दवाड़ा में सड़कों, पुल-पुलियों के निर्माण हेतु माननीय लोक निर्माण मंत्री, म.प्र. शासन एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री छिन्दवाड़ा, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता तथा प्रबंध संचालक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट का.लि.भोपाल को कुल कितने पत्र प्रेषित किये है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रेषित पत्रों में प्रस्तावित सड़कों, पुल पुलियों के निर्माण की दिशा में किस स्तर से क्या प्रयास किये गये है? सड़क व पुल पुलियां निर्माण का प्रस्ताव किस स्तर पर कब से लंबित है? लंबित रहने के कारण सहित जानकारी दें? (ग) क्या शासन, प्रश्नकर्ता द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र में निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कों व पुल पुलियों के निर्माण की शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर तथा धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कराने का आदेश देगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रश्नकर्ता ने विधान सभा क्षेत्र चौरई के ग्राम सिहोरामाल से उमरिया सोमजी-आमटा मार्ग तथा खदबेली से घड़ेला होते हुए रामकोना मार्ग के निर्माण हेतु विभागीय अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो इन मार्गों के निर्माण की दिशा में किस स्तर से क्या सार्थक पहल की गयी है? कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 03 पत्र माननीय मंत्री लो.नि.वि., 01 पत्र प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. एवं 10 पत्र कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग छिन्दवाडा को इस प्रकार

कुल 14 पत्र प्रेषित किये गये। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ग) जी नहीं। अपर्याप्त जिला योजना सीमा होने से प्रस्ताव पर वर्तमान में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला अध्यक्ष छिन्दवाड़ा के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

मानक स्तर से ज्यादा वायु प्रदूषण

159. (क्र. 4823) श्री विश्वास सारंग : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनाँक को भोपाल शहर के दस प्रमुख स्थलों सहित नरेला विधानसभा के अशोका गार्डन, करोंद और ऐशबाग स्टेडियम के पास वायु प्रदूषण की जानकारी देते हुए बताएं कि उक्त स्थलों पर मानक स्तर से कितना ज्यादा इकाई /मात्रा में वायु का प्रदूषण हो रहा है और क्यों हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल शहर में निर्धारित मात्रा से ज्यादा वायु प्रदूषण को रोके जाने के क्या-क्या प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन पर कब-कब, क्या-क्या कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुई तो क्यों? (घ) वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जायेगी? क्या इसके लिऐ कोई नया कानून बनाया जायेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नरेला विधानसभा क्षेत्र सहित भोपाल शहर के 10 प्रमुख स्थलों पर वायु प्रदूषण की जाँच वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में की गई। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। शहर में मानको से अधिक प्रदूषकों में प्रमुख्यतः धूलकण की मात्रा है। जिसके मुख्य कारणों में वाहनों का उचित रखरखाव नहीं होना, सड़कों का क्षतिग्रस्त होना एवं उचित रखरखाव नहीं होना, वाहनों की बढ़ती संखया एवं सड़को पर वाहन पार्किग से आवाजाही अवरूद्व होना, पुराने वाहनों का चलन में होना, उचित परिवहन प्रबंधन नहीं होना, कचरा जलाया जाना इत्यादि माने जा सकते है। (ख) एवं (ग) वायु प्रदूषण के संबंध में की जा रही कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (घ) वायु प्रदूषण रोकने के लिये भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 प्रभावशील है। जिसके तहत आवश्यक कार्यवाही की जाती है, अतः पृथक से नियम बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट – "तैंतीस"

ठेकेदार द्वारा तेंदूनी नदी पर अवैध टोल टैक्स की वसूली

160. (क्र. 4824) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक ही रोड़ पर निर्मित दो पुलों के टोल टैक्स वसूली हेतु नियमानुसार कितनी दूरी होना चाहिए? (ख) बरेली और मांगरोल नर्मदा के पुल के बीच में किस-किस पुल का टोल टैक्स वसूलने हेतु ठेका दिया गया है? इन दोनों पुलों के बीच की दूरी कितनी है? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या बरेली के बागपिपलिया स्थित तेंदूनी नदी का पुल टोल टैक्स से मुक्त हो गया है? यदि हाँ, तो फिर उस पर क्यों वसूली की जा रही है? क्या वहाँ पर टोल टैक्स की वसूली अवैध है? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत क्या वहाँ के टोल टैक्स के नाके को हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 80 कि.मी. की दूरी के पश्चात् टोल वसूली वसूलने का प्रावधान है। (ख) लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग के अंतर्गत बरेली मांगरोल पिपरिया के बीच तेन्दुनी पुल एवं नर्मदा पुल का संयुक्त रूप से टोल वसूली का ठेका दिया गया है। इन दोनों

पुलों के बीच की दूरी 9.00 कि.मी. है। (ग) दोनों पुलों की संयुक्त लागत के आधार पर संयुक्तू रूप से टोल वसूली का ठेका दिया गया है। संयुक्त रूप से पुलों की लागत वसूल होने के बाद टोल बन्द कर दिया जावेगा। जी नहीं। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संयुक्त लागत वसूल होने के बाद टोल नाका बंद कर दिया जावेगा।

अपूर्ण अप्रारंभ सड़कों का पूर्ण किया जाना

161. (क्र. 4831) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत लोक निर्माण विभाग अधीन विधान सभा क्षेत्र शमशाबाद में विगत 05 वर्षों में मार्ग स्वीकृत हुये? मार्गवार, स्वीकृति वर्ष सहित 31.12.2014 तक की स्थिति में जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत सड़क कार्य ग्राम दयानंदपुर बोरिया बामन खेड़ा काछीखेड़ा एवं करारिया शमशाबाद मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या शासन अपूर्ण एवं अप्रारंभ सड़क कार्यों के शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में विशेष निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक उक्त कार्य पूर्ण किये जायेगें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में वर्ष 2012 सरल क्रमांक-01 एवं 07 के कॉलम 6 अनुसार** है। (ग) कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु अनुबंध में ही प्रावधान होता है। कार्यो को अनुबंध के प्रावधानों अंतर्गत पूर्ण किया जावेगा।

धार्मिक स्थानों का रखरखाव/जीर्णोद्धार

162. (क्र. 4832) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत कितने मंदिर एवं धार्मिक स्थान शासन अधीन है? नाम वार स्थानवार जानकारी दें? (ख) वर्ष 2008 से 31 दिसम्बर 2015 तक प्रश्नांश (क) के क्रम में किन-किन मंदिर को धार्मिक स्थानों के रख रखाव मरम्मत हेतु राशि दी गई? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (क) के क्रम में स्थित सभी स्थानों में आवश्यक मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक कार्यों का सर्वे कराया जाकर शीघ्र ही आवश्यक राशि स्वीकृत किये जाने के निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) विदिशा जिले मे शासन संधारित मंदिरों की संख्या 106 है। मंदिरो की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (क) अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (ख) अनुसार** है। (ग) जी नहीं।

पुल/पुलिया का चौड़ीकरण

163. (क्र. 4848) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र ब्यावरा की कौन-कौन सी पुल/पुलिया लोक निर्माण विभाग के अधिपत्य में है? (ख) उपरोक्तानुसार क्या ब्यावरा नगर में अजनार नदी का पुल एवं गंदे नाले वाली पुलिया नगर के एक मात्र व्यस्ततम मार्ग पुराना ए.बी. रोड़ जिस पर भारी यातायात का दबाव रहता है लेकिन उक्त पुल/पुलिया अत्यंत संकीर्ण होने से नगर में प्रतिदिन लम्बे समय तक यातायात अवरूद्ध रहता है, तथा इसी प्रकार अस्पताल मार्ग पर स्थित पुलिया संकीर्ण एवं जर्जर होने के कारण यातायात का अवरोध व दुर्घटना की संभावना बनी रहती है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन यथाशीघ्र उक्त पुल/पुलिया का चौड़ीकरण कार्य करवाऐगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये** अनुसार वर्णित स्थानों पर यातायात अवरूद्ध होता है। (ग) वर्तमान में पुल/पुलियों को चौड़ीकरण की कोई योजना प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाना संभव है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "चौंतीस"

वृक्षारोपण में अनियमितता

164. (क्र. 4849) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक वृक्षारोपण एवं वन वर्धनिक कार्यों हेतु कौन-कौन सी सामग्री किस-किस फर्म/एजेन्सी से कब-कब क्रय की गई तथा उनकी गुणवत्ता एवं दरों का परीक्षण किन तकनीकी परिक्षकों द्वारा कराया गया? (ख) क्या उक्त अवधि में विभाग द्वारा एक ही फर्म से एक से अधिक कोटेशन प्राप्त कर बाजार मूल्य से अधिक दरों पर सामग्री क्रय की जाती रही, जो कि पूर्णत: जाँच का विषय है? क्या शासन सामग्री क्रय व गुणवत्ता की दोषपूर्ण प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच करवाएगा? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के ग्राम रामगढ़ में वर्ष 2013-14 में विभाग द्वारा कराये गये नवीन वृक्षारोपण कार्य में कार्यस्थल का बड़ा भाग अतिक्रमणकारियों के कब्जे में था, जो प्रश्न दिनाँक तक भी मुक्त नहीं है, यदि हाँ, तो क्या शासन स्थल निरीक्षण कराकर उच्च स्तरीय जाँच करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में दर्शित है। (ख) ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, द्वारा दिनाँक 19.02.2015 को वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये क्रय की जाँच के आदेश दिये गये हैं। (ग) जी हाँ। अतिक्रमित वन भूमि वर्तमान में विभाग के अधिपत्य में है, अत: उच्च स्तरीय जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

संरक्षित वन भूमि का सर्वे डिमार्केशन

165. (क्र. 4852) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के जिन 681 ग्रामों की जमीनें जो संरक्षित वन भूमि सर्वे डिमारकेशन में शामिल है, उनमें से कुछ ग्रामों की समस्त वन भूमि को राजपत्र में डिनोटिफाईड कर लिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो संरक्षित वन सर्वे में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि शामिल थी तथा इसमें से कितनी-कितनी भूमि डीनोटीफाईट की गई है? (ग) जो वन भूमि डीनोटीफाईड कर दी गई है, क्या उसे वन विभाग अभी भी वन भूमि मान रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या डीनोटीफाईड समस्त वन भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरण की जाएगी यदि हाँ, तो कब तक?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) बैतूल जिले में 680 ग्रामों की जमीनें संरक्षित वनभूमि सर्वे डिमारकेशन में शामिल की गई थीं। इन 680 ग्रामों में से 230 ग्रामों की वनभूमि डिनोटिफाई की गई थी। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं (घ) समस्त डिनोटिफाईड भूमि राजपत्र में प्रकाशित दिनाँक से राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो चुकी हैं।

बैतूल जिले की डीनोटीफाइड भूमि

166. (क्र. 4853) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 एवं 34 (अ) के तहत राजपत्र में डीनोटीफाईड भूमियों को किस श्रेणी की वन भूमि माना गया है? (ख) क्या डीनोटीफाईड भूमि को वन भूमि माने जाने के सम्बन्ध में कोई नियम है अथवा माननीय न्यायालय भारत सरकार अथवा राज्य सरकार ने कोई आदेश जारी किए है? (ग) बैतूल जिले के कितने ग्रामों की जमीनें धारा 27 के तहत तथा कितने ग्रामों की जमीन धारा 34 (अ) के तहत राजपत्र में किस दिनाँक को डीनोटीफाईड की गई है? डीनोटीफाईड की गई किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी जमीनों को नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किया गया, नारंगी वनखण्ड में सम्मिलित कर लिया गया है? (घ) क्या उक्त धाराओं के अन्तर्गत डीनोटीफाईड भूमि को नारंगी भूमि वनखण्डों से पृथक कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि? यदि नहीं तो किन कारणों से तथा कब तक डीनोटीफाईड भूमि नारंगी भूमि वनखण्ड से पृथक कर दी जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंहस्थ कार्यों की स्थिति

167. (क्र. 4856) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 मद से 15.02.15 तक स्वीकृत कार्यों के विभागवार नाम, कार्यनाम, लागत, स्वीकृति दि. कार्यपूर्णता दिनाँक सहित बतावें? इनकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) क्या कारण है कि घोसला उज्जैन मार्ग जो स्टेट हाइवे राजस्थान से लिंक करता है को फोरलेन सिंहस्थ मद से स्वीकृत नहीं किया गया? (ग) शासन कब तक इसे स्वीकृति प्रदान कर मार्ग निर्माण प्रारंभ करवाएगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश का परीक्षण किया जा रहा है।

नगर निगम उज्जैन द्वारा बसों का संचालन

168. (क्र. 4857) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 01.01.12 से 15.02.15 तक नगर निगम उज्जैन द्वारा कितनी बसे क्रय की गई है? वर्षवार बतावें। (ख) यह भी बताऐं कितनी बसें संचालित की जा रही है और कितनी बसें बिना संचालन के खड़ी हैं और क्यों? संचालित बसों के रूट एवं फेरे बताऐं? असंचालित बसें कब तक संचालित की जावेगी? (ग) क्या विधायक महिदपुर द्वारा पूर्व में महिदपुर उज्जैन व्हाया घोंसला बसें चलाने के लिए लिखित में मांग की गई थी? (घ) क्या कारण है कि उज्जैन से नलखेड़ा सीटी बसों को परमिट दिया गया है लेकिन महिदपुर के लिए नहीं क्यों? महिदपुर के लिए सिटी बसे संचालित न करके प्राइवेट बस संचालकों को लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) 50 बसें। समस्त 50 बसें वर्ष 2013 में क्रय की गई। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि के पूर्व क्रय की गयी बसों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में 49 बसें संचालित की जा रही है और 40 बसें बिना संचालन के खड़ी है। बसों के संचालन न होने का कारण बसों के लिये स्पेयर पार्टस का उपलब्ध न होना है। संचालित बसों के रूट एवं फेरों की

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। समय बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। (घ) उज्जैन से नलखेड़ा सिटी बसों को परमिट नहीं दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मापदण्डों के विपरीत एस्कलेशन राशि दिया जाना

169. (क्र. 4861) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जेएनएनयूआरएम. योजनान्तर्गत संचालित गरीबों के आवास निर्माण हेतु नियत एजेंसियों द्वारा बाबा नगर ग्रुप 1, 2, 3 तथा 4, इन्द्रा नगर फेस-1, इन्द्रा नगर फेस-2 (जाटखेड़ी ग्रुप-ए), इन्द्रा नगर फेस-2 (जाटखेड़ी ग्रुप-बी), वाजपेयी नगर ग्रुप ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. एवं आई, अर्जुन नगर फेस-1, फेस-2, मद्रासी कालोनी फेस-2, राहुल नगर फेस-1 तथा फेस 2, श्याम नगर ग्रुप ए तथा ग्रुप बी, गंगा नगर/आराधना नगर फेस 1, फेस 3 तथा फेस 4 में निर्माण कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त किन-किन कार्यकारी एजेंसियों को नगर निगम भोपाल द्वारा दिनाँक 31 दिसम्बर 2014 तक एस्क्लेशन के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो एस्क्लेशन दिये जाने के लिये विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया है? यदि नहीं तो क्या नगर निगम भोपाल द्वारा विभाग की गलती पर पर्दा डालते हुए उपरोक्त एजेंसियों को एस्क्लेशन की राशि का भुगतान किया है? यदि हाँ, तो इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं तो क्यों कारण सहित यह अवगत करावें कि उपरोक्त योजनाओं का कितने प्रतिशत कार्य शेष बचा है और कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) नगर निगम, भोपाल द्वारा निर्माण एजेन्सियों को अनुबंध अनुसार एस्केलेशन की राशि का भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट – ''पैंतीस''

मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन

170. (क्र. 5173) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मान. मुख्यमंत्री जी के वर्ष 2013 जनआर्शीवाद यात्रा अंतर्गत जावरा नगर आगमन पर क्षेत्रवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जावरा शहर मध्य स्थित रेल्वे स्टेशन के पास अंडर ब्रिज अथवा फ्लाई ओवर ब्रिज बनाये जाने की पुरजोर मांग की थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि शहर के मध्य स्थित रेल्वे फाटक के एक ओर शैक्षणिक संस्थाएं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दूसरी ओर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बहुतायत से है? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि रेल्वे फाटक बार-बार लगातार काफी देर-देर तक बंद रहने से यातायात बाधित होकर समूचा शहर थम सा जाकर गंभीर स्थितियां निर्मित होती है? (घ) यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपरोक्त गंभीर स्थितियों को दृष्टिगत रख अंडर अथवा फ्लाई ओवर ब्रिज बनाये जाने की घोषणा कर समस्या का निराकरण करने सहमति दी गई थी? यदि हाँ, तो कार्य प्रगति से अवगत कराएं?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) रेलवे फाटक से यातायात बाधित होता है। नगर पालिका परिषद, जावरा द्वारा आर.ओ.बी. बनाये जाने का प्रस्ताव डी.आर.एम, रतलाम रेल डिवीजन को भेजा गया था, परन्तु रेल मण्डल, रतलाम के अनुसार नगर पालिका परिषद, जावरा की जनसंख्या एक लाख से कम होने पर आर.ओ.बी. का निर्माण नियमानुसार संभव नहीं है।

न्यायाधीशों के लिये आवासों का निर्माण

171. (क्र. 5450) श्री मधु भगत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय न्यायाधीशों के आवास हेतु भवन निर्माण की कोई योजना लंबित है, तथा मध्यप्रदेश में आवास भवनों के लिये शासन द्वारा कितना आवंटन कराया गया? अप्रैल 2010 से प्रश्न दिनाँक तक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बालाघाट जिले में माननीय न्यायाधीशों के आवास भवनों के लिए म.प्र. शासन राशि उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा है? यदि करा रहा है तो कितनी एवं कब तक तथा किस तरह?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) आवास निर्माण की कोई योजना लम्बित नहीं है। राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधीशों के आवास निर्माण हेतु वर्ष 2014-2015 तक उपलब्ध करायी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :- वर्ष 2010-2011=रू. 16.00 करोड़, वर्ष 2011-2012=रू. 18.00 करोड़, वर्ष 2012-2013=रू.15.00 करोड़, वर्ष 2013 2014=रू. 30.00 करोड़, वर्ष 2014-2015=रू. 30.00 करोड़। (ख) विधि विभाग द्वारा जिला अनुसार राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राशि रू. 20.50 करोड़ ग्लोबल में उपलब्ध है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चूनाभट्टों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

1. (क्र. 167) श्री मोती कश्यप : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कटनी में तहसील कटनी के नगरीय व ग्रामीण किन स्थलों में निवासरत किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अवधि से किन्हीं स्थलों में चूना भट्टा संचालित हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना रहा है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) क्षेत्र में किनके व कहाँ के चूना भट्टे कब से बंद हैं और क्या उनमें से किन्हीं को किन्हीं अधिकारियों द्वारा कभी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) में से किनके द्वारा कब और किन आधारों पर जल एवं वायु संबंधी अनुमति पत्र प्राप्त किये हैं और उसका उपयोग किन प्रकारों से किया जा रहा है? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ग) के अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त न करने वालों के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाहियां की गई हैं? नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (ग) से (घ) द्वारा किस प्रकार की गैस, धूल के उत्सर्जन एवं प्रदूषित जल से मानवजीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और किन प्रकार के रोगों के जन्म व प्रोत्साहन होने से निवारण हेतु क्या प्रश्नांश (क), (ख) की कोई योजना व निर्देश प्रदान किये गये हैं और उनका क्रियान्वयन कराया जा रहा है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) अनापत्ति प्राप्त की गयी है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) गैस एवं धूल के उत्सर्जन से श्वास संबंधी बीमारियों जैसे ब्रोन्काईटिस, फेरेनजाईटिस, ट्रेकिआईटिस, अस्थमा एवं निमोनाईटिस एवं आंखों के कन्जेक्टीवाईटिस आदि होने की संभावना रहती है तथा प्रदूषित जल से त्वचा रोग, उल्टी दस्त एवं गुर्दे के रोग आदि की संभावना रहती है। चूना भट्टों के कारण गैस एवं धूल के उत्सर्जन से होने वाले उक्त रोगों के होने का कोई भी मामला दर्ज नहीं है। उक्त रोगों के निवारण हेतु शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों, औषधियों एवं आवश्यक पैथोलॉजी परीक्षण की व्यवस्था है। सरदार बल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण एवं ममता अभियान के तहत औषधियों एवं पैथालॉजी परीक्षण एवं भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

स्वीकृत सड़कों के अपूर्ण निर्माणों की जाँच

2. (क्र. 168) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कटनी के वि.सभा.क्षे. बड़वारा के बडवारा, कटनी व ढीमरखेड़ा विकासखण्डों में विगत 3 वर्षों में कितने मागों की निविदायें स्वीकृत हुई हैं और क्या ठेकेदारों से अनुबंध किये जाकर किन तिथियों तक कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य-आदेश जारी किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में से किन ठेकेदारों ने निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया और किसने कितना पूर्ण किया और उन्हें कब तक पूर्ण करा लिया जावेंगा? (ग) क्या किन्हीं प्रश्नागत मार्गों की किन्हीं तिथियों में पुन: निविदायें आमंत्रित, स्वीकृत और अनुबंधित कर कार्यादेश जारी हुये हैं और जनवरी 2015 तक किनका कितना निर्माण पूर्ण हो गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) से (ग) के किन्हीं ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है और किनके द्वारा उसी स्थान के ठेकेदार के रूप में ठेका लिया गया है? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) से (घ) के जिन ठेकेदारों ने अनुबंधित कार्य नहीं किया गया है, डिफाल्टर और ब्लैकलिस्टेड होने पर पुन:

निविदा आमंत्रित होने पर स्वंय के स्थान पर अपने गृह स्थान के ठेकेदारों से निविदा व अनुबंध करने पर भी कार्यपूर्ण न करने पर किसी जाँच एजेंसी से जाँच करायी जाकर कोई कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) प्रश्नानुसार दो ठेकेदारों ने कार्य प्रारंभ नहीं किया, शेष ठेकेदारों द्वारा पूर्ण किये गये कार्य का प्रतिशत एवं **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट **के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (घ) किसी भी ठेकेदार को ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया, एक मात्र ठेकेदार मेसर्स अरविंद सिंह का पंजीयन निलंबित किया गया है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ड.) प्रश्नानुसार इस प्रकार का कोई भी प्रकरण नहीं है अत: जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट – "छ्तीस"

निविदा स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य

3. (क्र. 171) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कटनी के वि.स.क्षे. बड़वारा में विकासखण्डों में विगत 05 वर्षों में किन-किन मार्गों की निविदायें किन तिथियों में स्वीकृत हुई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के किन-किन ठेकेदारों से कब-कब अनुबंध किये गये और उन्हें किन तिथियों तक कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य आदेश जारी किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) में से किन ठेकेदारों ने कितना कार्य पूर्ण कर ठेका छोड़ दिया है या किन्हीं कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं किया है? विवरण देवें? (घ) क्या प्रश्नांगत मार्गों की किन्हीं तिथियों में पुन: निविदायें आमंत्रित और स्वीकृत होकर अनुबंध निष्पादित होकर कार्यादेश जारी हुये हैं, तथा निर्माण प्रारंभ होकर कार्य बंद हो गया है? विवरण देवें? (ड.) क्या यह सत्य है कि निरस्त ठेकों और ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों द्वारा बारम्बार परिजनों के नाम से ठेके लिये हैं? हाँ, तो क्या किसी एजेंसी से जाँच कराकर उनको ब्लैकलिस्टेड करने की कोई नीति बनाई गई है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है। (ड.) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

खेल एवं युवक कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी

4. (क्र. 607) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवक कल्याण संचालनालय द्वारा 01 अप्रैल 2012 से 31 दिसम्बर 2014 तक क्या-क्या योजनायें संचालित की गई? योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार/वर्षवार/व्यय राशिवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत किस मद से क्या-क्या कार्य कब-कब किस-किस ऐजेंसी के माध्यम से हुये? मदवार/वर्षवार/व्ययवार/ऐजेंसीवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या-क्या सामग्री किस दर पर किस फर्म/संस्था से कब-कब क्रय की? क्या सामग्री क्रय करने के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी थी? यदि हाँ, तो किन-किन फर्मों/संस्थाओं ने भाग लिया? दरों के तुलनात्मक चार्ट की प्रति दें? सामग्रीवार/फर्म/संस्थावार/वर्षवार जानकारी दें? क्रय की गई सामग्री का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रीवा एवं शहडोल संभाग में किये गये कार्यों की जाँच

5. (क्र. 1067) श्रीमती शीला त्यागी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले में कितने मंदिर हैं, सूची उपलब्ध करायें? (ख) क्या मंदिर निर्माण अनाधिकृत व अवैध हैं तो इनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त मंदिरों के संचालन हेतु क्या पुजारियों की व्यवस्था हेतु पंडितों की भर्ती की जावेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वाल्मिकी अंबेडकर योजना के तहत निर्मित मकानों पर अवैध कब्जे

6. (क्र. 1124) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा वाल्मिकी अंबेडकर योजना के तहत प्रदेश में मकान निर्मित किए गए है? (ख) यदि हाँ, तो जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कहाँ-कहाँ कब-कब कितनी-कितनी राशि व्यय कर निर्मित कराए गए है जिलेवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि मकान निर्मित किए जाने के पश्चात आवंटन के अभाव में निर्मित मकानों पर अवैध रूप से कब्जे हुए है यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ जिलेवार बतावे इस अव्यवस्था के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है और शासन द्वारा जिन लोगों की लापरवाही के कारण कब्जे हुए है उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक इस योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा कोई भवन निर्मित नहीं किए गए है। (ग) प्रश्नाधीन योजना के अन्तर्गत भोपाल जिले में निर्मित कुल 803 भवनों में से 523 भवनों का आवंटन विधिवत किया गया है। 280 भवनों का विधिवत आवंटन अभी शेष है। आवंटन हेतुपरियोजना के निर्देशों के अनुसार आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है। किसी की लापरवाही परिलक्षित नही होती है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता।

श्योपुर में सर्किट हाऊस का निर्माण

7. (क्र. 1227) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिला मुख्यालय पर वर्तमान में अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों के ठहरने के लिये सर्किट हाउस नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो सर्किट हाउस की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए क्या शासन विस्तृत प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार कराकर उसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। विस्तृत प्रस्ताव/प्राक्कलन अपेक्षित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण मार्गों का निर्माण

8. (क्र. 1228) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम दांतरदा से अडूसा, लाथ से तलावड़ा, ददूनी से चिमलका

नहर तक, दांतरदा जैनी मार्ग से टोंगनी, ननावद से मावदा, उतनवाड़ से कोथ मार्ग वर्तमान में कच्चे मार्ग हैं, तथा सड़क मार्ग से भी नहीं जुड़े हैं? (ख) क्या उक्त मार्गों की दशा वर्तमान में बहुत खराब है? वर्षाकाल में उक्त सभी मार्गों पर आवागमन बहुत ही कठिनाई पूर्ण हो जाता है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त सभी मार्गों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त सभी मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालन यंत्री श्योपुर द्वारा शासन/विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक प्रेषित किये जावेंगे? (ड.) क्या शासन प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित स्थिति के मद्देनजर उक्त मार्गों के निर्माण कार्य को वर्ष, 2015-16 के बजट में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रश्नांकित सभी मार्ग लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका पर अंकित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार। (घ) जी नहीं। वर्तमान में उक्त मार्ग विभाग अंतर्गत ना तो प्रस्तावित है, और ना ही स्वीकृत है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) उत्तरांश 'घ' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>महाकाल मंदिर अधिनियम में संशोधन बाबत्</u>

9. (क्र. 1249) डॉ. मोहन यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि जुलाई 2014 सत्र के परिवर्तित तारांकित प्रश्न क्रं. 3935 दिनाँक 17.07.2014 के उत्तर में मंत्रीजी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन किया जाने एवं मंदिर प्रबंधन समिति में सांसद एवं विधायक को सम्मिलित किये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना बताया था? (ख) क्या यह भी सही है कि इस संबंध में शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन को पत्र क्रं. 5682 दिनाँक 21/08/2014 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया था? (ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें एवं उक्त विषय पर महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में कब तक संशोधन कर दिया जावेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सेमरिया से सुंदरा मार्ग के यात्रियों से अवैध पथकर वसूली</u>

10. (क्र. 1394) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अंतर्गत सेमरिया से सुंदरा मार्ग किस मद से निर्मित कराई गई है, उक्त मार्ग में टोल बैरियर लगाये जाने का प्रावधान है या नहीं? (ख) क्या यह सही है कि इस मार्ग में अवैध रूप से टोल बैरियर थाना सिंहपुर के पास बन रहा है, जिसकी पथकर वसूली सुंदरा से सेमरिया मार्ग के यात्रियों से लेने की तैयारी है, क्या उन्हें दूसरे मार्ग के यात्रियों से पथकर लेने का अधिकार है या नहीं? (ग) यदि अधिकार नहीं है तो उक्त प्रस्तावित (निर्माणाधीन) बैरियर को सुंदरा-सेमरिया मार्ग से कब तक हटाया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एम.पी.एस.आर.पी.-3 योजनान्तर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त लोन से निर्मित कराई गई है। जी नहीं। (ख) जी नहीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी टोल बेरियर नहीं बनाया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) चूंकि मध्यप्रदेश

लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी टोल बैरियर प्रश्नाधीन मार्ग में निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित नहीं है। अतः हटाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

शहरी क्षेत्रों में अस्वच्छ शौचालय

11. (क्र. 1427) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है? (ख) जनगणना 2011 के अनुसार क्या प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 39362 अस्वच्छ शौचालय चिन्हित किये गये हैं और इनमें से 2947 शुष्क शौचालय मानव द्वारा साफ किये जाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो सरकार की इनके पुर्नवास की क्या योजना है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिबंध और पुनर्वास अधिनियम - 2013 के विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

हटा-फतेहपुर-दरगुंवा मार्ग निर्माण में लापरवाही

12. (क्र. 1614) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा दमोह जिले में हटा-फतेहपुर-दरगुंवा मार्ग की स्वीकृत कब व कितनी राशि से प्राप्त हुई थी एवं किस एजेंसी को यह कार्य सौंपा गया था? (ख) हटा दरगुवां मार्ग पर कितनी पुल-पुलियां स्वीकृत हुईं थीं? क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो कार्य एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई व उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? (ग) क्या यह सच है कि यह कार्य गुणवत्ताहीन/ अपूर्ण हैं व कोई कार्य इस मार्ग पर नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण कराने हेतु क्या नई एजेंसी बनायी गयी है? यदि हाँ, तो उक्त एजेंसी कब तक कार्य पूर्ण करेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) 79 नग। जी नहीं। अनुबंध दिनाँक 19.02.2013 को निरस्त किया गया एवं परफारमेंस सिक्योरिटी जप्त की गई कार्य पूर्णता की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। कार्य गुणवत्तापूर्ण है परन्तु परियोजना कार्य अपूर्ण है। जी हाँ, वर्तमान में इस मार्ग पर कोई कार्य नही हो रहा है। नवीन एजेंसी चयन हेतु निविदा बुलाई गई है। नवीन एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण करने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

कटनी जिले में आवारा पशुओं से दुर्घटना

13. (क्र. 1628) कुंवर सौरभ सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में आवारा पशुओं के बारे में शासन ने कोई योजना बनाई है? अगर कोई योजना बनाई है, तो विवरण देवें? (ख) विगत एक वर्ष में कटनी जिले में आवारा पशु सड़क हादसे में कितनी संख्या में मारे गए एवं कितने एक्सीडेंट इन पशुओं के कारण हुये?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कटनी में राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

14. (क्र. 1630) कुंवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी की निर्माणाधीन चाका से बाई पास राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रं. 07 पर वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक कितने लोग एक्सीडेंट में मृत एवं घायल हुए बताने का कष्ट करें? (ख) क्या इस मार्ग पर लापरवाही पूर्वक डिवाईडर बाई पास व सचेतक चिन्ह न लगाने पर ठेकेदार या किसी के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है? बताने का कष्ट करें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 44 लोग मृत एवं 113 लोग घायल हुये है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। अत: प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "उनतालीस</u>"

<u>जबेरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन पुल निर्माण</u>

15. (क्र. 1714) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले में जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 नवीन पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, भोपाल ने पत्र दिनाँक 20/07/2012 से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को स्वीकृति हेतु, तथा वर्तमान में प्रचलित दर अनुसार बजट में शामिल करने के लिए प्रेषित किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में दर्शाऐ नवीन पुल के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विभागीय बजट में शामिल न किये जाने का क्या कारण रहा है? विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) क्या नवीन पुल निर्माण के प्रस्तावों को इस सत्र के विभागीय बजट में शामिल कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। प्राथमिक जानकारी भेजी गई थी। (ख) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता में कमी होने के कारण। कोई नहीं। (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के होने पर बजट में सम्मिलित करने एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जा सकेगा, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>वन विभाग के आंतरिक मार्गों का अभिलेख</u>

16. (क्र. 2057) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वनों में स्थित आंतरिक मार्गों का अभिलेख वन विभाग की कार्य आयोजन में रहता है? रायसेन एवं देवास जिले में कुल कितने वन मार्ग हैं? मार्ग का नाम, लम्बाई सहित सूची दें? (ख) उक्त वन मार्गों के सुधार तथा मरम्मत कार्य पर 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? उनमें से किन-किन मार्गों के उन्नयन का कार्य शासन निर्देश अनुसार अनुमति प्राप्त कर किन-किन विभागों ने किया? (ग) उक्त जिलों में किन-किन मार्गों के निर्माण में वन विभाग की अनुमति प्राप्त न होने के कारण सड़क निर्माण का कार्य अपूर्ण अप्रारंभ तथा बंद हैं? (घ) उक्त मार्गों के निर्माण में अनुमति प्रदान करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें, तथा कब तक अनुमति दी जायेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

<u>वन ग्रामों में स्वीकृत कार्यों पर रोक</u>

17. (क्र. 2058) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में वन ग्राम की ग्राम सभा की क्या-क्या सीमा निर्धारित की गई? रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज एवं सिलवानी के वन ग्रामों की ग्राम सभा की सीमा में कितना वन क्षेत्र आता है? किस श्रेणी की कितनी भूमि कृषि के काम आ रही है, कितनी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित है? (ख) भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची एवं पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम, 1996 में किस-किस विषय को ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया है? (ग) 11वीं अनुसूची एवं पेसा कानून 1996 में दिये गये किस विषय से संबंधित कौन से अधिकार वन ग्राम की ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को वन विभाग के द्वारा किस आदेश से प्रदान किये? यदि नहीं तो क्यों कारण बतायें? (घ) सिलवानी-बेगमगंज तहसील में किन-किन विद्यालय भवन-सड़क विद्युतीकरण कार्य पर वन विभाग ने रोक लगाई तथा क्यों? कारण बतायें कब तक विभाग अनुमति देगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में वनग्राम की ग्रामसभा की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में वनग्रमों की ग्राम सभा की सीमा में आने वाले वनक्षेत्र में कृषि एवं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार** है। (घ) प्रश्नांकित कार्यों पर वन विभाग द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ब्यौहारी विधान सभा अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों पर पुलिया निर्माण

18. (क्र. 2191) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील अंतर्गत ग्राम खामडाड़ से छिरहा, टांघर, बोकरी, भोलहरी तक आने-जाने का ग्रामीणों का ग्रामीण मार्ग है? (ख) क्या उपरोक्त रास्ते की बीच में समधिन नदी, गन्ना नाला एवं बगैहा नाला पड़ता है? क्या उक्त नाले के कारण ग्रामीणों को आने-जाने में भारी असुविधा उत्पन्न होती है? (ग) क्या जन सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त सड़क निर्माण के साथ नदी एवं नालों में पुलिया निर्माण कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, ग्रामीण मार्ग है जो इस विभाग के अधीन नहीं है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है, अत: समयावधि बताया जाना संभव नही है।

नरसिंहगढ़ वन मण्डल परिक्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आवंटित राशि

19. (क्र. 2200) श्री गिरीश भंडारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ वन मण्डल परिक्षेत्र में शासन ने सन् 2010 से प्रश्न दिनाँक तक वृक्षारोपण के लिए कोई राशि आवंटित की? (ख) यदि हाँ, है, तो किस-किस बीट में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? बीटवार जानकारी दें एवं किस-किस बीट में कितने-कितने वृक्ष रोपित किए गए? रोपित किए वृक्षों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) नरसिंहगढ़ वनमंडल के नाम से कोई वनमंडल नहीं है अपितु राजगढ़ वनमंडल में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य परिक्षेत्र है जिसमें उक्त अवधि में वृक्षारोपण के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को विपणन सहायता

20. (क्र. 2222) श्री संजय उइके : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को विपणन सहायता अनुसार शासकीय क्रय में 30 प्रतिशत की मात्रा के आदेश दिये जाने का प्रावधान रखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो जबलपुर संभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की पृथक-पृथक वर्गवार, किन-किन इकाईयों को कितनी-कितनी विपणन सहायता शासकीय क्रय में 30 प्रतिशत के तहत दी गई है? इकाईयों के मालिक का नाम, हिस्सेदार का नाम, पता सहित बतायें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। (ख) 1. जबलपुर संभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की पृथक - पृथक वर्गवार इकाईयों को प्रदान की गई विपणन सहायता इकाईयों के मालिक एवं हिस्सेदार का नाम पता की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। 2. जबलपुर संभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की पृथक - पृथक वर्गवार इकाईयों को प्रदान की गई विपणन सहायता इकाईयों के मालिक एवं हिस्सेदार का नाम पता की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। 3. जबलपुर संभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 (01/04/2014 से 25/02/2015 तक) में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की पृथक - पृथक वर्गवार इकाईयों को प्रदान की गई विपणन सहायता इकाईयों के मालिक एवं हिस्सेदार का नाम पता की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

परिशिष्ट - "चालीस"

आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण

21. (क्र. 2223) श्री संजय उइके : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा आदिवासी/अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन बालक/बालिकाओं ने किस-किस खेल में, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कौन सा स्थान प्राप्त किया बतायें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पायका योजनान्तर्गत अनुदान

22. (क्र. 2224) श्री संजय उइके : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पायका के अंतर्गत बालघाट जिले की ग्राम एवं जनपद पंचायतों को आर्थिक सहायता/अनुदान/खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु राशि दी जाती है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिलान्तर्गत पायका योजना के एक मुश्त आर्थिक सहायता, वार्षिक अधिग्रहण अनुदान, वार्षिक संचालन अनुदान, महिला खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में

किन-किन, ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों में कितनी-कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में व्यय की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नोत्तर "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>औद्योगिक क्षेत्र सिंदगुवा में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार</u>

23. (क्र. 2357) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या औद्योगिक क्षेत्र सिंदगुवा जिला सागर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार करने की कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो इस योजना का प्रकार एवं लागत क्या है? इसकी निर्माण एजेन्सी कौन है? अब तक इस योजना में कौन-कौन से कार्य किए गये हैं और यह कब तक पूर्ण हो पायेगी? (ख) इस हेतु जिस निर्माण एजेन्सी को अधिकृत किया गया है, के द्वारा निम्न गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है? जिसके संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? क्या शासन गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। योजना का प्रकार औद्योगिक क्षेत्र सिद्वगुवा जिला सागर में विकास कार्यो जैसे नवीन रोड निर्माण, सड़क चौड़ीकरण का कार्य, सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य, नाली निर्माण कार्य, आर.सी.सी.ह्यूम पाईप पुलिया (6 नग) जल प्रदाय पाईप लाईन का निर्माण, पाईप पुलियों का कार्य, विद्युतलाईन एवं सर्विस स्टेशन का कार्य। योजना की लागत- राशि रूपये 1758.11 लाख है। निर्माण एजेन्सी- म.प्र लघु उद्योग निगम मर्या. है। नवीन डब्ल्यू.बी.एम.रोड निर्माण 1235.00 मीटर रोड ग्रेड वन तक पूर्ण एवं 5160.00 मीटर नाली निर्माण कार्य पूर्ण। योजना की पूरी राशि प्राप्त होने के 6 माह पश्चात यह योजना पूर्ण होने की संभावना है। (ख) कार्य की गुणवत्ता के संबंध में एकेव्हीएन सागर में शिकायत प्राप्त हुई है तथा गुणवत्ता की जाँच एवं मूंल्याकन हेतु कलेक्टर सागर के निर्देशानुसार औद्योगिक केन्द्र विकास निगम सागर लिमिटेड सागर के आदेश क्र. 1394-1403 दिनाँक 12.02.2015 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

<u>सागर नगर के काकागंज वार्ड के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पाईप लाइन का निर्माण</u>

24. (क्र. 2358) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगर के काकागंज वार्ड अंतर्गत पंतनगर पानी की टंकी से गोला कुंआ तक एवं मोतीनगर चौराहे से धर्मश्री चौराहे तक रोड़ निर्माण किया जा रहा है एवं इन्हीं मार्गों से पेयजल पाईप लाईन भी जा रही है जो अति क्षतिग्रस्त है? (ख) क्या इन क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों से निर्माण की जा रही दोनों सड़कें भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है? क्या शासन मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत दोनो जगह नई पाईप लाईन डाले जाने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>पुलिया निर्माण के संबंध में</u>

25. (क्र. 2401) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र के अभयपुर से जलेरिया, बुदनगाँव से नेवरीफाटा, सुरजना से पीपलरावा मार्ग के बीच पुलिया की आवश्यकता है? यदि हाँ तो पुलिया कब तक बनाया जावेगा? (ख) क्या उक्त मार्गों पर पुलिया है? यदि हाँ तो कैसी स्थिति में है? यदि जर्जर स्थिति में है तो कब तक उन मार्गों के पुलिया का निर्माण कराया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) अभयपुर से जलेरिया मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नहीं है। शेष दो मार्गों पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता है परंतु वर्तमान में ना तो प्रस्तावित और ना ही स्वीकृत है। अत: निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। (ख) अभयपुर से जलेरिया मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नहीं है बुदनगांव से नेवरीफाटा के बीच तीन पुलिया एक वृहद पुल एवं एक वेंटेड काजवे है, जो अच्छी स्थिति में है। सुरजना से पिपलरवा के बीच पांच पुलिया बनी है, जो अच्छी स्थिति में है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

वन्य जीवों का संरक्षण

26. (क्र. 2402) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में वन विभाग द्वारा वन जीवों के संरक्षण हेतु क्या किया जा रहा है? (ख) क्या वन्य जीवों के द्वारा यदि खेती में नुकसान किया जाता है तो किसान को मुआवजा दिया जाता है? क्या वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये वन्य अभ्यारण्य प्रस्तावित है या नहीं? (ग) क्या वन्य जीवों से मनुष्यों के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर दुर्घटना ग्रस्त परिवार को मुआवजा या अन्य किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का प्रावधान है या नहीं? अगर है तो किस-किस प्रकार का है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) देवास जिले में वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु खिवनी अभयारण्य, अधिसूचना दिनाँक 05.12.1955से घोषित किया गया है। अभयारण्य क्षेत्र के बाहर स्थित वन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों को गर्मियों में पानी की उपलब्धता हेतु संरचनाएँ निर्मित की गई हैं। वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि/ पशुहानि की दशा में संबंधित को मुआवजा राशि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में स्वीकृत की जाती है। वन चौकी व्यवस्था एवं सतत् भ्रमण के माध्यम से अवैध शिकार पर रोकथाम की जाती है। (ख) जी हाँ। कोई नवीन वन अभयारण्य प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' में दर्शित** है।

नगर पालिका सारंगपुर अंतर्गत संचालित बैंक खातों की जानकारी

27. (क्र. 2460) श्री कुँवरजी कोठार : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका सारंगपुर में कितने बैंक खाते किस-किस बैंक में संचालित हैं? बैंकवार खाता क्रमांक (A/c No.) बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या एक से अधिक खातों को संचालित किया जाना शासन नियमानुसार सही है? यदि हाँ, तो शासन नियम की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो बैंक में एक से अधिक खातों को संचालित करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) दिनाँक 01.04.2014 से दिनाँक 31.01.2015 तक किस-किस कार्य पर किन-किन खातों से

कितनी-कितनी राशि आहरित की गई है? माहवार आहरित की गयी राशि, चैक क्रमांक एवं दिनाँक का विवरण देवें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) जानाकरी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, ब, एवं स अनुसार** है।

सारंगपुर-शुजालपुर मार्ग निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही

28. (क्र. 2461) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारंगपुर-शुजालपुर मार्ग का निर्माण म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किस दिनाँक से किस एजेन्सी द्वारा करवाया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सड़क निर्माणाधीन अवधि से मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के समानान्तर अन्य मार्ग का वैकल्पिक निर्माण कर यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है या नहीं? (ग) यदि नहीं तो निर्माण एजेंसी के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनाँक 13.02.2012 को, मेसर्स गंगोत्री सारंगपुर-शुजालपुर टोल प्रा. लिमि. द्वारा। (ख) जी हाँ। निर्माणाधीन मार्ग पर निर्माणाधीन पुल पुलियों के लिए पृथक रूप से डायवर्सन (परिवर्तित मार्ग) पर यातायात निर्वाध रूप से प्रचलित है। (ग) शेष कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन से बदनावर मार्ग का चौड़ीकरण

29. (क्र. 2472) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन से बदनावर मार्ग का निर्माण कब हुआ था? एवं इसकी चौड़ाई कितनी है? (ख) क्या सिंहस्थ 2016 के मद्देनजर उक्त मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है? (ग) क्या उक्त मार्ग पर यातायात अधिक होने एवं चौड़ीकरण न होने से जिले की सर्वाधिक दुर्घटना इसी सड़क पर होती है? ऐसी स्थिति में शासन क्या इस सड़क मार्ग का चौड़ीकरण करने पर विचार करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) निर्माण वर्ष 2005 में पूर्ण हुआ था। कि.मी. 0 से 7 कि.मी. तक डामर सतह की चौड़ाई 7 मीटर एवं शेष मार्ग पर डामर सतह की चौड़ाई 5.5 मीटर एवं दोनों तरफ मुरम शोल्डर 2.5 मीटर- 2.5 मीटर है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। उज्जैन-बड़नगर-बदनावर के फोरलेन हेतु बी.ओ.टी. योजना में फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है, किन्तु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

बड़नगर वि.स. क्षेत्र अन्तर्गत सड़क निर्माण

30. (क्र. 2475) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में 2012 से आज दिनाँक तक कितनी सड़कें स्वीकृत हुई? कितनी सड़कें पूर्ण हुई? नाम सहित बतावें? (ख) वर्तमान 2014-15 में कितनी सड़कें प्रस्तावित हैं एवं जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक बड़नगर विधानसभा में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई है? सूची उपलब्ध करावें? (ग) बड़नगर तहसील में चिकली-गिरोता मार्ग निर्माण कब किया गया था? निर्माण एजेन्सी को उक्त सड़क का रख रखाव किस अवधि तक करना था? वर्तमान में उक्त सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था

में है? इस सड़क के मरम्मत का क्या प्रावधान है? क्या सिंहस्थ के पूर्व इस सड़क को ठीक कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दो सड़क कार्य (1) बड़नगर-सुन्दराबाद-खाचरोद-उल्हेंल मार्ग। (2) सुन्दराबाद-रूनीजा- खाचरोद एवं रूनीजा से सतरूण्डा मार्ग निर्माणाधीन है। दोनों सड़क पूर्ण नहीं है। शेष सड़कों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वर्ष 2014-15 में कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है एवं जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक कोई सड़क स्वीकृत नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 28.10.2008 को। 27.10.2011 तक। जी नहीं। वर्तमान में मार्ग रिपेयर का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो गया है, तथा डामरीकृत मार्ग में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य किया जाना है, जिसका ठेका निर्धारित है। जी हाँ।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

सिंहस्थ कार्यालय में पदस्थापना

31. (क्र. 2492) श्री सतीश मालवीय : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ मेला कार्यालय उज्जैन के लिये अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लिपिकीय (सहायक ग्रेड-2 एवं 3) तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने पदों की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त हुई है अथवा नहीं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के क्रम में सिंहस्थ मेला कार्यालय में उक्त पदों पद संविदा स्तर पर अथवा सीधी पदों पर नियुक्ति की जावेगी, तथा इससे संबंधित सक्षम अधिकारी कौन होगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) जी नहीं, अपितु पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से की जायेगी। शासकीय सेवक प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध न होने की स्थिति में पदों को संविदा नियुक्ति से भरा जा सकेगा। संभागीय आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन सक्षम अधिकारी है। आदेश प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

परिशिष्ट – "बयालीस"

कालापीपल तहसील में शासकीय आवास गृहों का निर्माण

32. (क्र. 2588) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल तहसील मुख्यालय पर राजस्व विभाग हेतु किस-किस टाईप के कितने-कितने क्वार्टर स्वीकृत किये गये? कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति किस दिनाँक को जारी की गई? प्रशासकीय स्वीकृति कितनी राशि की जारी की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य के टेन्डर प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किस दिनाँक को आमंत्रित किये गये? कार्य का वर्क आर्डर किस दिनाँक को जारी किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य को अनुशंसा अनुसार पूर्ण करने की अंतिम दिनाँक क्या थी? (घ) क्या ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है? अगर हाँ तो कार्य का ले-आऊट किस दिनाँक को दिया गया? कार्य की प्रश्न दिनाँक तक भौतिक एवं वित्तीय स्थिति से अवगत करावे? यदि कार्य समय पर प्रारंभ नहीं हुआ तो विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कालापीपल तहसील में 01 नग एफ टाईप, 02 नग जी टाईप, 04 एच टाईप, 08 नग आई टाईप कुल 15 नग आवास गृह का निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये है। प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 28.06.2013 तकनीकी स्वीकृति दिनाँक 22.01.2014 प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रू. 134.56 लाख की जारी की गई है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार टेण्डर दिनाँक 22.01.2014 को आमंत्रित किये गये है। कार्य का वर्क आर्डर दिनाँक 27.05.2014 को जारी किया गया है। (ग) कार्य पूर्ण करने की अंतिम दिनाँक 26.06.2015 है। (घ) जी हाँ। कार्य का ले-आउट ठेकेदार द्वारा दिनाँक 13.10.2014 को लिया गया। नींव खुदाई का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है, भुगतान नहीं किया गया है। कार्य समय पर प्रारंभ नहीं करने पर ठेकेदार को विभाग द्वारा दिनाँक 30.07.2014 एवं दिनाँक 06.01.2015 को नोटिस जारी किया गया है।

अवैध उत्खनन रोकने के संबंध में

33. (क्र. 2672) श्री दिव्यराज सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षैत्रांतर्गत-इटमा, लूक, जनकहाई, डमौरा, खाझा, रिमारी आदि जंगलों में क्या अवैध उत्खनन हो रहा है? यदि हाँ, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में- उपरोक्त जंगलों में अवैध उत्खनन होने से शासन की राजस्व क्षति रोकने हेतु जंगल/खनिज विभाग द्वारा, म.प्र. एवं उ.प्र. सीमावर्ती मार्गों पर क्या बैरियर (नाका) लगाया जाऐगा? यदि हाँ, तो कब और कहाँ-कहाँ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) प्रश्नांकित ग्रामों में से केवल रिमारी ग्राम में अवैध उत्खनन का केवल एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिये सघन गश्ती, बीट निरीक्षण, वन अमले का सशक्तिकरण आदि कार्य किये जा रहे हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छिंदवाड़ा जिले के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाना

34. (क्र. 2803) श्री कमलेश शाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में ऐसे कितने निर्माण कार्य है, जो विगत 2 वर्ष से अधिक समय से चल रहे है, इनकी लागत, स्वीकृति दिनाँक, कार्य पूर्णता दिनाँक सहित बतावें? विधानसभावार बतावें? (ख) ऐसे अपूर्ण कार्यों में कितनी राशि का आहरण कब-कब हुआ व कितने प्रतिशत कार्य हुआ है? पृथक-पृथक विधानसभावार बतावें? (ग) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार** है।

इंदौर-इच्छापुर मार्ग को फोरलेन में परिवर्तित किया जाना

35. (क्र. 2878) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औद्योगिक नगरी इंदौर को महाराष्ट्र प्रदेश को जोड़ने वाला इंदौर-खण्डवा-इच्छापुर मार्ग को टू-लेन से फोर लेन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा वर्तमान तक इंदौर-इच्छापुर मार्ग को फोरलेन में परिवर्तन करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या उक्त मार्ग को आगामी वर्ष 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ मेले को देखते हुये एवं सनावद के समीप प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर औंकारेश्वर में आने वाले

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुयें शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो फोरलेन का कार्य कब प्रारंभ हो जावेगा, समय-सीमा बताई जावे? (ग) क्या सिंहस्थ मेले को देखते हुये नगर सनावद से औंकारेशवर मार्ग अर्थात इनपुनभोगावा ग्राम को जोड़ने वाले मार्ग पर आने वाली रेल्वे फाटक के अर्थात पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप ओव्हर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो ब्रिज की स्वीकृति कब प्रदान कर दी जावेगी एवं निर्माण कब तक प्रारंभ हो जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) इन्दौर-खण्डवा-इच्छापुर मार्ग को टू लेन से फोरलेन में उन्नयन करने का प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त मार्ग फोरलेन में उन्नयन कार्य के निविदाये बुलाई गई है, तथा निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। (ख) उक्त मार्ग वर्तमान में मेसर्स विवा हार्ईवेज प्रा.लि, नासिक द्वारा अनुबंधित होकर वर्तमान में बी.ओ.टी. के अंतर्गत प्रगतिरत है, किन्तु उक्त मार्ग को यथाशीघ्र फोरलेनिंग करने हेतु समानांतर रूप से योजना की निविदा कार्य भी प्रगतिरत है। निविदा प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ होने की वास्तिविक समय-सीमा बताया जाना संभव हो सकेगी। (ग) सनावद से औंकारेश्वर मार्ग के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इंदौर-खंडवा-इच्छापुर मार्ग (प्रस्तावित फोरलेनिंग कार्य) पर स्थित सनावद एवं बड़वाह नगर हेतु बायपास का निर्माण प्रस्तावित है। अतः इंदौर-खंडवा-इच्छापुर मार्ग के फोरलेनिंग कार्य की योजना के अंतर्गत सनावद पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप रेल्वे फाटक पर ओव्हर ब्रिज निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी।

गुनौर में रेस्ट हाऊस का निर्माण

36. (क्र. 2898) श्री महेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा मुख्यालय गुनौर में शासकीय रेस्ट हाउस है? यदि नहीं, है तो इसका निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ, तो कब समयावधि बतावें? (ख) आज दिनाँक तक रेस्ट हाउस स्वीकृत न करने का कारण क्या था? क्या शासन इस वर्ष नवीन रेस्ट हाउस स्वीकृत कर निर्मित करावेगा? यदि हाँ, तो समयावधि बतावें? (ग) क्या यह भी सही है कि रेस्ट हाउस न होने के कारण अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों को रूकने की व्यवस्था नहीं है? यदि है, तो बतावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रस्ताव अप्राप्त है। स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है। अत: वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। अत: प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

टोल प्लाजा पर विशिष्ट सुविधा

37. (क्र. 2928) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर बायपास एवं लेबड़ मानपुर फोरलेन मार्ग पर स्थित टोल प्लाजाओं पर वरिष्ठ नागरिकों के वाहनों की निकासी हेतु पृथक से कोई सुविधा नहीं है, जिससे प्राय: उक्त मार्गों से निकलने वाले वरिष्ठजनों को परेशान होना पड़ता है, साथ ही टोल कर्मचारियों के द्वारा आये दिन वरिष्ठों से अभद्र व्यवहार किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो शासन वरिष्ठजनों के सम्मान हेतु उपरोक्त टोल प्लाजा संचालकों को वरिष्ठजनों को विशिष्ट सुविधा देने हेतु कब तक निर्देशित करेगा, बतावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) हाँ यह सही है। इंदौर बायपास एवं लेबड़-मानपुर फोरलेन पर स्थित टोल प्लाजा वरिष्ठ नागरिकों को अलग से सुविधा नहीं है क्यों कि नियमानुसार टोल प्लाजा पर वाहनों की निकासी वाहनों के प्रकार अनुसार होती है। किंतु उक्त मार्गों से निकलने वाले वरिष्ठजनों को परेशानी होने का कोई कारण नहीं है। यह कहना भी सही नहीं है कि टोल कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से अभद्र व्यवहार किया हो। (ख) उपरोक्त 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>रोड निर्माण के संबंध में</u>

38. (क्र. 2933) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के ग्राम सगडी से पानखेडी तक दूरी 21.2 किलोमीटर टू लेन रोड निर्माण कार्य, लागत राशि रूपये 17.00 करोड़ (सत्रह करोड़ मात्र) का कार्य प्रगति पर है? (ख) उक्त रोड की गुणवत्ता संबंधी जाँच कितनी बार व किनके द्वारा अब तक की गई है? (ग) रोड निर्माण एजेंसी/कम्पनी द्वारा अमानक सामग्री का उपयोग कर रोड का निर्माण किये जाने से प्रगति के दौरान ही निर्मित रोड कई स्थानों पर खराब हो चुका है, तथा बड़े-बड़े गड्डे हो गये हैं? (घ) क्या शासन रोड निर्माता कम्पनी के कार्य की जाँच करवाकर मानक स्तर के रोड निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

<u>रोड एवं उसके रख रखाव पर व्यय राशि</u>

39. (क्र. 2938) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किधरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में निर्मित रोड़ एवं उसके रख-रखाव पर किये गये व्यय की वर्षवार एवं रोड़वार जानकारी उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : लोक निर्माण विभाग **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निगम के अधिपत्य की एक मात्र सड़क खलघाट-मनावर राजमार्ग क्र. 38 आती है पिछले 3 वर्षों में इस मार्ग के रख-रखाव में व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :- वर्ष 2011-12 राशि रू. 2.54 लाख, वर्ष 2012-13 राशि रू. 4.10 लाख, वर्ष 2013-14 राशि रू. 34.63 लाख।

<u>नर्मदा जिलेटिंस प्रा.लि., मीरगंज (जबलपुर) के प्रदूषण की जाँच</u>

40. (क्र. 2956) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में संचालित नर्मदा जिलेटिंस प्रा.लि., मीरगंज द्वारा विसर्जित प्रदूषित जल एवं वायु से कौन-कौन से ग्रामों के ग्रामवासी प्रभावित हैं? (ख) उपरोक्त कारखाना से विसर्जित होने वाले प्रदूषित जल के शोधन हेतु क्या प्रबंध है? (ग) म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा उक्त कारखाने के प्रदूषण की जाँच एवं नमूने कब-कब किए गऐ? विगत दो वर्षों का विवरण जाँच रिपोर्ट सहित दें? उक्त कारखाने का प्रदूषण रोकने, शासन क्या कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) मेसर्स नर्मदा जिलेटिंस लिमिटेड, मीरगंज जबलपुर द्वारा दूषित जल के उपचार एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्थाएं स्थापित की गई है एवं उपचारित दूषित जल को उद्योग परिसर में कृषि कार्य एवं वृक्षारोपण में सिंचाई हेतु उपयोग कर लिया जाता है तथा दूषित जल का निस्तार परिसर के बाहर नहीं किया जाता है। उद्योग से उत्पन्न दूषित जल एवं वायु से आसपास के ग्रामों के ग्रामवासियों के प्रभावित होने जैसी स्थिति नहीं है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था कराई गई है, जिनका सतत् संचालन करवाया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

हाईस्कूलों के नवीन भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण

41. (क्र. 2986) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से हाईस्कूलों के नवीन भवनों एवं अतिरिक्त कक्षों की निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग/ पीआईयू है? उक्त कार्यों की लागत सहित निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति कार्यवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जो समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं व कब तक पूर्ण कर लिऐ जावेंगे, कार्यवार विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जो प्रश्न दिनाँक तक प्रारंभ ही नहीं किये गये हैं, कार्यवार बतावें? व इसके लिऐ कौन-कौन जिम्मेदार हैं व उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? अपूर्ण कार्य, जो समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाये हैं, उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिऐ जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "तैंतालीस"

निर्माण कार्यों की स्वीकृति

42. (क्र. 3033) श्री रामकिशन पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में माननीय सांसद व प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न दिनाँक तक जिन निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भेजे गये? उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई, प्रश्न दिनाँक तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी हैं व कितने लंबित हैं? (ख) क्या उदयपुरा क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में से किसी पर भी कार्य प्रारंभ कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों विलंब का कारण बतायें? (ग) क्या सांसद निधि व राज्य शासन द्वारा उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के भेजे गये प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है या दी जा रही है, विवरण देवें व कब तक कार्य प्रारंभ कराये जा सकेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं प्रशासकीय स्वीकृति प्रपत्र में वर्णित अनुसार अप्राप्त होने के कारण। (ग) जी नहीं। जी नहीं। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सॉवेर विधान सभा क्षेत्र में संचालित एन.जी.ओ.

43. (क्र. 3058) श्री राजेश सोनकर : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर जिले में कई एन.जी.ओ. कार्यरत है हाँ, तो विधानसभा क्षेत्रवार संख्या बतावें? सॉवेर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत सभी एन.जी.ओ. के नाम, स्थान देवें? (ख) क्या शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रशिक्षण का कार्य स्वायत्त शासन संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है जबकि उनका भुगतान शहरी विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है। यह किस नियम के आधार पर कार्य किसी से और भुगतान किसी अन्य द्वारा किया जाता है? (ग) विधान सभा क्षेत्र सॉवेर में एन.जी.ओ. द्वारा जो प्रशिक्षण केलेण्डर वर्ष 2012, 2013 और 2014 में करवाया गया उसमे किस-किस एन.जी.ओ. द्वारा कितने-कितने हितग्राही लाभांवित हुये और कितना खर्च किया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) (ग) के अंतर्गत जो प्रशिक्षण कार्य हुआ उसकी गुणवत्ता की जाँच समय-समय पर किस के द्वारा की गई उनके नाम और दिनाँक बतावेंनिरीक्षण में मुख्यत: क्या-क्या कमियां बताई गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 एवं संशोधित नियम, 1998 के तहत सोसायटी का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है, न कि एन.जी.ओ. का। (ख) वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु आवंटन एवं भुगतान का कार्य जिला शहरी विकास अभिकरण व्दारा नहीं किया जाता है। (ग) एवं (घ) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सॉवेर विधानसभा क्षेत्र की निर्माण प्रस्तावित हेतु सड़कें</u>

44. (क्र. 3059) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष, 2014-15 और 2015-16 में सॉवेर विधानसभा क्षेत्र, इन्दौर में कौन-कौन सी सड़कें निर्माण हेतु प्रस्तावित थी? (ख) क्या सॉवेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सगवाल से माता बरोड़ी, टाकून से बीसाखेड़ी मार्ग निर्माण किस दिनाँक को स्वीकृत हुआ और निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इसकी अनुमानित लागत और पूर्ण होने की अवधि तथा प्रत्येक की निर्माण लम्बाई भी बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) सड़कों के निर्माण में प्रत्येक में किन-किन स्थानों पर पुलिया बनाने का प्रस्ताव है? पुलिया क्या अन्य एजेंसी द्वारा बनवाई जावेगी और सड़क अन्य द्वारा? (घ) प्रश्नांश (ख) पुलियाओं की निर्माण लागत अनुमानित बतावें? इन्हें बनाने का क्या प्रस्ताव है? क्या जब तक पुलिया नहीं बनेगी, तब तक सड़क निर्माण भी नहीं होगा? सभी कार्य की पूर्णावधि अनुमानित बतावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत (1) सांवेर क्षिप्रा मार्ग ए.डी.बी. योजनांतर्गत एवं (2) सांवेर चंद्रावतीगंज गौतमपुरा मार्ग जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी योजनांतर्गत विचाराधीन है। (ख) दोनों कार्य स्वीकृत नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (घ) उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

<u>परिशिष्ट – "चौवालीस</u>"

<u>नवीन निर्माण एवं मरम्मत कार्य</u>

45. (क्र. 3086) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की नगर पालिका दतिया/नगर पंचा. भाण्डेर/नगर पंचा. सेवड़ा/नगर पंचा. इंदरगढ़/नगर पंचा. बड़ौली में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने नवीन निर्माण/मरम्मत

कार्य स्वीकृत हुये, इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गये है तथा कितने शेष है? प्रत्येक कार्य की निर्माण एजेंसी/लागत राशि/जाँच अधिकारी कौन-कौन रहे? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित संस्थाओं में 2013 से कौन-कौन विद्युत सामग्री, कितनी राशि की, किस दर से, किस एजेंसी से क्रय की गई, टेंडर प्रक्रिया हुई अथवा नहीं? (ग) जो निर्माण कार्य एजेंसियों से कराये गये उनकी गुणवत्ता के संबंध में समय-समय पर कौन-कौन से अधिकारियों ने निरीक्षण किये लैब टेस्टिंग कराई गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) नगर में जो लाइटें खंबों पर बदली गई है, तो पुरानी लाइटें जो निकली वह स्टोर में सुरक्षित है अथवा नष्ट कर दी गई है? उपरोक्त संस्थाओं में उक्त वर्षों में कितनी राशि राज्य शासन से प्राप्त हुई तथा कितनी राशि उन्हें प्रति वर्ष संस्था की आय से अर्जित हुई, कितनी राशि उनके द्वारा कुल खर्च की गई? मदवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सीमा निर्धारित करने हेतु टेन्डर

46. (क्र. 3087) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013-14 व 2014-15 में वन विभाग द्वारा वन सीमा निर्धारित करने अथवा अन्य किसी उद्देश्य से दतिया जिले में कोई नाली खोदी गई है? यदि हाँ, तो उसकी खुदाई कार्य बावत् टेन्डर निकाले गये अथवा नहीं? यदि निकाले गये तो कौन-कौन से अखबार में किस दिनाँक को निकाले गये? यदि टेन्डर नही निकाले गये तो शासन की किस प्रक्रिया के अंतर्गत खुदाई कार्य कराया गया जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नाली के निर्माण बावत क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये, तथा कौन सी एजेंसियों द्वारा कार्य कराया गया, एजेंसियों के नाम, पता एवं किस मान से कार्य कराया गया? अभी तक कुल कितनी लम्बाई में नाली खोदी गई है, तथा कितनी खुदाई होना शेष है खुदाई का कार्य किस मशीन से किया गया है आज दिनाँक तक खुदाई कार्य में कितना व्यय शासन का किया गया तथा कितना होना शेष है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित नाली बावत जो टेंडर निकाले गये उनमें कितने टेंडर किस-किस के आये, तथा कब खोले गये, कार्य पूर्ण होने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई? (घ) खुदाई का कार्य समय सीमा में पूर्ण हुआ कि नहीं यदि नहीं तो दोषी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है अथवा नहीं? यदि नहीं तो की जायेगी अथवा नहीं? यदि की जावेगी तो अवधि से अवगत कराया जावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) प्रश्नांकित क्षेत्र एवं अवधि में नाली नहीं खोदी गई, यद्यपि परकुलेशन पिट, सीपीटी एवं कन्टूर ट्रेंच का निर्माण किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। यह कार्य मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर द्वारा स्वीकृत जॉब दरों पर विभागीय तौर पर कराये गये हैं। टेंडर नहीं निकाला गया। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2013-14 के समस्त खुदाई के कार्य पूर्ण हैं। वर्ष 2014-15 के कार्यों की समाप्ति की समय-सीमा वित्तीय वर्ष के अंत तक है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

होम्योपैथिक औषधालय की स्वीकृति

47. (क्र. 3115) श्री मोती कश्यप : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले की नगरपालिका निगम कटनी में होम्योपैथिक औषधालय की स्वीकृति एवं औषधालय हेतु चिकित्सक एवं दो सहायकों की नियुक्ति हेतु पद स्वीकृत करने एवं अन्य किन्हीं

विषयों पर मेयर इन काउंसिल की बैठक दिनाँक 15-11-2010 को कोई निर्णय लिया गया है? (ख) क्या तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक ने अपने पत्र दिनाँक 20-10-2011 द्वारा शासन के किन्हीं अधिकारियों को प्रश्नांश (क) के किन्हीं पदों को सृजित करने हेतु कोई लेख किया है? (ग) क्या नगरपालिका निगम कटनी में स्वीकृत पदवार व संवर्गवार कोई आरक्षण रोस्टर है और वर्ष 2012 से आरक्षण रोस्टर का पालन किन पदों में किया गया है और कब किनको नियुक्तियां और पदोन्नतियां प्रदान की गई है? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में विभाग के द्वारा कभी कोई कार्यवाहियां की गई है? (ड.) यदि नहीं, तो प्रश्नांश (क), (ख), (ग) पर कब तक कार्यवाहियां कर दी जावेंगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) राज्य शासन व्दारा विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 4-52/2012/18-1, दिनाँक 28-02-2014 से नगर पालिक निगम कटनी के आदर्श कार्मिक संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ग) जी हाँ। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश "ख" अनुसार है।

उद्योग संवर्धन हेतु किये गये एम.ओ.यू.

48. (क्र. 3133) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. में शासन/विभाग द्वारा उद्योगों के संवर्धन हेतु एवं नये उद्योग प्रारंभ किये जाने के लिये विभिन्न योजनाएं प्रारंभ कर निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग जो कि विगत वर्षों में उद्योगों की प्रचुरता से जाना जाता था किंतु वर्तमान में संभाग अंतर्गत लगभग सारे बड़े उद्योग बंद होकर वीरान पड़े हैं तथा इनसे संलग्न सैकड़ों एकड़ भूमियां रिक्त पड़ी है? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा संभाग अंतर्गत बंद होकर वीरान पड़े मिलों एवं संलग्न रिक्त भूमियों को चिन्हित किया जाकर उन पर किसी नवीन योजना को बनाये जाने हेतु कार्य किया जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग अंतर्गत जिला शाजापुर, आगर, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर एवं नीमच जिले में उद्योग संवर्धन हेतु क्या-क्या कार्य योजना बनाई जाकर किन-किन स्थानों पर उद्योग प्रारंभ किये जाने हेतु कितने एमओयू साईन किये गये अथवा क्या-क्या कार्य किये गये?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। (ख) यह सही नहीं है कि वर्तमान में उज्जैन संभाग के लगभग सारे बडे उद्योग बंद होकर वीरान पडे है। उज्जैन संभाग में कार्यरत वृहद उद्योगों की सूची **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) 1. मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में उद्योग संवर्धन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति बनाई जाकर क्रियान्वित की जा रही है। 2.उज्जैन संभाग के अंतर्गत उद्योग प्रारम्भ किये जाने हेतु जिला उज्जैन में 13, मंदसौर में 4, रतलाम में 3, शाजापुर में 1, तथा नीमच में 1, परियोजना हेतु एमओयू साईन किए गए है। आगर जिले हेतु एमओयू साईन नही हुआ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।**

रतलाम जिला अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

49. (क्र. 3134) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों पर औद्योगिक कार्य किये जाने हेतु शासन/विभाग की कितनी-कितनी भूमियां होकर उन पर कितनी फैक्ट्रियां/शेड इत्यादि निर्मित है? (ख) साथ ही जिला

अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युतीकरण, सड़के, पेयजल पर्यावरण तथा आवश्यक आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षात्मक उपाय इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चत है? (ग) साथ ही क्या उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त भूमियां एवं शेड इत्यादि औद्योगिक कार्यों हेतु आवंटित की जाकर उन पर उद्योग संबंधित कार्य चल रहे है? (घ) यदि नहीं तो रतलाम जिला अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी भूमियां रिक्त होकर कितने शेड रिक्त पड़े है, तथा कितने ऐसे स्थान है जहाँ पर जिस कार्य प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है वहाँ वे कार्य नहीं हो रहे है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत खतरनाक श्रेणी के कारखानों की ऑन साइट आपात योजना कारखाना प्रबंधन द्वारा तैयार की गई है। जिसमें कारखानें में किसी दुर्धटना के घटित होने पर उस पर नियत्रण, कारखानें में की गई व्यवस्थायें, सुरक्षात्मक उपाय संबंधित जानकारी रहती है तथा समय समय पर इस आपात योजना की कारखानें में कार्यरत श्रामिकों द्वारा रिहर्सल की जाती है। कारखाने में श्रमिकों के उपचार हेतु प्रथमोपचार की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>दीनदयाल नगर हाउसिंग बोर्ड की सीवर लाईन एवं वॉटर सप्लाई लाईन के संबंध में</u>

50. (क्र. 3178) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की मकोनिया हाउसिंग बोर्ड की पं. दीनदयाल नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सीवर लाईन एवं वॉटर सप्लाई लाईन किस वर्ष में बिछाई गई थी? जानकारी देवें? (ख) सीवर लाईन की मरम्मत कब-कब की गई? जानकारी देवें? (ग) क्या सीवर लाईन एवं वॉटर सप्लाई लाईन एक साथ बिछाई गई हैं? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) प्रश्नाधीन कालोनी में वर्ष 1988 से 1990 की अवधि में सीवर लाईन एंव वाटर सप्लाई लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया। (ख) सीवर लाईन के विशेष मरम्मत कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में रू. 48, 720/ -की लागत से कराये गये कार्यो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में है। सीवर लाईन की सामान्य मरम्मत एंव रखरखाव का कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभागीय स्वीपरों से कराया जाता है। (ग) जी हाँ। स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य संपादित किया गया है।

<u>परिशिष्ट – "पैंतालीस</u>"

<u>सुमावली विधान सभा में वन समितियों द्वारा कराये गये कार्यों की स्थिति</u>

51. (क्र. 3191) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधान सभा मुरैना से वर्तमान में कितनी वन समितियां कार्यरत हैं? वन समितियों के अध्यक्षों के नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) उक्त समितियों द्वारा प्रस्तावित कितने पक्के, कच्चे (मिट्टी) निर्माण कार्य कराये गये? उन पर वर्ष 2012, 2013, 2014 में कितनी राशि खर्च की गई? (ग) उक्त अवधि में कच्चे (मिट्टी के) कार्यों की क्या स्थिति है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में वर्तमान में 9 समितियाँ कार्यरत हैं। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) एवं (ग) वनमण्डल मुरैना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 में प्रश्नांकित कार्य नहीं कराये गये। वर्ष 2013-14 की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "छियालीस"

एप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना

52. (क्र. 3203) श्री विजयपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम द्वारा बान्द्राभान एवं सांगाखेड़ाकला के मध्य तवा नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में विभाग को पत्र प्रेषित किये गये थे? यदि हाँ, तो कब-कब तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण विवरण सहित बतावें? (ग) उक्त एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार है? अधिकारी एवं ठेकेदार का नाम बताते हुये क्या विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, यदि हाँ, तो क्या? तथा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। पुल कार्य पूर्ण, पहुंच मार्ग निर्माणाधीन। पुल कार्य दिसम्बर 2008 में पूर्ण एवं पहुंच मार्ग निर्माणाधीन है। (ख) माननीय विधायक का पत्र प्राप्त नहीं है अपितु माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग की नोटशीट जून 2009 एवं अप्रैल 2010 में प्राप्त हुई थी। कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण ठेकेदार का ठेका निरस्त करने एवं ठेकेदार का पंजीयन निलंबन करने की कार्यवाही की गई। (ग) ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया इसलिये उनके अनुबंधों को समाप्त किया गया जिनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। इसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। ठेकेदारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। पहुंच मार्ग के शेष कार्य हेतु ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर निविदाएं आमंत्रित की गई है पहुंच मार्ग का शेष कार्य जून 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है।

परिशिष्ट – "सैंतालीस"

वन ग्रामों का विस्थापन

53. (क्र. 3204) श्री विजयपाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा टाईगर रिजर्व अंतर्गत कितने वनग्रामों का विस्थापन हुआ है और कितने ग्राम विस्थापन हेतु शेष हैं? विस्थापित परिवार इकाईयों की संख्या ग्रामवार बतायें? (ख) क्या यह सही है कि जिन ग्रामों का विस्थापन हो चुका है उनमें कई लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाये हैं और नाम विस्थापन सूची से छूट गया है? उक्त विसंगति को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में शेष बचे ग्रामों के विस्थापन के संबंध में विभाग की क्या योजना है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक 14 वनग्रामों का विस्थापन हो चुका है, एक राजस्व ग्राम सोनपुर का विस्थापन कार्य प्रगति पर है।

21 ग्राम विस्थापन हेतु शेष हैं। विस्थापित हो चुके ग्रामों के परिवार इकाईयों की ग्रामवार संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। ग्रामों के विस्थापन हेतु परिवारों की पात्रता के निर्धारण के लिए गठित समिति द्वारा पात्र एवं अपात्र पाये व्याक्ति असंतुष्ट होने पर कलेक्टर होशंगाबाद के यहाँ अपील कर सकते हैं। (ग) विस्थापन हेतु शेष ग्रामों की ग्राम सभा से विस्थापन हेतु सहमति का प्रस्ताव पारित होने तथा आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर उनके विस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट – "अड़तालीस"

अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना

54. (क्र. 3214) श्री सचिन यादव : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए क्या व्यावहारिक कार्य योजना बनाई गई है? हाँ तो कब नहीं तो क्यों कारण बतायें? (ख) उक्त कार्य योजनान्तर्गत पश्चिम निमाड (खरगोन) जिले अंतर्गत कितनी-कितनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया कितनी शेष हैं? शेष कॉलोनियों को कब तक वैध कर दिया जायेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

कोलारस विधानसभा क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत ऋण

55. (क्र. 3271) श्री रामसिंह यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोलारस के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक किन-किन को किस-किस रोजगार/व्यवसाय आदि के लिए कितनी-कितनी ऋण राशि बैंकों से दिसम्बर 2014 की स्थिति में स्वीकृत करायी गयी थी? उक्त ऋण राशि पर किस-किस को कितनी-कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई? (ख) वर्ष 2014-15 मे किन-किन बैंकों को कितना-कितना लक्ष्य दिया गया था? लक्ष्य के विरूद्ध कितने ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए, तथा कितने प्रकरण लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृति हेतु शेष रहे?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं अन्तर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को अनुदान राशि उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत कराई गई है। 31जुलाई 2014 से उक्त योजनाये बन्द होने के कारण उक्त अवधि तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार** है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को उनके द्वारा प्रस्तावित रोजगार, व्यवसाय आदि के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण राशि स्वीकृत कराई गई है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4, 5 एवं 6 अनुसार** है। (ख) वर्ष 2014-15 में बैंकों को दिये गये लक्ष्य, ऋण प्रकरण की स्वीकृति और लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृति हेतु शेष प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार** है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्रियाकलापों की जानकारी

56. (क्र. 3272) श्री रामसिंह यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के सेलिंग क्लब परिसर में स्थित विश्राम गृह में वर्ष 2013 एवं 2014 में कौन-कौन व्यक्ति आदि कब-कब रूके? व्यक्ति आदि का नाम, पता सहित बताएं कि इनके द्वारा ठहरने/रूकने का कितना-कितना किराया भुगतान किया? (ख) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कुछ व्यक्तियों द्वारा विश्राम गृह में रूकने का किराया भुगतान नहीं किया? यदि हाँ, तो किन-किन ने कितना-कितना किराया क्यों भुगतान नहीं किया? जानकारी दें? (ग) माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने वन्य प्राणियों का अवैध शिकार करने एवं वन संपदा नष्ट करने, चोरी करने आदि के कौन-कौन से प्रकरण किन-किन के विरूद्ध वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के मध्य दर्ज किए एवं दर्ज प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कितना अर्थदण्ड वसूल किया गया? (घ) माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दिसंबर 2014 की स्थिति में कहाँ-कहाँ पदस्थ थे एवं इन्हें क्या कार्य/ड्यूटी कब से आवंटित की गई है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' एवं 'स' अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'द' अनुसार** है।

गरीब परिवारों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋण

57. (क्र. 3286) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2013 व 2014 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम के लिये गरीबी रेखा के नीचे कितने परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया गया? (ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने महिला स्वसहायता समूहों को कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य के लिये उपलब्ध कराया गया? (ग) उक्त योजना हेतु नगर पालिका मुरैना को कितने ऋण आवेदन उक्त अवधि में प्राप्त हुए, कितने प्रकरणों में ऋण स्वीकृत हुआ? कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित है? संख्या सहित पूर्ण जानकारी दी जावे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) मुरैना जिले में वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम के लिये गरीबी रेखा के नीचे 17 हितग्राहियों को रूपये 14.295 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुरैना जिले की नगरपालिका-मुरैना, में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना लागू है व जिले की शेष निकायों में यह योजना लागू नहीं है। (ख) उक्त योजना के अंतर्गत नगर पालिका मुरैना के व्दारा 2 मिहला स्व-सहायता समूहों को ऋण राशि रूपये 3.25 लाख के हिसाब से कुल 6.50 लाख का ऋण सिलाई एवं बेकरी कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया। (ग) उक्त योजना में नगर पालिका-मुरैना को 229 ऋण आवेदन के प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 8 ऋण प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 221 प्रकरण लंबित है।

विधान सभा क्षेत्र सांरगपुर अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निराकरण

58. (क्र. 3296) श्री कुँवरजी कोठार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने मंदिर है जो शासन के अधीन है एवं इन मंदिरों का संधारणकर्त्ता कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शासन द्वारा विगत पांच वर्षों में इन मंदिरों के

रखरखाव हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध करायी गयी? मंदिरवार, वर्षवार, राशि सहित दिनाँकवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार वर्ष 2014-15 में किन-किन मंदिरों के जीर्णोद्धार का स्वीकृति हेतु प्रकरण लंबित है? लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण कर दिया जावेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र शासन संधारित मंदिरों की संख्या 399 है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) नरसिंह मंदिर ग्राम भ्याना तहसील सारंगपुर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

परिशिष्ट – "उन्चास"

निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्यों की जानकारी

59. (क्र. 3305) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के उप खण्ड आष्टा अंतर्गत विगत 5 वर्षों में किस-किस मद में तथा कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) विभाग द्वारा मरम्मत मद अंतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी दें एवं किस-किस को इसका भुगतान किया गया है? (ग) क्या विभाग द्वारा किये गये देयकों का भुगतान फर्जी संस्थाओं को किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (घ) क्या शासन पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करवायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) आष्टा उपखण्ड सीहोर संभाग के अंतर्गत आता है आष्टा उपखण्ड को पृथक से कोई राशि प्राप्त नहीं हुयी है। सीहोर संभाग को आयोजना/ आयोजनेत्तर मद में विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवंटन मदवार/वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) आष्टा उपखण्ड में सड़क कार्य हेतु आयोजनेत्तर मद में विगत 5 वर्षों में भुगतान की गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** सेतु संभाग अंतर्गत आष्टा में मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अवैध लकड़ी की बरामदगी

60. (क्र. 3306) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14, 2014-15 में आष्टा वन अमले द्वारा अवैध लकड़ी पकड़ी गई है? (ख) यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में कितनी कीमत की ओर कितने घनफिट/मीटर लकड़ी विभाग द्वारा पकड़ी गई है? (ग) कितने वन अपराधियों के विरूद्ध वन विभाग के नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया गया?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र एवं अवधि में अपराधियों से रू. 11, 08, 974/- मूल्य की 22.452 घ.मी. लकड़ी पकड़ी गई है। (ग) वर्ष 2013-14 में 2 अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है एवं 5 अपराधियों के प्रकरणों में विवेचना उपरांत प्रकरण अभिसंधानित कर प्रतिकर राशि रू. 37, 514/- वसूल की गई। वर्ष 2014-15 में 5 अपराधियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है एवं 3 अपराधियों के प्रकरणों में विवेचना उपरांत प्रकरण अभिसंधानित कर प्रतिकर राशि रू. 24, 126/- वसूल की गई।

मछली बाजार निर्माण के संबंध में

61. (क्र. 3312) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद माण्डव अंतर्गत मत्स्य विकास योजनांतर्गत विगत वर्ष स्वीकृत मछली बाजार के निर्माण में परिषद् द्वारा स्वीकृत लागत राशि रू. 3.50 लाख से अधिक राशि रू. 3.82 लाख व्यय की गई है? (ख) क्या किसी मद अंतर्गत स्वीकृत लागत से अधिक राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं तो परिषद् द्वारा किस प्रावधान के तहत स्वीकृत लागत से अधिक राशि व्यय की गई है, तथा क्या अधिक व्यय के लिये किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई है? क्या शासन कार्य पर अधिक व्यय की गई राशि की वसूली कर पुन: परिषद् के खाते में जमा करावेगा? यदि हाँ, तो कब तक, बतावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं, अपितु वित्तीय स्वीकृति की राशि रू. 4.01 लाख के विरूद्ध राशि रू. 3, 67, 919/- व्यय हुआ है। (ख) मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर इन काउंसिल/प्रेसिडेन्ट–इन-कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5 (दो) मध्यप्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के अधीन व्यय का प्रावधान है।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्यवाही

62. (क्र. 3340) श्री मुकेश नायक : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में नगर निगम के अन्दर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नवम्बर, 2015 तक नगर निगम सीमा से बाहर स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान रखा गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दें? उद्योग स्थानांतरण के लिए अभी क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है, उक्त समिति में कौन-कौन हैं, आदेश की प्रति दें? समिति की कब-कब बैठकें हुईं? बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पालन प्रतिवेदन की भी प्रति दें? (ग) क्या यह सच है कि कटनी में लाल ऱ्इंट भट्टे पर्यावरणीय अधिनियम के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रदूषण विभाग को है, फिर भी विभागों द्वारा ईंट भट्टा मालिकों से पत्राचार कर रहा है, जबकि इनके विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत आपराधिक प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार जब उद्योगों को नवम्बर, 2015 तक बाहर स्थानांतरित किया जाना है, तो वर्ष, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक नवीन उद्योग लगाने हेतु किन-किन को और क्यों अनुमति प्रदान की गई? इसके लिए कोन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) वस्तुस्थिति यह है कि कटनी विकास योजना 2021 के बिंदु क्रमांक4.8 में असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना संबंधी प्रावधान दिये गये है। प्रावधान संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के पालन में कलेक्टर कीअध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर, कटनी, अनुविभागी अधिकारी (रा.) एवं पुनर्वास अधिकारी, कटनी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र कटनी, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कटनी, आयुक्त, नगर निगम, कटनी, तहसीलदार, पुनर्वास/नजूल कटनी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, कटनी शामिल है। उक्त समिति की बैठक दिनाँक 9/2/2015 को संपन्न हुई, बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (ग) कटनी जिले में किसी भी लाल ईट भट्टों को पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत सम्मति नहीं दी गई है। बोर्ड में उपलब्ध जानकारी अनुसार कटनी में संचालित 12 ईट भट्टों को बोर्ड द्वारा नोटिस जारी कर खनिज विभाग, नगर निगम, कटनी एवं राजस्व विभाग को विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। कलेक्टर, कटनी (खनिज) द्वारा खनिज साधन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-1/2013/12/1 (पार्ट), दिनाँक 10/4/2013 अनुसार कार्यवाही की जा रही है। परिपत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश "क"एवं "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोड़ो का निर्माण कार्य

63. (क्र. 3341) श्री मुकेश नायक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में वर्ष 2008 से म.प्र. रोड़ डब्लपमेंट कार्पोरेशन द्वारा कितने रोड़ों का निर्माण कार्य कराया गया है उक्त निर्माण कार्य में कितनी मात्रा में खनिजों की उपयोग की गई है? प्रश्न दिनाँक तक की जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त निर्माण कार्यो में जिन खनिजों का उपयोग किया गया है उसकी कितनी रायल्टी अग्रिम जमा की गई है? क्या जो खनिजों का उपयोग किया गया है उसकी समस्त रायल्टी जमा की गई है अथवा नहीं? (ग) यदि उपयोग खनिज की सम्पूर्ण रायल्टी जमा नहीं की गई है, तो क्या शासन को राजस्व की हानि हुई है? तथा जमा न करने का क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "पचास"

सिंहस्थ मास्टर प्लान का निर्माण

64. (क्र. 3342) श्री अनिल फिरोजिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाना तय किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त प्लान तैयार करने हेतु किसे अधिकृत किया गया? (ख) सिंहस्थ मास्टर प्लान निर्माण हेतु क्या किसी एजेंसी को कोई भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो कितना एवं कब? (ग) क्या सिंहस्थ मास्टर प्लान निर्माण कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या अब तक हुये सिंहस्थ निर्माण कार्य एवं भूमि अधिगृहण का बिना मास्टर प्लान के प्रारंभ कर दिये गये? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। उक्त मास्टर प्लान बनाने हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को अधिकृत किया गया। (ख) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को रू. 1.215 करोड़ का भुगतान किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "इक्यावन"

नगर पालिका निगम सागर में सफाई संरक्षकों कामगारों के पदों की स्वीकृति

65. (क्र. 3384) श्री हर्ष यादव : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश नगर पालिका निगमों में आदर्श कार्मिक संरचना 28 फरवरी 2014 लागू की गई है? यदि हाँ, तो सागर नगर निगम में कब लागू की गई, बतायें? यदि नहीं तो सेवा भर्ती नियम 2000 कब तक संशोधित किया जावेगा? (ख) सागर नगर पालिक निगम में सफाई संरक्षकों के कितने पद स्वीकृत है तथा कितने पदों पर लोग कार्यरत है? क्या वार्डो की जनसंख्या के अनुपात से पद स्वीकृत करने का प्रावधान है, जनसंख्या के अनुपात से पद स्वीकृत क्यों नहीं है? (ग) क्या जनसंख्या के आधार पर निगम के वार्डों में सफाई संरक्षकों के पद स्वीकृत किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। नगर पालिक निगम, सागर में दिनाँक 28-02-2014 से लागू है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ख) नगर पालिक निगम, सागर में सफाई संरक्षक के 549 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 340 नियमित एवं 212 श्रमिक कार्यरत है। जनसंख्या के आधार पर ही पद स्वीकृत है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत निर्माण कार्य

66. (क्र. 3462) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सांसदों/विधायकों से उनके क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण कराने का क्या कोई प्रावधान है? (ख) क्या पीआईयू गुना के अन्तर्गत निर्माणधीन भवनों एवं निर्मित भवनों तथा निर्माण कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से नहीं कराया गया? क्या दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) पी.आई.यू. गुना द्वारा डिपोजिट मद से अन्य विभागों का निर्माण कार्य कराया जाता है। निर्मित होने पर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अत: लोकार्पण/शिलान्यास की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा ही तय की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत निर्माण कार्य

67. (क्र. 3463) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र उत्तर (ग्वालियर) में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में कितने सड़क निर्माण कार्य एवं नवीन भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए है? (ख) स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की क्या समय अवधि निर्धारित की गई? क्या स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किए गए हैं? यदि हाँ, तो कितने? यदि नहीं तो कितने निर्माण कार्य अपूर्ण है? कितने निर्माण कार्यों की समयावधि मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री द्वारा बढ़ाई गई है? ठेकेदार के आवेदन पर समय अवधि बढ़ाने हेतु क्या लोक निर्माण विभाग में कोई निर्धारित प्रपत्र है? क्या इस हेतु वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति आवश्यक है? (ग) क्या उपयंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री के टिप्पणी के विरूद्ध अधीक्षण यंत्री द्वारा बिना दण्ड के स्वीकृति बढ़ाई गई? कृपया प्रकरणों की संख्या बतावें? कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रेषित प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करें? (घ) समान प्रकार के कार्य एवं समान परिस्थितियों के रहते हुए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत समयावधि में

प्रकरण पर सक्षम अधिकारी द्वारा कितने प्रकरणों पर अर्थदण्ड सहित एवं कितने प्रकरणों पर बिना अर्थदण्ड समय वृद्धि स्वीकृत की गई? विभाग प्रमुख द्वारा दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) उल्लेखित वर्ष अनुसार 36 सड़क कार्य एवं 56 भवन स्वीकृति। वर्षवार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 4 व 6 में दर्शायेनुसार** है। 1 सड़क कार्य एवं 23 भवन कार्य समय-सीमा में पूर्ण एवं 26 सड़क कार्य तथा 18 भवन कार्य समयवृद्धि के साथ पूर्ण। 9 सड़क कार्य व 15 भवन कार्य अपूर्ण है। 21 सड़क कार्य एवं 17 भवन कार्य। जी हाँ। जी नहीं। (ग) जी नहीं। कोई प्रकरण न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सक्षम अधिकारी द्वारा बिना दण्ड के 10 सड़क कार्य व 5 भवन कार्य एवं अर्थदण्ड सहित 6 सड़क व 13 भवन कार्य स्वीकृत किये गये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इन्दौर शहर की रहवासी क्षेत्रों की कालोनियों में खाद्य सामग्री का विक्रय

68. (क्र. 3469) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर शहर की रहवासी क्षेत्रों की कालोनियों के अन्दर खाद्य सामग्री (कचोरी, समोसे, पोहे, जलेबी, चाईनीज फूड आदि) को विक्रय करने हेतु दुकानों/ठेलों को नियमानुसार नगर पालिक निगम से अनुमति प्रदान की जाती है? (ख) क्या नगर पालिक निगम द्वारा जारी अनुमति में संबंधित दुकान/ठेला संचालकों को सामग्री बनाने व विक्रय के स्थान पर साफ - सफाई व कचरे को निर्धारित स्थान पर आ ास-पास स्वच्छता रखने संबंधी निर्देश भी प्रदान किये जाते हैं? यदि हाँ, तो यदि किसी संचालक द्वारा साफ-सफाई व स्वच्छता का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रशासन द्वारा इस हेतु क्या कार्यवाही निर्धारित की गई है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। संबंधितों के विरूद्ध न्यायालय में 1489 चालान प्रस्तुत कर 1368 चालान में 9, 92, 400 रूपयें अर्थदण्ड किया गया है।

संस्थाओं / फर्म के पंजीयन

69. (क्र. 3559) श्री प्रहलाद भारती : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) फर्म एवं सोसाईटी रजिस्ट्रार कार्यालय ग्वालियर में 01 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी संख्या में संस्थाओं/फर्म पंजीयन के आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से कितने आवेदन प्राप्त हुए प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत व अस्वीकृत होकर निराकृत हुए? पूर्ण विवरण दें? नवीन पंजीयन आवेदन करने से कितने समय में निराकृत होना चाहिए समय अवधि बतावें? (ख) पंजीकृत संस्थाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र वितरण की क्या व्यवस्था प्रचलित है? (ग) अवितरित प्रमाण पत्रों का पूर्ण विवरण दें किस कारण से पंजीकृत समितियों के प्रमाण पत्र वितरित नहीं हो पा रहे है कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या पंजीकृत समिति/संस्था/फर्म के इन अवितरित प्रमाण पत्रों को वितरित करने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) पंजीयन हेतु समितियों के 2280 एवं फर्म्स के 526 आवेदन प्राप्त हुए है। प्राप्त आवेदनों में से समितियों के 2099 एवं फर्म्स के 466 आवेदन अनुमोदित किए गए। समितियों के 147 एवं फर्म्स के 50 आवेदनों में आपत्तियॉ प्रेषित की गई।

समितियों के 34 एवं फर्म्स के 10 आवेदन लंबित है। नवीन पंजीयन आवेदन करने से 05 दिवस में ऑनलाईन निराकृत किये जाने की समय अवधि निर्धारित है। (ख) पंजीकृत संस्थाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र का वितरण समान्यत: रजिस्टर्ड डाक द्वारा संस्था के आवेदन में दर्शित पते पर भेजने की व्यवस्था प्रचलित है। (ग) 156 अवितरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है जिसमें डाक विभाग द्वारा तलाश किया पता नही चला, तलाश करने पर इस नाम की संस्था का पता नहीं चला, इस पते पर कोई नहीं है, इस नाम के व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है जैसी टीप लगाकर अवितरित होने के कारण स्पष्ट किये गये है। (घ) संस्था/फर्म के अवितरित प्रमाण पत्रों को आवेदकों की ओर से आवेदन प्राप्त होने पर या पुष्टि किये जाने के उपरांत प्रमाण पत्र प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है।

छतरपुर जिला अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन

70. (क्र. 3582) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत वर्ष 2009 से प्रश्न दिनाँक तक स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व तथा अन्य विभागों के भवनों के कुल कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुए? सूची दें? (ख) ऐसे कितने भवन स्वीकृत है तो अब तक न तो कार्य प्रारंभ किये गये और न ही निरस्त किये गये कारण सहित बतायें? (ग) जिन ठेकेदारों ने कार्य प्रारंभ नहीं किया तो अब तक उनको कब नोटिस दिये गये तथा अपूर्ण कार्य जो पड़े है उसमें विभाग के कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार** है। (ग) उत्तरांश 'ख'के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

मन्दसौर जिले में शा.मन्दिरों की जीर्णोद्धार

71. (क्र. 3594) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर जिले में प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से शासकीय मंदिरों के पास कितनी-कितनी प्रॉपर्टी एवं भूमि है? (ख) प्रश्नांश (क) से संदर्भित मंदिरों में 1 जनवरी 2011 के पश्चात मन्दसौर, रतलाम, नीमच, जिले में किन-किन शासकीय मंदिरों को जिर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई? सूचीवार जानकारी देवे? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या यह सही है कि मंदिरों को प्रदान की जाने वाले राशि का 4 माह पश्चात ही मन्दसौर जिले में जिर्णोधार हेतु उपयोग नहीं हो पाया? यदि हाँ, तो प्रदाय की जाने वाली राशि वर्तमान में कहाँ प्रचलन में है? देरी के कारण का उल्लेख करे? (घ) प्रश्नांश (ग) से संदर्भित प्रकरण में देरी को लेकर कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगरीय निकाय के सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण

72. (क्र. 3605) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में प्रश्न दिनाँक तक नगरीय प्रशासन विभाग में कितने सफाईकर्मी किस-किस नगर निगम, नगर पालिका में कार्यरत है? इनका कब-कब स्वास्थ्य परीक्षण विभाग द्वारा कराया गया? परीक्षण के दौरान कौन-कौन सी गंभीर बीमारी सामने आई है? (ख) क्या मंदसौर में

सफाईकर्मी जागरूकता के अभाव में गंभीर बीमारियों से पीडित हो रहे है? यदि नहीं तो उक्त जिलों में 55 वर्ष की उम्र तक कितने सफाईकर्मियों की किन-किन कारणों से मृत्यु हुई, 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक नगर निगमवार जानकारी देवें? (ग) गंभीर बीमारी से पीडित स्वास्थ्य कर्मियों के इलाज को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग की क्या योजना है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ग) सफाई कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विभाग व्दारा परिपत्र क्रमांक 4/155/2000/18-1 दिनाँक 03-05-2000 जारी किया गया है एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (भरती तथा सेवा शर्ते) नियम, 1968 के नियम 46 एवं 47 में चिकित्सा सहायता के प्रावधान है।

परिशिष्ट – "बावन"

बड़नगर विधानसभा क्षेत्र की संचालित आरा मशीनें

73. (क्र. 3678) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर में कुल कितनी आरा मशीनें संचालित हो रही है? उनके लायसेंस किस नाम से है और कितनी अवधि के है, लायसेंस की शर्त, स्टॉक रखने की अनुमति व कितना स्टॉक रख सकते हैं जानकारी प्रदान करें? (ख) इन आरा मशीनों को लकड़ी कहाँ से प्राप्त हो रही है? क्या प्राप्त लकड़ी की जानकारी का संधारण किसी रजिस्टर में होता हैं? यदि नहीं तो क्या आरा मशीनों में अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का भण्डारण तो नहीं किया जा रहा है? (ग) क्षेत्र में चल रही आरा मशीनों का सत्यापन वर्तमान में किस दिनाँक को एवं किस अधिकारी के द्वारा किया गया? उसकी जानकारी उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) बड़नगर शहर में कुल 11 आरामशीनें संचालित हैं। आरामशीनों के लायसेंस में चिरान क्षमता का उल्लेख होता है, न कि स्टॉक रखने की अनुमति का। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र** "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) बड़नगर शहर की आरामशीनों पर काष्ठ आसपास के ग्रामों से चिरान हेतु लाई जाती है जिसका लेखा संबंधित आरामशीन धारक द्वारा नियमानुसार निर्धारित रजिस्टर प्रारूप (घ-2) में रखा जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट- "स"** में है।

परिशिष्ट – "तिरेपन"

कटनी नदी पर निर्मित पुल में टोल टैक्स की वसूली

74. (क्र. 3688) कुंवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झिंझरी-बिलहरी-देवगांव पहुंच मार्ग में स्थिति कटनी नदी पर निर्मित पुल कितनी लागत से किस वर्ष निर्मित हुआ था? उक्त वर्णित टोल टैक्स नाके पर स्थापना दिनाँक से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि का ठेका कब-कब किसको दिया गया एवं कितनी राशि टोल टैक्स के माध्यम से वसूल की गई? (ख) उक्त पुल के प्रारंभ होने के दिनाँक से प्रश्न दिनाँक की अवधि तक क्या कभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि टोल टैक्स का ठेका पूर्व वर्षों से दिये गये ठेके से कम राशि में किसी ठेकेदार को दिया गया है, यदि हाँ, तो क्यों और किन कारणों से? (ग) उक्त टोल टैक्स में उसके बनने की दिनाँक से लेकर आज दिनाँक तक दिये गये ठेकों की वर्षवार संपूर्ण प्रक्रिया की नियमों/आदेशों सहित विस्तृत जानकारी दें? (घ) उक्त पुल पर कब तक टोल टैक्स वसूल किया जावेगा, तथा प्रश्न दिनाँक

तक कितनी राशि टोल टैक्स के माध्यम से वसूली की जा चुकी है? (ड.) यदि प्रश्न (ख) का उत्तर हाँ है, तो ऐसा कैसे संभव है कि पूर्व के वर्षों में टोल टैक्स का ठेका अधिक रूपये में तथा बाद में कम रूपये में दिया गया? विस्तृत विवरण कारण सहित दें? क्या इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जानबूझकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कम राशि में ठेका स्वीकृत किया गया है? (च) क्या प्रश्न (ख) के अनुसार कम राशि में ठेके दिये जाने से क्या जनता से बेवजह अधिक समय तक टोल टैक्स वसूला जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों और इसके लिये उत्तरदायी कौन ओर यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) पुल 40, 34, 000/- की लागत से वर्ष 1985 में निर्मित हुआ। प्रश्न दिनाँक तक रुपये 49, 32, 289/- की राशि वसूल की जा चुकी है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं अ-1 अनुसार** है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2006-07, वर्ष 2008-09, वर्ष 2010-11, वर्ष2012-2013 व वर्ष 2013-2014 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि टोल-टैक्स का ठेका पूर्व वर्षों में लिये गये ठेके से कम राशि में ठेकेदार को दिया गया। सरकारी बोली तक उच्चतम बोली प्राप्त नही होने के कारण शासन हित मे उच्चतम बोली स्वीकृत की गई। (ग) मध्यप्रदश कार्य विभाग नियमावली 1983 के भाग प्रथम के पैरा 9.041 से 9.044 तथा भाग दो के परिशिष्ट 9.14 एवं 9.15 के नियमों के तहत ठेके की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (घ) दिनाँक 31-3-2015 तक टोल वसूल किया जायेगा। प्रश्न दिनाँक तक रूपये 49, 32, 289/- की राशि वसूल की जा चुकी है। (ङ) जी हाँ। उत्तरांश''ख'' अनुसार। किसी भी प्रकार का लाभ ठेकेदार को नही पहुंचाया गया। (च) जी नहीं। उत्तरांश ''ख'' एवं ''ड''अनुसार। उक्त कार्यवाही शासकीय प्रक्रिया के अनुसार की गई है। इस सबंध में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

कटनी के सामान्य वन मंडल द्वारा किए गए कार्य

75. (क्र. 3690) कुंवर सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य वन मंडल कटनी के अंतर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक सिल्वी पाश्चर माउल कार्यो, वैकल्पिक पौधारोपण कर वन तैयार करने के कितने कार्य, कितनी लागत में, कहाँ-कहाँ, कराये गये, वृतवार, वर्षवार, विभागीय प्रस्तावों, आवंटन प्रस्तावों, विभागीय प्रतिवेदनों सहित बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्यो की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन, जाँच किन-किन अधिकारियों, द्वारा कब-कब की गई, जाँच में क्या पाया गया? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के तहत क्या इन कार्यो में गड़बड़ियों की विभाग को शिकायतें एवं जानकारी प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही किस-किस पर की गई है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (ग) उत्तरांश (क) तथा (ख) के परिप्रेक्ष्य में कराये गये कार्यों की एक शिकायत प्राप्त हुई, जो जॉच में निराधार पायी गई। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. में तेंदूपत्ता, बांस तथा लकड़ी के बकाया बोनस

76. (क्र. 3719) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के पश्चात तेंदूपत्ता, बांस तथा

लकड़ी का बोनस आज दिनाँक तक श्रमिकों को नहीं दिया गया है यदि हाँ, तो कारण बताएँ? (ख) सत्र 2013-2014 तथा 2014-2015 में तेंदूपत्ता, बांस तथा लकड़ी के बोनस की राशि सहित जानकारी दें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांकित अवधि में तेन्दूपत्ता काष्ठ एवं बांस के लाभांश की राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

राशि करोड़ रूपये में

वर्ष	काष्ठ लाभांश	बांस लाभांश	तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक/लाभांश
2013-14	23.24	14.95	223.23
2014-15	20.69	18.27	7.79

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नगर पंचायत लांजी में स्वीकृत कार्य

77. (क्र. 3720) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत लांजी में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तथा नगरीय निकाय विभाग म.प्र. द्वारा क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं? इन कार्यों का वर्तमान स्टेटस क्या है? लागत, कार्य की प्रगति सहित विस्तृत जानकारी दें? (ख) क्या यह सही है कि लांजी नगर परिषद द्वारा वर्ष 2012 में सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट विभिन्न वार्डों में लगाने हेतु निविदा बुलाकर इन्दौर की एक कंपनी की निविदा स्वीकृत कर दिनाँक 21.12.2012 को आर्डर देकर दिनाँक 17.01.2013 को पंद्रह लाख रुपये के लगभग (14, 65, 900 रू.) के सौर स्ट्रीट लाईट खरीदे गये किंतु आज तक इन्हें वार्डों में नहीं लगाया गया है? (ग) क्या शासन इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट का भौतिक सत्यापन करवाएगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) शासन द्वारा सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट के भौतिक सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है।

अन्तरित भूमियों को पट्टे पर आवंटित करना

78. (क्र. 3741) श्री मुकेश नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में वन विभाग ने किस ग्राम की कितनी जमीन अधिक अन्न उपजाओं योजनाओं के तहत राजस्व विभाग को किस आदेश क्रमांक दिनाँक से अंतरित कितनी जमीन प्रश्नांकित तिथि तथा पट्टे पर वितरित नहीं की जा सकी? कितनी जमीन कितने पट्टेधारियों को वितरित कर दी गई? (ख) वन विभाग ने जिन ग्रामों की जमीन अधिक अन्न उपजाओ योजना के तहत राजस्व विभाग को अंतरित की उनमें से किस ग्राम की कितनी जमीन को किस अधिसूचना क्रमांक, दिनाँक के द्वारा राजपत्र में संरक्षित वन अधिसूचित किया गया? किस ग्राम की कितनी गैर संरक्षित वन अधिसूचित भूमि अधिक अन्न उपजाओ के तहत अंतरित की गई? (ग) अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के तहत अंतरित भूमियों के मानचित्र वन विभाग ने राजस्व विभाग को कब-कब और कितने सौंपे? उसके आधार पर अंतरित जमीनों को पटवारी मानचित्र में किस आदेश क्रमांक दिनाँक के द्वारा राजस्व विभाग ने

संशोधित कर दर्ज किया? (घ) अधिक अन्न उपजाओ योजना के तहत अंतरित भूमियों के वन विभाग से मानचित्र प्राप्त कर संबंधित पटवारी मानचित्र में अंतरित जमीनों में दर्शाए जाने हेतु राजस्व विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रधान मुख्य वन संरक्षक का दौरा</u>

79. (क्र. 3761) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री अनिल ओबरॉय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल का पदभार किस दिनाँक को दिया गया? पदभार ग्रहण करने की दिनाँक से प्रश्नांकित दिनाँक तक उनके द्वारा ग्वालियर चम्बल संभाग के किस-किस वनवृत या वनमंडल को किस-किस दिनाँक को दौरा किया गया? (ख) श्री अनिल ओबरॉय ने अन्य किस-किस वनवृत एवं वनमंडल का अपने किस-किस सहयोगी के साथ किस-किस दिनाँक से किस-किस दिनाँक तक दौरा कर बैठकें ली, निरीक्षण किए? (ग) श्री अनिल ओबरॉय द्वारा स्वयं एवं अपने साथियों के साथ किए गए दौरे/भ्रमण एवं प्रवास पर किए गए निरीक्षण एवं दिए गए निर्देशों की टीप किस दिनाँक को किस-किस को प्रेषित की?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>निजी प्रयोग शालाओं में टेस्टिंग</u>

80. (क्र. 3762) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी परियोजना परिक्षेत्र भोपाल के अन्तर्गत विभागीय प्रयोगशालाएं कहाँ-कहाँ पर कार्यरत हैं विगत तीन वर्ष में किस-किस निजी प्रयोगशाला में टेस्टिंग के विभाग ने किस दिनाँक को अनुबंध किए हैं? (ख) विभागीय कार्यो की टेस्टिंग करने वाली निजी प्रयोगशालाओं में किस प्रयोगशाला को गत तीन वर्ष में किस मार्ग में किए गए किस टेस्ट के बदले कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितना भुगतान लंबित हैं? इनमें से किस प्रयोगशाला के विरूद्ध किसकी शिकायत प्राप्त हुई उसकी जाँच किसके द्वारा की गई? (ग) एन.ए.बी.एल टेस्टिंग के क्या नियम हैं, ठेकेदारों के अनुबंध में विभागीय प्रयोगशाला से टेस्टिंग करवाए जाने का किस कंडिका में क्या प्रावधान है, निजी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करवाए जाने का किस कंडिका में क्या प्रावधान हैं? (घ) राजधानी परियोजना क्षेत्र में विभागीय प्रयोगशालाओं से टेस्टिंग करवाए जाने की बजाय निजी प्रयोगशालाओं से टेस्टिंग करवाए जाने का क्या-क्या कारण रहा हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) राजधानी परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रयोगशाला नहीं है अपितु राजधानी परिक्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विभागीय प्रयोगशाला भोपाल मिसरोद, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, एवं होशंगाबाद में विभागीय प्रयोगशाला है किसी भी निजी प्रयोगशाला से टेस्टिंग के लिये अनुबंध नहीं किया गया है। (ख) संभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार** है। Morth specification जो अनुबंध के अंग है कि कण्डिका 901.03 एवं 901.04 अनुसार। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार** है। Morth specification जो अनुबंध के अंग है कि कण्डिका 901.03 एवं 901.04 अनुसार।

<u>सड़क निर्माण कार्य</u>

81. (क्र. 3799) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बी.ओ.टी से बनने वाली मार्ग NH-75 बमीठा से सतना-बेला मार्ग का ठेका किस कंपनी को कब दिया गया एवं किस दिनाँक को अनुबंध किया गया? निविदा शर्तों के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था? (ख) क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें? (ग) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? उक्त कार्य के निर्माण में विलंब किये जाने के लिये संबंधित दोषी कंपनी/अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) बी.ओ.टी. आधार पर मार्ग एन.एच.-75 बमीठा से सतना एवं सतना से बेला मार्ग क्रमश: मेसर्स कॉनकास्ट पॉथ बमीठा सतना रोड़ प्रोजेक्ट प्रा.लि. नई दिल्ली से दिनाँक 20.01.2012 तथा मेसर्स टॉपवथ टोल्वेज (बेला) प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई से दिनाँक 09.05.2012 को अनुबंधित किया गया। इन मार्गों को क्रमश: कार्य हेतु दिनाँक 11.05.2013 तथा 13.08.2013 को सौपा गया। बमीठा से सतना मार्ग को 11.05.2015 तथा सतना से बेला मार्ग को 13.08.2015 तक पूर्ण करना है। (ख) जी नहीं। कार्य समयावधि में वित्तीय संसाधनो में कमी के कारण धीमी गति से प्रगति पर। (ग) निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ, द्रुतगति से कार्य करने हेतु कंशेसनायर को अनुबंध के अनुसार नोटिस दिये गये है। बमीठा पन्ना सतना मार्ग पर कन्सेशनायर के विरूद्ध अनुबंध निरस्तीकरण का नोटिस दिनाँक 01.10.2014 को तथा सतना बेला मार्ग पर कार्य की गति बढ़ाने का नोटिस दिनाँक 06.12.2014 को दिया गया है।

शाख कर्तन कार्य

82. (क्र. 3818) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदू पत्ता के शाख कर्तन कार्य कराने के लिये क्या-क्या आदेश निर्देश दिये गये? सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में इसके लिये कितना बजट दिया गया? (ख) विगत वर्ष में वन मण्डलवार राजस्व एवं वन क्षेत्रों में कितनी राशि का शाख कर्तन का कार्य कराया गया? वन मण्डलवार शाख कर्तन का सत्यापन कितने अधिकारियों द्वारा किया गया? (ग) विगत वर्ष में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कितने वनमण्डलो में कितने तेंदूपत्ता एवं अन्य गोदाम का निर्माण कराया गया? (घ) क्या निर्माण कार्य एवं शाख कर्तन कार्य से वन नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ? यदि हाँ, तो राज्य शासन द्वारा निर्देश देने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कब तक?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' में दर्शित** है। वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 5, 88, 87, 500.00 एवं वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 5, 75, 00, 000.00 शाखकर्तन कार्य हेतु दी गई जिसका पूर्ण उपयोग किया गया। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग) राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 46 वन मण्डलों में 152 तेन्दूपत्ता गोदामों का निर्माण कराया गया। (घ) जी नहीं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर पालिका द्वारा कराये गये कार्य

83. (क्र. 3819) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले की नगर पालिका मण्डला एवं नैनपुर तथा नगर पंचायत बम्हनी बंजर को राज्य शासन एवं कलेक्टर सेक्टर से वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुई? मदवार वर्षवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि को कहाँ-कहाँ, किस-किस कार्य के लिये व्यय किया गया? कार्य का नाम, स्थान सहित बतायें? यदि सामग्री क्रय की गयी है तो आयटमवार मूल्य सहित प्रदायकर्ता फर्म का नाम पता सहित बतायें एवं भौतिक सत्यापन की जानकारी भी देवें। (ग) उक्त में से निर्माण कार्यों का मापन मूल्यांकन सत्यापन किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया? नाम पद नाम सहित बतायें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन

84. (क्र. 3847) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले मे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिनाँक 1.4.2013 से 31.12.2014 तक कुल कितने आवेदन पत्र किस-किस रोजगार के लिये प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्रों को रोजगार हेतु ऋण दिलाया जाना मान्य किया गया? (ख) मान्य आवेदन पत्रों में से कितने ऋण प्रकरण बनाकर बैंकों को भेजे गये? बैंक भेजे गये ऋण प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में किस-किस बैंक द्वारा हितग्राही को रोजगार हेतु ऋण दिया गया और कितने प्रकरण बैंकों के द्वारा हितग्राही को ऋण न देते हुये संबंधित कार्यालय को वापिस कर दिये गये? क्यों? कारण बतावें? (ग) क्या यह सही है कि उक्तावधि में बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत ऋण प्रकरण यह कहकर कि आवेदक का प्रकरण बैंक के सेवा क्षेत्र से बाहर का है, वापिस कर दिये जाते हैं? (घ) यदि हाँ, तो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर के द्वारा हितग्राहियों के ऋण प्रकरण संबंधित सेवा क्षेत्र वाले बैंकों को न भेजे जाकर किसी अन्य बैंक को क्यों भेज दिये जाते हैं? स्थिति स्पष्ट करते/हुये कारण बतावें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फुटपाथ व्यापारियों हेतु लागू एक्ट

85. (क्र. 3852) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या फुटपाथ व्यापारियों एवं सड़क पर ठेले/फेरी वाले व्यापारियों के संबंध में संसद द्वारा पारित Proection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014 क्या मध्यप्रदेश में भी लागू है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस एक्ट के अनुसार Town Vending Committee का गठन मध्यप्रदेश के सभी नगरीय निकायों में किया जा चुका है? यदि नहीं तो कब तक गठन किया जाकर एक्ट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी? (ग) कृपया यह भी बताये कि मध्यप्रदेश में वेंडरों का सर्वे कराया जा चुका है या नहीं? यदि नहीं तो वेडरों का सर्वे कब तक कराया जावेगा, और जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता तब तक इन वेंडरों के विरूद्ध अतिक्रमण के नाम पर कोई कार्यवाही तो नहीं होगी? (घ) सभी वेंडरों को सर्वे उपरांत Vending Cartificate कब तक जारी कर दिये जावेगे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जीं हाँ (ग) जीं हाँ, यह एक सतत प्रक्रिया है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सर्वे उपरांत 86, 485 व्यक्तियों को परिचय पत्र जारी किए जा चुके हैं।

उद्यमिता विकास केन्द्र के कर्मचारियों के देय वेतनमान

86. (क्र. 3884) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सेडमेप में कार्यरत सभी अस्थाई कर्मचारी को वेतनमान दिया गया? यदि नहीं तो किस कारण से नहीं दिया गया? वेतनमान के निर्धारण की स्वीकृति संचालक मण्डल से ली गई? यदि नहीं तो क्यों? जिन कर्मचारियों को नहीं दिया गया, क्या उसका निर्णय बोर्ड का था? क्या संचालक मण्डल द्वारा इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है? (ख) क्या सेडमेप के कार्यकारी संचालक महोदय के वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में माननीय विधायकों द्वारा शिकायत माननीय मंत्री महोदय, मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव को साक्ष्य सहित प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या उस पर जाँच की गयी? दोषी जाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) सेडमेप में कितने कर्मचारियों का वेतन वर्ष 2005 से आज तक, कब तक, कितने माह का रोका गया? यदि हाँ, तो कारण बतायें? वेतन रोके जाने के उपरांत कितने माह पश्चात वेतन पुन: भुगतान किया गया तथा वेतन रोकने से पूर्व कारण स्पष्ट किया गया था? (घ) क्या सेडमेप के सेवा नियम में यह प्रावधान है कि शासकीय विभागों से अप्राप्त राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जाये? अभी तक कितने कर्मचारियों से यह राशि उनके वेतन से काटी गयी? यदि प्रावधान नहीं है तो इसके लिये कौन जवाबदेह है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नही। संस्था के संचालक मण्डल द्वारा उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिन कर्मचारियों को वेतनमान देने की अनुशंसा की गई उन्हें ही वेतनमान प्रदान किया गया है। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। उपरोक्तानुसार गठित कमेटी द्वारा मापदण्ड निर्धारित करते हुए नीति बनाई गई थी। (ख) जी हाँ। जाँच प्रक्रियाधीन है। शेष के संबंध में प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) सेडमेप एक स्वशासी संस्था है जो स्व-वित्तपोषित है इसलिये संस्था कि परिपाटी अनुसार संस्था के कर्मचारियों द्वारा प्रायोजकों से राशि प्राप्त न करने संस्था से लिये गये अग्रिम के विरूद्ध देयक प्रस्तुत न करने, प्रोग्राम रिपोर्ट समय जमा न करने, प्रायोजकों से कार्यादेश प्राप्त करने मे उदासीन रहने आदि कारणों से समय समय पर 10 दिवस अथवा 15 दिवस अथवा 1 माह का वेतन रोका जाता है, जो उपरोक्तानुसार पूर्ति कर दिये जाने पर पुन: भुगतान कर दिया जाता है। अपेक्षित जानकारी विस्तृत है। (घ) जी हाँ। सेडमेप के सेवा नियम की कण्डिका 56 एवं 91 के अनुसार शासकीय विभागों से अप्राप्त राशि के संबंध में कुल 27 कर्मचारियों के वेतन से राशि काटी गयी है एवं राशि प्राप्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारियों को काटी गई राशि का पुन: भुगतान भी किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल के जानकी नगर, चूनाभट्टी क्षेत्र में अतिक्रमण

87. (क्र. 3930) श्री प्रताप सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल के जानकी नगर व चूनाभट्टी क्षेत्र में नगर निगम की भवन अनुज्ञा के अनुसार निर्माण न कर अतिरिक्त निर्माण कर किचन गार्डन बनाने आदि की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? नाम सहित जानकारी दी जायें? (ख) अतिरिक्त निर्माण अथवा अतिक्रमण करने वाले भवन स्वामियों के

विरूद्ध नगर निगम द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) जानकी नगर क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण/अतिक्रमण करने वाले भवन स्वामियों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण/अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त चूना भट्टी क्षेत्र में गौरी गृह निर्माण समिति की प्राप्त अवैध निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त निर्माण को भी हटाया गया है।

<u>परिशिष्ट – "चउवन</u>"

<u>वन समितियों एवं एन.जी.ओ. को राशि आवंटन</u>

88. (क्र. 4066) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन मण्डल सीधी अंतर्गत कितनी वन समितियां कार्यरत है? वन समितियों को वर्ष 2013-14 में प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि दी गई है? उनके माध्यम से जिले में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कार्य किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) वन मण्डल अंतर्गत कितने एन.जी.ओ. कार्यरत है और कितने आवंटन किस एन.जी.ओ. को दिया गया है कहाँ-कहाँ कार्यरत है? कार्य की स्थिति एवं व्यय राशि की जानकारी दें? (ग) विभाग में कितने कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद स्वीकृत है, उनकी भर्ती किस विज्ञापन के माध्यम से की गई है विज्ञापन के बाद किस कमेटी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया का संचालन पूर्ण किया गया है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित वनमंडल के अंतर्गत कुल 323 वन समितियां कार्यरत हैं। वन समितियों को प्रश्नांकित अवधि में राशिरूपये 1, 06, 67, 284/- का भुगतान किया गया। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांकित वन मंडल में कोई एन.जी.ओ. कार्यरत नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग की स्वीकृत नवीन संरचना में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद स्वीकृत नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>आबादी क्षेत्र में सड़क निर्माण में सी.सी. कार्य</u>

89. (क्र. 4085) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम आबादी क्षेत्र में से निकलने वाली सड़कों को डामरीकृत सड़क के स्थान पर सीमेंट कांक्रीट करने का प्रावधान विभाग ने किया है? यदि हाँ, तो कालापीपल खमलाय अपलाय मार्ग के अंतर्गत ग्राम मरदी, लसुडिल्या मलक एवं रोसला के आबादी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त हो चुकी डामरीकृत सड़क को सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया गया? क्या सीमेंट कांक्रीट रोड का शीघ्र निर्माण कराया जावेगा? (ख) क्या पोचानेर से शेरपुरा सड़क के प्राक्कलन में आबादी क्षेत्र में डामरीकृत सड़क का प्रावधान किया गया है? क्या वर्षाकाल में अत्यधिक पानी का बहाव उक्त सड़क निर्माण क्षेत्र में होता है? क्या पानी के बहाव से डामरीकृत सड़क क्षतिग्रस्त नहीं होगी? फिर क्यों सड़क के प्राक्कलन में सी.सी. कार्य का प्रावधान नहीं किया गया? (ग) पोचानेर शेरपुरा सड़क कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति हेतु कब प्राप्त हुवे? क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन पर एस.एफ.सी की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? अगर नही तो कब तक पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। सभी सड़कों हेतु सीमेंट कांक्रीट न किया जाकर स्थल की आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाता है। जैसा कि ग्राम भरदी में सीमेंट कांक्रीट आवश्यकता न होने से प्राक्कलन नहीं बनाया गया है। वर्तमान में स्वीकृति प्राप्त न होने से। स्वीकृति प्राप्त न होने से बताया जाना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। जी हाँ। अर्थवर्क द्वारा मार्ग को ऊंचा कर पुलियाओं का निर्माण भी किया गया है, जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त होने की संभावना नगण्य है अत: सी.सी. कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। (ग) पुनरीक्षित प्राक्कलन दिनाँक 30.08.2014 को प्राप्त हुए है। वर्तमान में समय सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>जिला मुरैना में खेलो का विकास</u>

90. (क्र. 4110) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 117 में खेलों के विकास एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में वर्ष 2013-14 की तुलना में 54 प्रतिशत वृद्धि की है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 (जनवरी 2015) तक जिला मुरैना को कितनी राशि प्रदाय की जाकर विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना में किन-किन स्थानों पर खेलों के विकास एवं अधोसरंचना निर्माण से संबंधित कार्य किये गये की जानकारी खेल स्थान का नाम/लागत राशि/ क्रियान्वयन एजेंसी आदि सहित दी जावें? (ग) यदि निर्माण कार्य नहीं किये गये तो क्या यह खेल प्रतिभाओं के साथ भेदभाव नहीं है व कब तक दिमनी क्षेत्र में खेलों से संबंधित विकास के कार्य किये जा सकेंगे?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2014-15 में जिला मुरैना को राशि रूपये 30.32 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया। दिमनी विधानसभा क्षेत्र जिला मुरैना में खेलों के विकास एवं अधोसंरचना निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से कोई कार्य नहीं किये गये हैं, परंतु जिलों में संचालित सभी गतिविधियों अनुसार दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भी गतिविधियाँ संचालित होती है। (ग) जी नहीं। इसकी निश्चित तिथि बताई जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण</u>

91. (क्र. 4111) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 78 में शासन का लक्ष्य है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2017 तक खुले में शौच का पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये? व्यक्तिगत तथा सामुदायिक शौचालयों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं मैला निपटान प्रबंधन के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन प्रारंभ किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त लक्ष्य के क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या नीति एवं मापदण्ड प्रचलन में हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित नीति के तहत नगर पालिका मुरैना को अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक कितनी राशि प्रदाय की जाकर क्या-क्या कार्यों का क्रियान्वयन किया?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

नगर पालिका अनूपपुर के अंतर्गत निर्माण कार्य

92. (क्र. 4175) श्री रामलाल रौतेल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला मुख्यालय की नगर पालिका अनूपपुर को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न विकास निर्माण कार्यों के लिये कार्यवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी बताइयें? (ख) क्या अनूपपुर में स्टेडियम, कम्प्यूनिटी हाल रैन बसेरा एवं बाल उद्यान जैसे लोकोपयोगी विकास कार्य करने की भी कार्य योजना है? यदि हाँ, तो कार्य योजना का विवरण बताइयें? (ग) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 357/14 दिनाँक 26.11.2014 का उत्तर नगर पालिका अधिकारी अनूपपुर द्वारा न दिए जाने का क्या कारण है? विवरण सहित जानकारी प्रदान करें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ (1 से 9) " अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 357/14 दिनाँक 26-11-14 निकाय को प्राप्त नहीं हुआ है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नगर परिषद के गठन की प्रक्रिया

93. (क्र. 4256) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर परिषद बनाने की नियमावली बताऐं? आदिवासी बहुल क्षेत्र में कोई छूट है तो उल्लेख करें? जनसंख्या या मतदाता संख्या की सीमा क्या है? (ख) 2-3 ग्राम पंचायतें मिलकर नगर परिषद बनाई जा सकती है? ऐसे में ग्रामों के मध्य न्यूनतम दूरी की कोई सीमा है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) नगर परिषद् गठन संबंधी अधिसूचना दिनॉक 27 दिसम्बर 2011 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "पचपन"

वन नर्सरी की स्थापना

94. (क्र. 4257) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वन विभाग की कितनी नर्सरी संचालित हो रही है सूची देवें? नर्सरी संचालक का नाम भी बताऐं? नर्सरी का क्षेत्रफल एवं इसमें उपलब्ध पौधों की जानकारी दें? (ख) वन विभाग निजी क्षेत्र में भी नर्सरी संचालन में मदद करता है? यदि हाँ, तो योजना की जानकारी दें? (ग) शासकीय जमीन पर नर्सरी स्थापित करने हेतु निजी/अशासकीय व्यक्ति/ संस्था को स्थानांतरित/ लीज पर दी जाती है? यदि हाँ, तो योजना की जानकारी दें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "छप्पन"

BRTS इंदौर तथा भोपाल का परिचालन तथा ठेकेदारों एवम् सलाहकारों को भुगतान

95. (क्र. 4280) श्री बाला बच्चन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) BRTS इंदौर तथा भोपाल में सित. 2014 से फर. 2015 तक प्रतिमाह कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे है तथा प्रतिमाह किराया कितना आ रहा है? क्या यात्रीयों की संख्या तथा राजस्व DPR के अनुसार है?

(ख) BRTS इंदौर तथा भोपाल में प्रारंभिक DPR में लागत तथा भोपाल की अतिरिक्त DPR की लागत एवम् कुल आज दिनाँक तक वास्तविक लागत क्या है? (ग) BRTS Indore तथा भोपाल में कौन-कौन सा कार्य किस ठेकेदार ने किया तथा उसकी टेण्डर राशि स्वीकृत क्या थी तथा वास्तविक भुगतान कितना किया गया? (घ) BRTS Indore तथा भोपाल में किस-किस कन्सलटेन्ट को कितना-कितना भुगतान किया गया तथा शेष कितना है? कन्सलटेन्ट को कैसे नियुक्त किया गया?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

<u>BRTS इंदौर में लागत में वृद्धि तथा सलाहकारों को अवैध भुगतान</u>

96. (क्र. 4281) श्री बाला बच्चन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) BRTS इंदौर की प्रारंभिक DPR में कुल लागत कितनी थी और अभी तक कुल कितनी राशि किस-किस मद में लगाई जा चुकी है? किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि लगाई गई? (ख) प्रारंभिक DPR के सलाहकार मेहता एण्ड एसोसियेटस को बिना टेण्डर के कैसे नियुक्त किया गया? (ग) मेहता एण्ड एसोसियेटस को आज दिनाँक तक कितना भुगतान किस-किस दिनाँक को किया गया तथा प्रारंभिक DPR अपूर्ण बनाने के कारण इस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) मेहता एण्ड एसोसियेटस के संदर्भ में अटल इंदौर सिटी ट्रा.स.लि. इंदौर के बोर्ड बैठक दिनाँक 22.8.2006 के मिनिटस तथा निर्णय की सत्य प्रतिलिपी तथा उक्त निर्णय की सूचना IDA को देने वाले पत्र दि. 7.2.2007 की प्रतिलिपी उपलब्ध करावें?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

<u>उच्च पद पर उच्च शिक्षित इंजीनियरों की जानकारी बावत्</u>

97. (क्र. 4337) श्री हरवंश राठौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग शासन के मुख्य तकनीकी दक्षता वाले मूल विभाग हैं उक्त विभागों के कार्यपालन यंत्री एवं उच्च पद पर उच्च शिक्षित कितने इंजीनियर हैं? नामवार एवं विभागवार बताएं? (ख) उपरोक्त इंजीनियरों में ऐसे कितने इंजीनियर है जिनका गत 10-15 वर्षों का सेवाकाल उत्कृष्ट है एवं गोपनीय प्रतिवेदनों में भी अंकित है? नामवार एवं विभागवार बताएं? (ग) क्या शासन उपरोक्त उत्कृष्ट इंजीनियरों को चिंहित कर उनका लाभ शासन की फ्लेगशिप योजनाओं में पदस्थ कर जनहित के कार्यों में उत्कृष्टता लाने की योजना है? (घ) यदि नहीं तो कब तक योजना बनेगी? अभी तक इस और ध्यान क्यों नहीं दिया गया कब तक उत्कृष्ट विभागों के अधिकारी लाभ से वंचित रहेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अनूपपुर जिले में स्वीकृत कार्य</u>

98. (क्र. 4345) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में वर्ष 2012-13 एवं 13-14 तथा 2014-15 में कुल कितने कार्य स्वीकृत किए गये है? कार्य का प्रकार, लागत, निविदाकार, कार्य की प्रगति सहित जानकारी प्रदान करें? (ख) वर्णित (क) अनुसार कौन-कौन से मार्ग परफार्मेन्स गारंटी योजना के तहत है? क्या निविदाकार द्वारा उक्त सड़कों का मरम्मत की जाती है? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, अ-1 एवं 'ब'अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर पंचायत पाटन, मझौली, कटंगी को आवंटित राशि

99. (क्र. 4366) श्री नीलेश अवस्थी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत पाटन, मझौली एवं कटंगी के विकास कार्यों हेतु विगत तीन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार सूची देवें? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन से कार्य करवाये गये? वर्षवार, कार्यवार सूची देवें? (ग) प्रश्नांक (ख) में उल्लेखित निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से पूर्ण हैं? कौन-कौन से किन कारणों से अपूर्ण हैं? (घ) प्रश्नांक (ख) में उल्लेखित कार्यों के संदर्भ में क्या अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है।**

Mou उपरांत भूमि का आवंटन

100. (क्र. 4367) श्री नीलेश अवस्थी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक जबलपुर में आयोजित की गई विभिन्न इन्वेस्टर्स मीट में किन-किन संस्थाओं/उद्योगपतियों द्वारा उद्यम स्थापित किये जाने हेतु कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार प्राप्त आवेदनों पर से किन-किस संस्थाओं/उद्योपतियों को कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी भूमि किस-किस प्रीमियर पर किन-किन शर्तों के तहत उपलब्ध कराई जा चुकी है? कितने आवेदन लंबित है? (ग) भूमि आवंटन में विलंब होने अथवा अभी तक भूमि आवंटन न होने के कारण कितने Mou किस-किस संस्था/उद्योपतियों के निरस्त हुए? भूमि आवंटन उपरांत किस-किस संस्था/उद्योगपतियों द्वारा किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया है? किन-किन संस्थाओं/उद्योगपतियों द्वारा कहाँ-कहाँ उद्योग स्थापित करने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक की अवधि में जबलपुर में दिनाँक 23 फरवरी 2013 को एक संभागीय एमएसएमई सम्मेलन आयोजित किया गया था, उक्त आयोजन में किसी भी संस्था/उद्योगपतियों द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु भूमि आंवटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किये गये थे। तथापि इन्वेस्टर्स मीट में निष्पादित 49एमओयू कर्ता इकाईयों में से 22 इकाईयों को भूमि आंवटित की गयी थी। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित एकेव्हीएन में प्राप्त 22आवेदनों पर संस्थाओं/उद्योगपतियों को क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में म.प्र. औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2008 में उल्लेखित शर्तो के तहत प्रचलित प्रीमियम पर भूमि उपलब्ध कराई गई तथा भूमि आंवटन हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है। इकाईवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) भूमि आंवटन में विलंब होने अथवा अभी तक भूमि आंवटन न होने के कारण कोई एमओयू निरस्त नहीं हुआ। भूमि आंवटन उपरांत 14 इकाईयों द्वारा परियोजना अनुसार

उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। 7 इकाईयां स्थापनाधीन है। 1 इकाई ने परियोजना वर्तमान में आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं पाए जाने पर योजना रद्व कर दी है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>दीनदयाल पुरम आवासीय योजना समर्धा, मण्डीदीप में मकान/भूखण्ड का बंटन</u>

101. (क्र. 4371) श्री के.पी. सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मण्डीदीप द्वारा वर्ष 1992 में दीनदयाल पुरम आवासीय योजना समर्धा, मण्डीदीप में भाड़ा क्रय आवासीय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर पंजीयन किये गये थे तथा इस हेतु आवेदकों से क्रमश: राशि रू. 3, 000/-, रू. 6, 000/- एवं रू. 10, 000/- प्रति आवेदक के मान से राशि भी जमा कराई गई थी? (ख) क्या यह भी सत्य है कि लगभग 22 वर्ष व्यतीत होने के बाजजूद भी अभी तक पंजीकृत आवेदकों को विभाग द्वारा मकान/प्लाट नहीं दिया गया एवं संपूर्ण राशि विभाग द्वारा गबन कर ली गई है? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? नाम, पदनाम सहित बतावें? क्या विभाग दोषियों के विरूद्ध कोई सख्त कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या विभाग द्वारा उक्त पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को भवन/प्लाट दिये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>धार्मिक स्थानों के दर्शन बाबद</u>

102. (क्र. 4404) श्री जितू पटवारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन द्वारा सीनियर सिटीजनों को धार्मिक स्थानों के दर्शन कराने के उद्देश्य से योजना कब से प्रारंभ की गई है, इसकी क्या प्रक्रिया है? (ख) वर्ष 2013 से इन्दौर जिले के कितने सीनियर सिटीजनों को प्रश्न दिनाँक तक कितने स्थानों की यात्रा करवाई गई है? ये यात्राऐं कहाँ से प्रारंभ की गई है? (ग) इस धार्मिक यात्रा के अंतर्गत क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती है? क्या इस हेतु कोई राशि सीनियर सिटीजनों से ली जाती है? यदि हाँ, तो कितनी? (घ) इस धार्मिक यात्रा की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन-कौन से अधिकारियों को सौंपी गई है एवं इनके क्या दायित्व है तथा यात्रा के दौरान कौन-कौन अधिकारी साथ में जाते है? (ड.) प्रश्न दिनाँक तक प्रत्येक धार्मिक यात्रा पर कितनी राशि शासन द्वारा व्यय की गई है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जलकर एवं सम्पत्तिकर से प्राप्त राशि</u>

103. (क्र. 4405) श्री जितू पटवारी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर नगर पालिका निगम को वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक जलकर एवं सम्पत्तिकर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है? पृथक-पृथक वर्षवार जानकारी देवें? (ख) निगम द्वारा जलकर एवं सम्पत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायादारों से राशि वसूलने हेतु क्या करों (टैक्स) में कोई छूट दी जाती है यदि हाँ, तो जानकारी देवें? अन्यथा इनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की जाती है? (ग) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक ऐसे कितने बकायादार है जिनसे जलकर एवं सम्पत्तिकर के रूप में राशि प्राप्त की जाना शेष है? (घ) ऐसे कितने बकायादार है जो निगम को राशि

जमा नहीं कर रहे है एवं इन पर रू. 10, 000/- या इससे अधिक जलकर एवं सम्पत्तिकर की राशि बकाया है? (ड.) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के प्रश्नांश (घ) में बताए बकायादारों से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि वसूल की गई है एवं कितनी राशि वसूल की जाना है?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) म.प्र. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत करों में छूट एवं बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। (ग) जलकर में 1, 25, 048 एवं संपत्तिकर में 1, 40, 527 बकायादारों से वसूली किया जाना है। (घ) जलकर में 78, 722 तथा संपत्तिकर में 5, 031 बकायादार है। (ड.) जलकर में रू. 21.52 करोड़ वसूली की गई तथा रू. 74.66 करोड़ वसूल की जाना है। संपत्तिकर में रू. 6.35 करोड़ वसूली की गई तथा रू. 24.62 करोड़ वसूल की जाना है।

परिशिष्ट – "सत्तावन"

सीहोर जिले में औषधी ऊधानों की संख्या

104. (क्र. 4449) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में वन विभाग द्वारा औषधीय ऊधान कहाँ-कहाँ संचालित किये जा रहे हैं? इनकी स्थापना कब-कब की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) की स्थापना पर कितना व्यय विभाग द्वारा किया गया था? व्यय के मान से क्या वहाँ सुविधा उपलब्ध है? (ग) प्रश्नांश (क) की स्थापना से क्या-क्या सुविधा प्रदान करने की विभाग की योजना थी? (घ) प्रश्नांश (क) की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि स्थिति ठीक नहीं है तो क्यों? इसके संरक्षण व संधारण के लिये विभाग क्या कदम उठाऐगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) वनमण्डल सीहोर के वन परिक्षेत्र आष्टा में औषधीय उद्यान की स्थापना वर्ष 2006-07 में की गई थी। (ख) से (घ) औषधीय पौधों को विकसित करने की योजना हेतु इस उद्यान की स्थापना पर जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन सीहोर द्वारा राशि रूपये 125000 व्यय किया गया था। वर्तमान में 645 रोपित पौधों में से 480 पौधे जीवित हैं। रोपण का रखरखाव किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खिलाडियों को प्रदत्त अवार्ड

105. (क्र. 4450) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश के किन-किन खिलाड़ियों एवम् खेल प्रशिक्षकों को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड/द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? (ख) विगत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश ने कितनी एवम् कहाँ-कहाँ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया एवम् कौन-कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? (ग) इन प्रतियोगिताओं की तैयारी एवम् प्रतिनिधित्व में कितना व्यय हुआ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र कुरवाई में धार्मिक आस्था केन्द्र कैलाश टैकरी का पहुंच मार्ग निर्माण

106. (क्र. 4453) श्री वीरसिंह पंवार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुरबाई विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गिरबासा के पास बेतवा नदी के बीच में स्थित कैलाश टेकरी पर बहुत प्राचीन और धार्मिक जन आस्था का केन्द्र प्रसिद्ध श्री हनुमान जी का मंदिर स्थित है? (ख) क्या शासन को ज्ञात है कि इस क्षेत्र से लगा हुआ बीना तहसील में भारत ओमान रिफायनरी

लिमिटेड द्वारा आयल रिफायनरी बनाई गई है जिसमें बेतवा नदी से पानी की पूर्ति हेतु इस मंदिर के नीचले स्थान पर बांध बनाकर पानी रोका गया है? (ग) क्या शासन को जानकारी है कि इस बांध के बंधने से इस कैलाश टेकरी और श्री हनुमान जी के मंदिर के चारों तरफ बेतवा नदी का पानी का स्तर बढ़ जाने से आम जनता को मंदिर तक पहुंचना कठिन हो गया है? (घ) यह कि आम जनता और आम जन इस आस्था का केन्द्र कैलाश टेकरी श्री हनुमान जी का मंदिर दर्शन पूजा और पर्वों पर जाने आने के लिये पुल बनाने की योजना प्रस्तावित है और वह कब तक पूर्ण हो सकेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) एवं (ख) जी हाँ (ग) आम जन मंदिर में नाव से आते जाते है। (घ) जी नही

<u>कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पदस्थापना</u>

107. (क्र. 4462) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभाग मुँगावली में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत ऐसे कितने दैनिक वेतन भोगियों को अन्य विभागों में संलग्न किया गया है? उनकी सूची उपलब्ध कराई जावें एवं ये कर्मचारी कब से कहाँ पदस्थ या संलग्न हैं? (ख) क्या विभागों से संलग्नीकरण समाप्त कर मूल विभाग लोक निर्माण में कब तक वापिस बुलाया जावेगा? क्या वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है? (ग) पिपरई रोड स्थित (डिपो) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को क्या शासकीय आवास अधिकारी वर्ग के आवंटन की पात्रता है? यदि हाँ, तो किस नियम से पात्रता है? मुंगावली में ऐसे दैनिक भोगियों के नाम बतावे जिनके नाम बंगले आवंटित हैं? कृपया सूची उपलब्ध करायें और कब से आवंटित हैं? (घ) क्या यहाँ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो कि खाद्य विभाग तहसील में पदस्थ हैं क्या उसके नाम कोई बंगला आवंटित है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग अनुविभाग मुंगावली के 03 (तीन) दैनिक वेतन भोगियों को राजस्व विभाग (तहसील कार्यालय) मुंगावली में एस.डी.एम. के आदेश से संलग्न किये गये थे, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ख) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगावली के आदेश दिनाँक 24/02/2015 द्वारा उक्त तीनों कर्मचारियों की सेवाएं विभाग को वापिस की गई है। जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं।

<u>परिशिष्ट – "अट्ठावन</u>"

<u>मेरिट के आधार पर पदोन्नति</u>

108. (क्र. 4478) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के तहत उपयन्त्री से सहायक यंत्री और सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री पर पदोन्नति मेरिट के आधार पर होती है? यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों में डिपार्टमेन्ट प्रमोशन कमेटी कब-कब गठित की गई? (ख) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में उप यंत्री से सहायक यंत्री के पद रिक्त होने उपरान्त पदोन्नति नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में मेरिट के आधार पर पदोन्नति करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में प्रकरण विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निराकरण हो जायेगा? (घ) क्या राजस्व विभाग में पदोन्नति के मापदण्ड है? क्या उन्हीं मापदण्डों पर अन्य विभागों में पदोन्नति की जायेगी? क्या वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जायेगी? विभागों में पदोन्नति के नियमों में विसंगतियां क्यों हैं? कारण सहित जानकारी दी जावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति 'योग्यता सह वरिष्ठता' एवं सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति 'वरिष्ठता सह उपयुक्तता' के आधार पर की जाती है। म.प्र. लोक निर्माण अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1969 की अनुसूची-4 अनुसार डिपार्टेंट प्रमोशन कमेटी गठित है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) केवल सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 बनाये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैतूल जिले में कार्यवाही

109. (क्र. 4505) श्री रामनिवास रावत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बैतूल जिले के 681 ग्रामों की जमीन संरक्षित वन एवं 1299 ग्रामों की जमीन नारंगी भूमि सर्वे में शामिल की गई एवं 829 ग्रामों की समस्त वन भूमि 1972 में ही डीनोटीफाईड कर दी गई? (ख) यदि हाँ, तो 681 ग्रामों की जमीनों को संरक्षित वन सर्वे में शामिल किए जाने पर भी 829 ग्रामों की जमीनों को राजपत्र में डीनोटीफाईड किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ग) 681 ग्रामों की जमीन संरक्षित वन सर्वे में शामिल करने एवं 829 ग्रामों की जमीन 1972 में डीनोटीफाईड किए जाने के बाद भी 1299 ग्रामों की जमीनों को नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किए जाने का क्या कारण रहा है? (घ) 681 ग्रामों एवं 1299 ग्रामों की सर्वे में शामिल जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीन रही है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कार्यों की पूर्णता हेतु समयवृद्धि दी जाना

110. (क्र. 4506) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुबंध की धारा 29 में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है, कितने-कितने प्रतिशत पैनाल्टी की जाकर कितने-कितने माह की समयवृद्धि दी जा सकती हैं? (ख) मुख्य अभियन्ता राजधानी परिक्षेत्र भोपाल के समक्ष गत तीन वर्ष में किस कार्य की कितनी समयवृद्धि का आवेदन/प्रकरण किस दिनाँक को प्राप्त हुआ उसमें से किस प्रकरण में कितनी पैनाल्टी लगाई जाकर कितनी समयवृद्धि किस दिनाँक को दी गई, किस प्रकरण में किन कारणों से समय वृद्धि नहीं दी गई, किस प्रकरण में विभागीय कमी या गलती होने के कारण समयवृद्धि दी गई? (ग) समयवृद्धि दिए जाने एवं पैनाल्टी की राशि लगाए जाने में मुख्य अभियन्ता द्वारा अलग-अलग मापदण्ड अपनाए जाने का क्या-क्या कारण रहा हैं? (घ) मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा समयवृद्धि के प्रकरण में पक्षपात पूर्ण की गई कार्यवाही, अनुबन्ध के विपरीत कम पैनाल्टी लगाई जाकर दी गई समयवृद्धि के प्रकरणों में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं की गई तो कारण बतावें, कब तक की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। (ग)

अनुबंध के मापदण्ड अनुसार गुण दोषों के आधार पर मैदानी अधिकारियों की अनुशंसा अनुसार। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार कोई पक्षपात पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई, अनुबंध के प्रावधान अनुसार ही पेनाल्टी लगाई गई है अत: अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन भूमि क्षेत्रों में संचालित कार्य

111. (क्र. 4539) श्री अनिल जैन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन विभाग के द्वारा टीकमगढ़ जिले के वनभूमि क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य कराये जाते हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कौन-कौन सी योजनाओं में किन-किन कार्यों के क्या लक्ष्य थे? कार्यवार स्वीकृत राशि, उपयोग राशि और कितनी राशि लैप्स हुई है, योजनावार, विधानसभा क्षेत्रवार विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्राप्त लक्ष्य अनुसार विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में किये गये कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने के कारणों सहित जानकारी ग्रामवार दी जावे? (ग) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में वनभूमि से सटी हुई आबादी के लिए आवागमन पेयजल वैकल्पिक ईंधन के लिए क्या-क्या नये कार्य प्रस्तावित हैं? ग्रामवार, कार्यवार, अनुमानित लागत और लाभान्वित हितग्राहियों की प्रस्तावित संख्या सहित जानकारी दी जावे?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' में दर्शित** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' में दर्शित** है। (ग) प्रश्नांकित क्षेत्र की आबादी के लिए आवागमन, पेयजल, वैकल्पिक ईधन के लिए कोई योजना वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों के स्थायीकरण व पदों का सृजन

112. (क्र. 4540) श्री अनिल जैन : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायतों में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये शासन द्वारा क्या कोई जॉब चार्ट निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो जिला टीकमगढ़ में स्थित नगर पंचायतों में स्वीकृत एवं कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों हेतु निर्धारित जॉब चार्ट की विवरणी पदवार उपलब्ध कराई जावे? (ख) जिला टीकमगढ़ में स्थित नगर पंचायतों में स्थाई अस्थाई कंटेंजेन्सी, संविदा व अन्य प्रकार के पदों सहित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद भरे हैं और कितने पद रिक्त हैं? पदवार संख्या बताई जावे? साथ ही विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में स्थित नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी दी जावे? (ग) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में स्थित नगर पंचायतों में कार्यरत अस्थाई कंटेंजेन्सी, संविदा व अन्य प्रकार के कर्मचारियों को शासन द्वारा क्या स्थाई किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक स्थाई किया जायेगा? (घ) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में स्थित नगर पंचायतों में शासन द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये क्या कोई नये पद स्वीकृत किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो पदवार पृथक-पृथक संख्या तथा ये पद कब तक भरे जायेंगे?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। नगरीय निकायों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 में वर्णित हैं जिसका संपादन निकाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व्दारा किया जाता है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ"** पर है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित

नहीं होता है। (घ) जी नहीं, अपितु म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन विकास एवं पर्यावरण विभाग व्दारा जारी ज्ञापन क्रमांक एफ 4-57/2012/18-1 दिनाँक 28-02-2014 से नगरपालिका/ नगर परिषदों के लिये आदर्श कार्मिक संरचना स्वीकृत की गई है, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब"** पर है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जावरा नगर पालिका हेतु मास्टर प्लान

113. (क्र. 4558) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा नगर पालिका विकास हेतु मास्टर प्लान किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए बनाया गया था? (ख) मास्टर प्लान बनने के बाद वहाँ पर क्या-क्या कार्य किये गए हैं? (ग) वर्तमान में कोई मास्टर प्लान कार्यरत हैं या नहीं? (घ) यदि नहीं, है तो कब तक मास्टर प्लान बनेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) विकास योजना निवेश क्षेत्र हेतु बनाई जाती है। जावरा निवेश क्षेत्र की विकास योजना वर्ष 2011 के प्रस्तावों के आधार पर तैयार की जाकर वर्ष 2002 से लागू की गई थी, जो वर्तमान में भी प्रभावशील है। (ख) विकास योजना प्रस्तावों को शासकीय, अद्र्धशासकीय या व्यक्तिगत रूप से निर्माण, पुर्ननिर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास कर के योगदान दिया जाता है। विकास योजना का क्रियान्वयन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन तक स्थानीय संस्था द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मंडल, लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका परिषद् द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्य किया जाता है। (ग) जी हाँ, प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सतना जिले में स्थापित मंदिर

114. (क्र. 4561) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में कितने मंदिर शासनाधीन हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में विगत एक वर्ष में कितने मंदिरों की मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, तथा कितने मंदिरों में पुजारियों की हत्या हुई? (ग) मंदिर के पुजारियों को शासन द्वारा कितना मानदेय दिया जा रहा है? भगवान को भोग लगाने के लिये कितनी राशि दी जाती है? मानदेय कितने महीनों में दिया जाता है? अभी कब से नहीं दिया गया है, बतावें? क्या पुजारियों को मिलने वाली मानदेय की अल्प राशि सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है? (घ) शासन इस संबंध में कोई नीति बनायेगा क्या?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) शासन संधारित मंदिरों की संख्या 150 है। मंदिरों की सूची **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) वर्ष 2014 मे थाना उचेहरा अपराध क्रमांक 291/2014 धारा 379 ताहि. एवं थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 1064/2014 धारा 457, 380 ताहि. में मूर्ति चोरी की घटनाऐं घटित हुई है। थाना उचेहरा पिपरीकला की मूर्ति बरामद हुई है। थाना कोलगवां की घटना के अपराधियों एवं अपहृत मूर्ति का कोई पता न चलने से खात्मा तराशा गया है। उक्त अवधि मे किसी भी पुजारी की हत्या नही हुई है (ग) शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाता है। शासन के

आदेश दिनाँक 15/02/2013 द्वारा मानदेय बढाये गये है। जिसकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश क के प्रकाश मे प्रश्न उपस्थित नही होता।

वन विभाग द्वारा इमरती लकड़ी का विक्रय

115. (क्र. 4567) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रतिदिन डी.एम.यू. पैसेजर ट्रेन से सैंकड़ों लकड़हारे लकड़ी बेचने सतना आते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है, तथा वन विभाग आफिस के बगल में लकड़ियां उतारते हैं? इस आड़ में इमरती लकड़ी का भी परिवहन भारी मात्रा में होता है? (ख) जिले के वनों को बचाने की जिम्मेदारी जिनकी है उनके सामने ही जंगल कट रहे हैं? लकडियां बिक रही हैं? इनके लिये कौन-कौन वन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, बतायें? (ग) पर्यावरण की रक्षा के लिये सतना जिले के जंगलों की कटाई पर कब तक रोक लगा दी जावेगी, तथा दोषी अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) यह सही नहीं है कि वन विभाग के ऑफिस के बगल में लकिडयां उतारी जाती हैं एवं इमारती लकड़ी का परिवहन भारी मात्रा में होता है। जन सामान्य को वनों से गिरी पड़ी, सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से लाने एवं बेचने की अनुमति है। तथापि रेल में सिरबोझों का परिवहन करने पर विभाग द्वारा रेल्वे की मदद से समय-समय पर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। वन विभाग द्वारा जंगलों की अवैध कटाई पर नियंत्रण सतत भ्रमण कर किया जाता है एवं वन अपराध घटित होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन संभाग में कार्यरत एन.जी.ओ.

116. (क्र. 4590) डॉ. मोहन यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत उज्जैन संभाग में कौन-कौन सी एन.जी.ओ. कार्यरत हैं? वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से एन.जी.ओ. को कौन-कौन से कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी के अनुसार जिन एन.जी.ओ. को राशि आवंटित की गई उनके द्वारा नियत समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये अथवा नहीं? यदि हाँ, तो उपयोगिता प्रमाण - पत्र की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या यह सही है कि एन.जी.ओ. को जिस कार्य के लिए राशि आवंटित की जाती है उनके द्वारा उक्त राशि का निर्धारित कार्यों में उपयोग नहीं करते हुए राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस संबंध में किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब शिकायत की गई? उस पर की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मैहर सीमेंट कंपनी को दी गई भूमि

117. (क्र. 4604) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर तहसील स्थित रिलायंस सीमेंट कं. को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किन-किन शर्तों के आधार पर सीमेंट प्लांट लगाये जाने की अनुमति/एनओसी/आज्ञा दी है? (ख) उक्त सीमेंट प्लाट द्वारा कितने हेक्टेयर निजी भूमि स्वयं खरीदी? कितने हेक्टेयर निजी भूमि का शासन द्वारा

अधिग्रहण कर कंपनी को हस्तांतरित किया गया? ग्रामवार/ रकवावार दर वार जानकारी दें? (ग) उक्त कंपनी को क्लिंकर एवं सीमेंट बिक्री करने पर क्या-क्या रियासतें कब तक के लिये शासन द्वारा प्रदत्त की हुई है? (घ) शासन की नीति के अनुरूप उक्त कं. को स्थानीय रोजगार हेतु कितने लोगों को स्थायी/ अस्थायी रूप से नौकरी उपलब्ध कराया जाना नियमानुसार आवश्यक था? प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम के किस पदनाम पर नौकरी स्थायी/ अस्थायी रूप से कर रहे है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) रिलायंस सीमेन्ट लि. मैहर जिला सतना को शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनाँक 23.09.2009, 26.04.2010 एवं 19.07.2012 में विचार किया जाकर सुविधा स्वीकृति आदेश दिनाँक 23.11.2009, 16.06.2010 एवं 08.08.2012 जारी किये गये **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार** है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के अधीन मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर सहायता उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनाँक से 7 वर्ष हेतु स्वीकृति दी गई। क्रय किये जाने वाले कच्चा माल इन्सीडेंटल गुडस एवं पैकिंग मटेरियल पर देय प्रवेश कर से 7 वर्षों हेतु छूट प्रदान की गई। (घ) शासन की उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) के अनुरूप मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से योजना अंतर्गत सुविधा का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके कुल रोजगार का 50 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिये जाने की शर्त आवश्यक होगी। जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण

118. (क्र. 4612) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर ..... शर्तें) नियम 1998 के नियम 15 (क) (1) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2012 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही उल्लेखित शर्तों के अध्ययीन रहते हुए किया जायेगा? (ख) क्या यह सही है कि म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर ..... शर्तें) नियम 1998 के नियम 15 (क) (2) के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2007 के पश्चात् निर्मित की जाती है तो सक्षम अधिकारी उस अनाधिकृत सन्निर्माण मानकर उस हटाने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या जब नियम 15 (क) (1) 31 दिसंबर 2012 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रावधान है तो के नियम 15 (क) (2) 31 दिसंबर 2007 के पश्चात् निर्मित अनाधिकृत कॉलोनी को हटाने का विरोधाभासी प्रावधान संशोधित करते हुए उसे भी 31 दिसंबर 2012 तक का किया जायेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनाँक 03.09.2013 द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्तें), नियम 1998 के नियम 15-क में संशोधन करते हुए, दिनाँक 30 जून 2007 के स्थान पर दिनाँक 31 दिसम्बर 2012 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रावधान किया गया है, (मध्यप्रदेश राजपत्र की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** है।)

परिशिष्ट – "उनसठ"

म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा कटनी-दमोह मार्ग का निर्माण

119. (क्र. 4617) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्तमान में कटनी दमोह मार्ग को बी.ओ.टी. स्कीम में स्वीकृत करते हुये कार्यादेश जारी कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कार्य एजेंसी द्वारा अभी तक कटनी से रीठी मार्ग पर कार्य नहीं कराया गया है, विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी,? (ख) क्या यह सही है कि म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा उक्त कटनी दमोह मार्ग का निर्माण पूर्व में कराया गया था? यदि हाँ, तो किस एजेंसी द्वारा यह मार्ग बनाया गया था? इस पर कितनी राशि व्यय हुई तथा इसकी परफारमेंस गारंटी कब समाप्त हुई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत निर्मित कटनी दमोह मार्ग का म.प्र. सड़क विकास निगम संभागीय प्रबंधक सागर द्वारा बी.टी.पेंच रिपेयर/बी.टी. रिन्यूवल का कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो कब से कब तक और कितनी राशि का कराया गया था? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के अंतर्गत किये गये पेंच रिपेरिंग/बी.टी. रिन्यूवल का कार्य म.प्र. सड़क विकास निगम संभागीय प्रबंधक सागर द्वारा परफारमेंस गारंटी की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही करा दिया गया था? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। दमोह कटनी मार्ग का अनुबंध बी.ओ.टी. (टोल एन्युटी) योजना के अंतर्गत किया गया है। कटनी-रीठी हिस्से में मिट्टी कार्य एवं पुलियों का निर्माण प्रगति पर है। कार्य निर्धारित समय सीमा में है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) जी हाँ **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "साठ"</u>

<u>सिवनी जिले में वन भूमि में अतिक्रमण</u>

120. (क्र. 4657) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2011-12 में कुल कितने हैक्टेयर वन भूमि उपलब्ध थीं? वीट वार, वनपरिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कितने हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया? अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? वीट-बार, वनपरिक्षेत्रवार जानकारी दें? (ग) यदि अतिक्रमण किया गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार वनपरिक्षेत्र अधिकारी एवं उपवनक्षेत्रपाल, तथा बीट गार्ड के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) सिवनी जिले में वर्ष 2011-12 में कुल 310059.281 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध थी। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में 54.020 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण किया गया, जिसमें से 26.072 हेक्टेयर वनभूमि से कब्जा हटाया जा चुका है एवं 27.948 हेक्टेयर वनभूमि पर से कब्जा हटाने जाने/वनभूमि रिक्त कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (ग) अतिक्रमण की घटना प्रकाश में आने पर संबंधित बीट के बीटगार्ड द्वारा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण संज्ञान में लाया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र सहायक/उपवनक्षेत्रपाल तथा बीटगार्ड द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई। अत: उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संयुक्त वन प्रबंधन समिति

121. (क्र. 4698) श्रीमती रेखा यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के छतरपुर वन परीक्षेत्र, बड़ा मलहरा एवं बक्स्वाहा और बैतूल जिले के मुलताई एवं आठनेर वन परीक्षेत्र में दो वर्षों में किस संयुक्त वन प्रबंधन समिति के विकास खाते में कितनी राशि जमा की गई किस समिति के समिति खाते में कितनी राशि जमा की गई अग्नि सुरक्षा एवं वन सुरक्षा के कार्य के बदले किस समिति के समिति खाते से कितनी राशि खर्च की गई? (ख) वनपरीक्षेत्रों के संयुक्त वन प्रबंधन समिति के विकास खाते से गत दो वर्षों में कितनी राशि की कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई, कितनी राशि से कितना गौण खनिज क्रय किया, क्रय की गई सामग्री एवं गौण खनिज पर कितना वेट कर वाणिज्यिक कर विभाग में जमा करवाया गया? (ग) छतरपुर एवं बैतूल जिले के संबंधित वनपरीक्षेत्रों में वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के बदले किस समिति ने गत दो वर्षों में कितने चौकीदारों को कितनी राशि का भुगतान किया? (घ) वाणिज्यिक कर काट कर जमा न करवाए जाने, चौकीदारों को मानदेय का भुगतान किए जाने का क्या कारण रहा है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के बदले समितियों को दी जाने वाली राशि समितियों की अर्जित राशि होती है, जिसे वे सुरक्षा करवाने के एवज में भी भुगतान करने हेतु स्वतंत्र हैं। इससे संबंधित अभिलेखों का संधारण वन विभाग में नहीं किया जाता है। (घ) छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा एवं बक्स्वाहा वन परिक्षेत्र में समितियों के विकास खाते से क्रय की गई सामग्री/गौण खनिज पर वेट राशि काट कर वाणिज्यकर विभाग में जमा न करने का मुख्य कारण दूसरे विभागों के नियमों का समिति स्तर पर ज्ञान न होना रहा है। उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि को वर्किंग प्लान में सम्मिलित करना

122. (क्र. 4699) श्रीमती रेखा यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर वनवृत एवं बैतूल वनवृत के किस वनमंडल के वर्किंग प्लान में कितने वनखण्डों में अधिसूचित कितनी भूमि शामिल हैं जिनकी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की जाँच वर्तमान में भी लम्बित हैं? (ख) धारा 5 से 19 तक की जाँच हेतु लम्बित भूमियों को वन व्यवस्थापन के प्रकरण में किन-किन मदों एवं किन-किन प्रयोजनों में राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि होना बताया गया हैं? इन राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमियों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित किए जाने की अनुमति संबंधित कलेक्टर या संबंधित वन व्यवस्थापन अधिकारी से किस-किस दिनाँक को प्राप्त की गई? (ग) वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में धारा 5 से 19 तक की जाँच हेतु लम्बित जमीनों को कलेक्टर या वन व्यवस्थापन अधिकारी की अनुमति के बिना या स्वीकृति के बिना वर्किंग प्लान में किन प्रावधानों के तहत किन-किन कारणों से सम्मिलित किया गया हैं? (घ) वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई भूमियों को राजस्व अभिलेखों में संरक्षित वन भूमि या नारंगी वन भूमि या वर्किंग प्लान में सम्मिलित भूमि के रूप में संशोधित न करवाए जाने का क्या कारण रहा हैं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कटंगी के वार्ड क्र. 9 एवं 11 के मार्ग पर अतिक्रमण

123. (क्र. 4750) श्री राजेन्द्र मेश्राम : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के नगरपालिका परिषद कटंगी के बसस्टैण्ड के पीछे वार्ड क्र. 09 एवं 11 गंगा हार्डवेयर के सामने व थाने जाने वाले रास्ते के किनारे पर किस-किस प्रयोजन हेतु कितने-कितने भू-भाग पर किन-किन के द्वारा कब से अतिक्रमण किया गया है? अतिक्रमणकर्ताओं के नाम, पते सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्या थाने में आने जाने के लिए उक्त मार्ग मुख्य हैं? उक्त मार्ग के किनारे अतिक्रमण होने के कारण अन्य दिनों के साथ-साथ बाजार दिवस में आवागमन अधिक होने के कारण उक्त मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती हैं? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) सही हैं, तो उक्त मार्ग के किनारे में बसें अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? उक्त अतिक्रमण को कब तक हटवा दिया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) प्रश्न दिनाँक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "इकसठ"

स्वरोजगार योजना में डेयरी उद्योग ऋण सुविधा उपलब्ध कराने बावत्

124. (क्र. 4787) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु बैंकों से ऋण स्वीकृत करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो योजनावार निर्धारित ऋण की राशि की जानकारी सहित पूर्ण विवरण देवें। (ख) क्या उक्त योजना के तहत डेयरी उद्योग हेतु ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है? जबकि ग्रामीण बेरोजगार युवकों को डेयरी उद्योग से ज्यादा फायदा होता है एवं आसानी से ऋण अदा कर सकते हैं? (ग) क्या स्वरोजगार योजना में डेयरी उद्योग को शामिल करते हुए ग्रामीण कृषक युवक बेरोजगारों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों, पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उक्त योजना के तहत डेयरी उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने की योजना हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पशुपालन को उद्योग व सेवा क्षेत्र से पृथक मानते हुये कृषि क्षेत्र की गतिविधियॉ मानी गई हैं। (ग) प्रश्नांक ख के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "बासठ"

विजन 2021 परियोजना सदाबहार की जानकारी बाबत्

125. (क्र. 4802) श्रीमती शीला त्यागी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में विजन 2021 के नाम पर परियोजना सदाबहार रीवा के नाम से प्रोजेक्ट तैयार कर 10 कि.मी. की परिधि पर हरा-भरा के नाम पर संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो इस

योजना संचालन से अब तक कितनी राशि का बजट, किस मद द्वारा प्रदान किया गया है और कब-कब, कहाँ-कहाँ व्यय किया गया है? कार्यवार, स्थानवार सूची उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त राशि द्वारा कितना कार्य व कितने पौंधे लगाये गये हैं वर्तमान समय की पौंधो की क्या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (क) में क्या परियोजना के पूर्ण करने हेतु मनरेगा द्वारा भी राशि व बजट प्रदान किया गया है? परियोजना के कार्य में क्या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई क्या कार्यवाही की गई है, की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>चतुर्थ श्रेणी कार्यभारित कर्मचारियों को समयमान वेतनमान बाबत्</u>

126. (क्र. 4803) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ वर्ग के कार्यभारित कर्मचारियों को क्या नियमित कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं तो क्यों, क्या चालक के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) हाँ तो विभाग के कार्यरत सभी कार्यभारित चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को प्रचलित समयमान वेतनमान का लाभ कब तक प्रदान किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) ''क'' अनुसार। जी नहीं। (ग) ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अनियमित कार्यों की जाँच व कार्यावही</u>

127. (क्र. 4809) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की नगर परिषद लहार, मिहोना, दबोह में 1 जनवरी 2012 से दिसम्बर 2014 तक निजी स्वामित्व की भूमियों के किस-किस सर्वे क्रमांक पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये प्रत्येक कार्य का पूर्ण विवरण दें? (ख) क्या तत्कालीन नगर परिषद के अध्यक्षों एवं मुख्य नगर परिषद अधिकारियों ने निजी भूमि स्वामियों को लाभ पहुँचाने, नियम विपरीत कार्य कर भ्रष्टाचार किया है? यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्ण जाँच करने की मांग पर भी नगर परिषदों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) भिण्ड जिले की नगर परिषद लहार, मिहोना, दबोह, आलमपुर में उपयंत्री के पदों पर कब तक पदस्थापना की जावेगी?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर परिषद मिहोना एवं दबोह में निजी स्वामित्व की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। नगर परिषद लहार में निजी स्वामित्व की भूमि पर कराये गये निर्माण कार्य की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। आम जनता एवं पार्षदों की मांग अनुसार पी.आई.सी./परिषद की सक्षम स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया गया है। प्रकरण में प्राप्त शिकायत पर गठित समिति व्दारा जाँच की जा रही है। जाँच उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (ग) उपयंत्री के नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "तिरेसठ"</u>

नवीन मार्ग निर्माण की स्वीकृति

128. (क्र. 4810) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड में लहार जिला क्षेत्र के मार्ग मिहोना, मछरिया, बौहारा मार्ग ग्राम सिंगोसा पहुँच मार्ग, ग्राम बरथरा से गैंथरी माता मंदिर आलमपुर मार्ग का प्रस्ताव विभाग में कब से स्वीकृत हेतु विचाराधीन है? (ख) आलमपुर-दैभई मार्ग का अधिकांश भाग भिण्ड जिले में होने के कारण लोक निर्माण विभाग दतिया द्वारा उपेक्षा के कारण अनेक वर्षों से जीर्ण शीर्ण हालत में है? प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 310/009/2009/पी.सी./3775 भोपाल दिनाँक 21.09.2010 के द्वारा दैभई-आलमपुर मार्ग लम्बाई 4.50 कि.मी. उपसंभाग सेवढा जिला दतिया से उपसंभाग लहार में कार्य विभाजन करने का आदेश दिया था? यदि हाँ, तो अभी तक आदेश पालन न करने का कारण बतायें, तथा मार्ग पर कब तक डामरीकरण कराया जायेगा? (ग) मुख्य अभियंता (पी.ओ.टी.) म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल के पत्र क्रमांक 2518 भिण्ड-मिहोना/ट्री कटिंग/7/2010 भोपल दिनाँक 13.06.2011 द्वारा अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर भिण्ड गोपालपुर मार्ग पर काटे गयें वृक्षों की संख्या से पांच गुना वृक्षों का रोपण करने को लिखा था? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग पर कितने और कब-कब व कहाँ-कहाँ वृक्ष लगाये गये? अभी तक एक भी वृक्ष न लगाने का कारण बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) उक्त मार्गों के प्रस्ताव अतिरिक्त आवंटन के अभाव में दिनाँक 11.08.2014 से लंबित है। (ख) जी नहीं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। जी हाँ, परन्तु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनाँक 27.11.2010 के द्वारा उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। उक्त मार्ग डामरीकरण कार्य जारी है, जो 31 मार्च 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "चौंसठ"

समयावधि खत्म होने के बाद टोल टैक्स वसूली की अनुमति

129. (क्र. 4827) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास में वर्ष 2014 में टोल वसूलने वाली एजेंसी को समयावधि खत्म होने के बाद 186 दिन तक और टोल टैक्स वसूली करने की अनुमति दी गई? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या यह अनुमति वित्त विभाग की बगैर अनुमति के दी गई? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या अतिरिक्त समय देने से प्रदेश सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ? यदि हाँ, तो कितना और फिर ये अनुमति क्यों दी गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। माननीय उच्चप न्यादयालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा WP क्र.1122/2015 द्वारा दिये गये अंतरिम आदेश दिनाँक 19/02/2015 के परिपालन अनुसार। (ख) यह अनुमति माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के अंतरिम आदेश के परिपालन में दी गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कार्यपालन यंत्री की गृह जिलों में पदस्थापना

130. (क्र. 4842) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री पद पर पदस्थ शासकीय सेवक को गृह जिले में पदस्थ किया जा सकता हैं? हाँ या नहीं? (ख) यदि नहीं तो विभाग में ऐसे कितने कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री वर्तमान में गृह जिले में पदस्थ हैं? नाम, पद व पदस्थापना सहित जानकारी देवें? (ग) गृह जिले में पदस्थ कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों को गृह जिले से अन्यत्र पदस्थापना करने हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) सामान्यतः पदस्थ नहीं करने का प्रावधान है। (ख) **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "पैंसठ"</u>

<u>लाईट मेट्रो योजना की स्वीकृति</u>

131. (क्र. 4847) श्रीमती इमरती देवी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर एवं भोपाल में प्रस्तावित लाईट मेट्रो योजना की शासन स्तर पर स्वीकृति संबंधी उपलब्ध करावें इस विषय पर किस केबिनेट बैठक में सर्वप्रथम चर्चा हुई? (ख) मेट्रो अथवा लाईट मेट्रो यह निर्णय किस आधार पर लिया गया? (ग) लाईट मेट्रो की DPR बनाने के लिए किस फर्म को किस आधार पर सलाहकार नियुक्त किया गया है? इस संदर्भ में नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई? भुगतान की शर्त क्या हैं? तथा उसके द्वारा बनाई गई DPR की गुणवत्ता का मूल्यांकन किस एजेन्सी द्वारा किया जायेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) इंदौर एवं भोपाल में प्रस्तावित लाईट मेट्रो योजना की शासन स्तर पर स्वीकृति संबंधी दस्तावेज **संलग्न परिशिष्ट पर** है। इस विषय पर कैबिनेट की बैठक दिनाँक 30-06-2014 में सर्वप्रथम चर्चा हुई। (ख) Inception Report के धारा पर। (ग) LRTC GmbH (Germany) एवं Rohit Associates Architects & Engineers Pvt. Ltd. (Mumbai) – Consortium को सलाहकार नियुक्त किया गया। सलाहकार की नियुक्ति के लिये खुली निविदा की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रतिवेदन के अनुमोदन उपरांत भुगतान के प्रावधान है। प्रथमत: राज्य सरकार तदुपरांत भारत सरकार व्दारा किया जायेगा।

<u>परिशिष्ट – "छियासठ"</u>

<u>औद्योगिक इकाइयों एवं फैक्ट्रियों का निरीक्षण</u>

132. (क्र. 4850) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले के विजयपुर में स्थित म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा 01 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2014 की अवधि में राजगढ़ जिले के अंतर्गत किन-किन औद्योगिक इकाईयों एवं फैक्ट्रियों का नियमानुसार कब-कब निरीक्षण किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवधि में किन-किन फैक्ट्रियों के विरूद्ध प्रदूषण संबंधी शिकायतें कब-कब, किन-किन के द्वारा किस-किस स्तर पर प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी एवं

ब्यावरा के अंतर्गत टायर से तेल बनाने वाली फैक्ट्री से अधिक प्रदूषण फैलाये जाने संबंधी शिकायतें म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त अवधि में प्राप्त हुई थी, लेकिन प्रश्न दिनाँक तक उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो इसमें कौन दोषी है? शासन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ''एवं ''ब'' अनुसार** है। (ग) प्रश्नांकित अवधि तक मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा लीज डीड का उल्लघंन

133. (क्र. 4851) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 651 दिनाँक 11 दिसम्बर 2014 प्रश्नांश के उत्तर (ग) में बताया गया था कि औद्योगिक क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत इकाइयों को आवंटित भू-खण्ड पर भू-आवंटन नियम 2008 के अंतर्गत लीजडीड का उल्लघंन करने के कारण 7 इकाइयों को 60 दिवसीय नोटिस जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक लीजडीड का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन लीजडीड का उल्लघंन करने वाली इकाइयों से आवंटित भूमि रिक्त कराकर वांछित व पात्र हितग्राहियों को भूमि आवंटन की कार्यवाही करेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन नियम 2008 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।

वर्किंग प्लान में आरक्षित भूमि

134. (क्र. 4854) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के किस वर्किंग प्लान में कितनी आरक्षित वन भूमि, कितनी संरक्षित वन भूमि तथा कितनी नारंगी भूमि वर्तमान में दर्ज है? इन वन भूमियों में से कितनी संरक्षित तथा कितनी नारंगी वन भूमि के कक्ष मानचित्र एवं वन कक्ष इतिहास तैयार कर लिये गये हैं? (ख) क्या संरक्षित तथा कितनी नारंगी वन भूमि के वनकक्ष मानचित्र एवं वनकक्ष इतिहास तैयार किया जाने के संबंध में किसी भी स्तर से कोई आदेश/निर्देशों की प्रति सहित जानकारी दें। (ग) वर्ष 2011-12 से 31 जनवरी 2015 तक वन विभाग बैतूल के द्वारा संरक्षित वन भूमि नारंगी वन भूमि एवं निर्वनीकृत वन भूमि के वानिकी प्रबंधन एवं वन विकास पर कार्यवार वर्षवार कितनी-कितनी राशि खर्च की गई तथा कितनी-कितनी राशि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बैतूल के वनखंडों के संबंध में

135. (क्र. 4855) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतां प्रश्न क्रमांक 1080 दिनाँक 11 दिसम्बर 2014 के प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों के मिलान में कोई धांधली या जान बूझकर की गई गड़बड़ी प्रकाश में नहीं आई है? अपितु

आंकड़ों के मिलान में यह पाया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण के लिये सौंपी गई सूची में शामिल छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमियों के आंकड़ों को नारंगी वन के रूप में दर्शाया गया था, इसके अतिरिक्त नवीनीकृत भूमियों के रकबे को गणना करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया था? उक्त त्रुटि प्रकाश में आने पर नारंगी वन भूमियों के आंकड़ों से छोटे-बड़े झाड़ के जंगल एवं नवीनीकृत वन भूमि के आंकड़ों को अलग करने की कार्यवाही की जा रही है? जानकारी दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो नारंगी सर्वे इकाई द्वारा किस ग्राम की कितनी जमीन का नांरगी वनखण्ड बनाया गया है? इस जमीन से कितनी जमीन बड़े झाड़ के जंगल एवं कितनी जमीन छोटे झाड़ के जंगल, कितनी जमीन चट्टान एवं कितनी जमीन अन्य किस मद में दर्ज है, तथा कितनी नवीनीकृत जमीन वन खण्ड में शामिल है? (ग) दिनाँक 11 दिसम्बर 2014 को दिए गए उपरोक्तानुसार उत्तर के परिप्रेक्ष्य में क्या नारंगी वनखण्डों में शामिल बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल एवं नवीनीकृत भूमियों को नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक कर दिया गया है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? कब तक कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। अपितु ऐसा उल्लेख अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1080 दिनाँक 11 दिसम्बर 2014 के उत्तरांश 'ग' में है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) राजस्व विभाग के अभिलेख में संविलयित राज्यों की दर्ज बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ मद की भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-20 (अ) (4) के अनुसार संरक्षित वन हैं तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत डीनोटीफाईड की गई वन भूमियों का वैधानिक स्वरूप आरक्षित या संरक्षित वन नहीं है। वन प्रबंधन हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाकर वन खण्डों में शामिल किया गया। ऐसी भूमि को पृथक किये जाने की समय सीमा बताना संभव नहीं है।

मार्ग की स्वीकृति

136. (क्र. 4858) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या झारड़ा से गेलाखेड़ी नगपुरा रोड एवं घटिया से मकलाफंटा रोड़ व्हाया जमोटी खेड़ा खजूरिया धनोडिया मार्ग जो महिदपुर वि.स. क्षेत्र में है कि D.P.R. तैयार हो चुकी है? (ख) इन मार्गों को सिंहस्थ मद से कब तक स्वीकृत करके प्रारंभ किया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन दोनों मार्गों के डी.पी.आर. तैयार होकर परीक्षणाधीन है। (ख) सिंहस्थ मद में मार्गों की स्वीकृति संबंधी निर्णय नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लिया जाता है। अत: स्वीकृति एवं प्रारंभ करने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

उद्योगों द्वारा टैक्स जमा किया जाना

137. (क्र. 4859) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्योगों को स्थानीय विकास निधि में अपनी आय/ टर्नओवर का कितने प्रतिशत टैक्स के रूप में देना होता है? (ख) नामदा जं. जिला उज्जैन एवं रतलाम जिले के उद्योगो द्वारा उपरोक्त मद में कितना टैक्स जमा किया गया है? उद्योगवार विगत 5 वर्ष की जानकारी देवें। (ग) जिन उद्योगों द्वारा इस मद में टैक्स जमा नहीं किया है उनसे टैक्स वसूली कब तक कर ली

जावेगी? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगर निगम एवम् नगर पालिकाओं की आडिट रिपोर्ट

138. (क्र. 4860) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की नगर निगम तथा नगर पालिकाओं की कार्यालय क्षेत्रीय उपसंचालक स्थानीय निधी संपरीक्षा उज्जैन आडिट, द्वारा की गई? पिछले तीन वित्तीय वर्ष की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित आडिट आपत्तियों में से कितनी-कितनी आपत्तियों का निराकरण किस-किस दिनाँक को किया गया तथा शेष आपत्तियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) आपत्तियों पर कार्यवाही करने के संदर्भ में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों की प्रतिलिपी दें तथा बतावें कि प्रश्नांश (ख) उल्लेखित शेष आपत्तियों पर उस अनुसार कार्यवाही हुई है या नहीं तथा संबंधित नगर निगम तथा नगर पालिका की परिषद की बैठक में इन्हें प्रस्तुत कर इनका निराकरण किया गया? (घ) मस्टर पर प्रतिबंध के बावजूद उज्जैन जिले में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किस-किस नगर निगम तथा नगर पालिका द्वारा मस्टर कर्मचारियों की नियुक्ति कर भुगतान किया गया? नियम विपरित मस्टर पर क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कम्युनिटी हाल का उपयोग आमजन के लिए उपलब्ध नहीं किया जाना

139. (क्र. 4866) श्री आरिफ अकील : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 08 (पुराना वार्ड क्रमांक 6) में गरीबों के विवाह एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु जनहित को दृष्टिगत रखते हुए विधायक निधि से निर्मित कराए गए कम्युनिटी हाल के उपयोग पर निगम प्रशासन की जटिल प्रक्रिया के चलते विगत 5 वर्षों की स्थिति में कई बार आवंटन बंद किया जा चुका है? (ख) यदि हाँ, तो क्या निगम प्रशासन द्वारा भी इस शादी हाल को सुचारू रूप से आमजन को आवंटित किए जाने के पक्ष में संकल्प पारित किए जा चुके हैं? यदि हाँ, तो एनजीटी. द्वारा उक्त शादी हाल के प्रकरण का निपटारा इन निर्देशों के साथ किया गया कि नगर निगम प्रशासन स्वयं अपने स्तर पर यह निर्णय लेवें कि शादी हाल का उपयोग आम जनता के लिए जारी रखा जायें? (ग) यदि हाँ, तो एनजीटी. के निर्देशानुसार शादी हाल निर्माण के उद्देश्यों एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में नगर निगम भोपाल द्वारा कब तक शादी हाल का उपयोग आमजन हेतु पुन: प्रारंभ किया जावेगा?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं, अपितु राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल व्दारा प्रकरण क्र.18/2013 में पारित आदेश दिनाँक 06-05-2014 व्दारा प्रश्नाधीन भवन में शादी के संचालन पर रोक लगाई गई थी। (ख) एवं (ग) जी हाँ। एन.जी.टी. व्दारा पारित निर्णय दिनाँक 11 अगस्त, 2014 **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। प्रश्नाधीन स्थल का नगर निगम भोपाल व्दारा कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "सड़सठ"

कोलहा घाट पर पुल निर्माण

140. (क्र. 5165) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा अतंर्गत कलयाणपुर से जोडावरपुर मार्ग में कोलहा घाट एवं सितलहा से जनकहाई घाट पर क्या वर्तमान में दोनों रपटे क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो नवनिर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में कोलहा घाट पुल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्राक्कलन जिसे प्रमुख अभियंता द्वारा वर्ष 2013-14 के पूरक बजट में शामिल नहीं किया गया था तो क्या वर्ष 2014-15 के वित्तीय बजट में शामिल किया जायेगा? यदि हाँ, तो पुल निर्माण कार्य का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में जकहाई घाट पर पुल के निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई? यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है यदि नहीं तो स्वीकृत प्राप्ति एवं निर्माण कार्य का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। कल्याणपुर जोडावरपुर लोक निर्माण विभाग मार्ग पर रपटा का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है, एवं सितलहा से जनकहाई घाट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग पर है, अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। (ग) मार्ग पर स्थित रपटा लो.नि.वि. के अंतर्गत नहीं है। अत: प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

नगर भोज का आयोजन

141. (क्र. 5225) श्री जितू पटवारी : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस माह की 13 एवं 14 फरवरी 2015 को उज्जैन जिले का दौरा किया गया है? (ख) उज्जैन दौरे के अवसर पर प्रशासन द्वारा नगर भोज का आयोजन किन लोगो के लिये किया गया था एवं इसमें कितने लोगो ने सहभोज किया था? (ग) क्या प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के दौरे के कारण महाकाल मंदिर के बाहर बैठने वाले लगभग 50-60 भिक्षुकों (भिखारियों) को पकडर नलखेड़ा के जंगल में छोड दिया था? यदि हाँ, तो क्यों कारण बतावें? (घ) क्या यह जानकारी प्रशासन के संज्ञान में है कि छोडे गये भिक्षुको में से एक भिक्षुक की ठण्डी के कारण मौत हो चुकी है? (ड.) इस अमानवीय हरकत के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्यवाही की गई है यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ग्रामीण जन तक उपलब्ध कराना

142. (क्र. 5463) श्री जय सिंह मरावी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत 31 जनवरी 2015 तक शहडोल संभाग में कितने व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ? (ख) लाभान्वित व्यक्तियों में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के व्यक्तियों की वर्गवार संख्या क्या है तथा इनका प्रतिशत क्या है? (ग) प्रश्नाधीन योजनान्तर्गत लाभान्वित कुल व्यक्तियों में से

सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवार की संख्या क्या है, तथा इनका प्रतिशत क्या है? (घ) प्रश्नाधीन योजना का अधिकाधिक लाभ ग्रामीणजन को उपलब्ध कराने के लिए विकासखण्ड स्तर पर आवेदन संकलन एव चयन प्रारंभ किया जावेगा अथवा नहीं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।